छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा चतुर्थ सत्र

मंगलवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2019

(अग्रहायण 05, शक सम्वत् 1941)

[अंक 02]

कार्यालय प्रति

छत्तीसगढ़ विधानसभा

मंगलवार, दिनांक 26 नवंबर, 2019

(अग्रहायण 5, शक संवत् 1941)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए.)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री सत्यनारायण शर्मा :- (भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की कम उपस्थिति पर) चन्द्राकर जी, इन लोगों को कहां भेज दिये? पूरी पट्टी साफ है।

श्री अजय चंद्राकर :- जो उपस्थित हैं अभी उनकी बारी आने वाली है, जो अनुपस्थित हैं उनको आप छोड़ दो।

श्री कवासी लखमा :- क्या नाराजगी है जो छोड़कर भाग गये? आपका महाराष्ट्र वाला काम हो गया।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में संख्या कम हो गई है उसको पूरा करने गये हैं। (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- लेकिन वहां चलने वाला नहीं है, वहां चलेगा सुप्रीम कोर्ट का ही।

प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस एवं पी. जी. की सीट्स

1. (*क्र. 271) श्री अरूण वोरा: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में एम.बी.बी.एस. की कुल कितनी सीटें किन-किन शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में है? कॉलेजवार जानकारी दें? (ख) प्रदेश में इन्ही कॉलेजों में कुल कितनी पोस्ट ग्रेजुएशन एवं डिप्लोमा की सीटें हैं? विभागवार कॉलेजवार जानकारी दें? (ग) फेकल्टी एवं अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी होने के कारण पिछले 3 सत्रों में कब-कब, किन-किन कॉलेज को शून्य ईयर घोषित किया गया? (घ) प्रदेश की कितने जिला चिकित्सालयों को चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध किया गया है? (ङ) 550 बिस्तरों वाले जिला चिकित्सालय दुर्ग में शासकीय मेडिकल कॉलेज खोलने की क्या कोई योजना है? यदि नहीं तो कारण बताएं?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) प्रदेश में एम.बी.बी.एस. की कुल 1220 सीटे है जिसमें शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में 770 सीटें एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में 450 सीटे है. जिसका कॉलेजवार विवरण निम्नानुसार है:—

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

क्र.	महाविद्यालय का नाम	सीटों की संख्या	EWS कोटा सीट	कुल सीट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय			
1.	पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर	150	30	180
2.	छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर	150	30	180
3.	भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव.	100	25	125
4.	स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर	100	25	125
5.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर	100	0	100
6.	स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़	50	10	60
	निजी चिकित्सा महाविद्यालय			
1.	चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचंदुर दुर्ग	150	—	150
2.	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, भिलाई	150	—	150
3.	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, रायपुर	150	—	150

(ख) प्रदेश के मेडिकल कॉलेज रायपुर में 118, सिम्स बिलासपुर में 6 पोस्ट ग्रेजुएट तथा जगदलपुर में 6 डी.एन.बी. की सीटे है, जिसका कॉलेजवार, विभागवार विवरण परिशिष्ट में +[1] संलग्न है. (ग) पिछले 3 सत्रों में निम्न कॉलेजों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा शून्य ईयर घोषित किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

[1] परिशिष्ट "एक"

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

वर्ष		शून्य ईयर घोषित महाविद्यालय का नाम
2017	1.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर
	2.	चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर दुर्ग (निजी)
2018	1.	चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचंदुर दुर्ग (निजी)
	2.	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, भिलाई (निजी)
	3.	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, रायपुर (निजी)
2019	1.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर
	2.	चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर दुर्ग (निजी)

(घ) प्रदेश के 03 जिला चिकित्सालय, चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन है जो क्रमशः जिला चिकित्सालय रायगढ़, राजनांदगांव एवं अंबिकापुर है. (ङ) चिकित्सा महाविद्यालय आरंभ करने हेतु कम से कम 25 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है. वर्तमान में जिला चिकित्सालय, दुर्ग के अंतर्गत 25 एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया.

श्री अरूण वोरा :- मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 में कुल कितने पी.जी. एवं डिप्लोमा के चिकित्सकों को राज्य के शासकीय चिकित्सालयों में दो वर्ष की अनिवार्य सेवाओं हेतु नियुक्ति पत्र जारी किया गया है?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में एम.बी.बी.एस. की कुल 1220 सीटे है जिसमें शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में 770 सीटें एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में 450 सीटे है. ये अलग-अलग महाविद्यालयों में इस वर्ष अलग-अलग हैं :—

क्र.	महाविद्यालय का नाम	सीटों की संख्या	EWS कोटा सीट	कुल सीट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय			
1.	पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर	150	30	180
2.	छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर	150	30	180
3.	भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी	100	25	125

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

	स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव.			
4.	स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर	100	25	125
5.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर **(EWS सीटें नहीं मिली क्योंकि जीरो ईयर था।)**	100	0	100
6.	स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़	50	10	60

तीनों निजी चिकित्सा महाविद्यालय में 150-150 सीटें हैं और ई.डब्ल्यू.एस. की सीटें इनको नहीं प्राप्त हुई हैं। कुल एम.बी.बी.एस. की सीटें इस प्रकार हं। इन्हीं कालेजों में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी आपने जानकारी चाही थी तो प्रदेश के मेडिकल कॉलेज रायपुर में 118 जिसमें से 97 पोस्ट ग्रेजुएट एवं 21 डिप्लोमा की सीट्स हैं। सिम्स बिलासपुर में 6 पोस्ट ग्रेजुएट तथा जगदलपुर में 6 डी.एन.बी. की सीटें हैं, जिसका कॉलेजवार, विभागवार विवरण परिशिष्ट में + संलग्न है। इसके अतिरिक्त पिछले 3 सत्रों में निम्न कॉलेजों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा शून्य ईयर घोषित किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष 2017 में 1. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर

2. चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर दुर्ग (निजी)

वर्ष 2018 में 1. चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचंदुर दुर्ग (निजी)

2. श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, भिलाई (निजी)

3. रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, रायपुर (निजी)

ये तीनों निजी महाविद्यालय वर्ष 2018 में जीरो ईयर हुए थे।

वर्ष 2019 में 1. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर

2. चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर दुर्ग (निजी)

इस प्रकार दुर्ग की चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय तीनों साल जीरो ईयर था।

श्री अरूण वोरा - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता था कि दो वर्ष की अनिवार्य सेवाओं में कितने नियुक्ति पत्र जारी किए गए? जो आपने कहा कि शून्य ईयर घोषित किया तो शून्य ईयर घोषित करने के कारण क्या हैं? मैं नियुक्ति पत्र के बारे में जानना चाह रहा था।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- नियुक्ति पत्र की जानकारी मुझे एकत्रित करनी पड़ेगी। मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जीरो ईयर घोषित करने के कई कारण रहते हैं जिसमें एम.सी.आई. के नार्म्स के अनुरूप अगर वहां पर व्यवस्था नहीं पाई जाती है या तो उपकरणों की या बिल्डिंग की या स्टाफ की तो होता है। अमूमन 20 प्रतिशत से कम स्टाफ अगर वहां पर पाया जाता । Associate assistant professor और

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

Junior Resident जे.आर.पी तो एक निश्चित संख्या से अगर कम स्टाफ है तो वह जीरो ईयर की स्थिति में और कुछ जो infrastructure और कुछ उपकरण जैसे अंबिकापुर में सी.टी स्कैन की मशीन तब तक स्थापित नहीं पायी गयी थी तो वह उसको जीरो ईयर में कर दिया। हालांकि सी.टी. स्कैन की मशीन आ गयी थी। No objection certificate भी आ गये थे लेकिन किन्हीं कारणों से उसके बावजूद वह हो गया।

श्री अरूण वोरा :- मंत्री जी ठीक है। मैं यह जानना चाह रहा था कि चंदूलाल चंद्राकर के जो छात्र हैं उनका भविष्य तो अंधकार में चला गया । उनके लिये हम लोग क्या कर रहे हैं ? दूसरा मैं इसलिए पूछ लेता हूं कि प्रदेश के राजनांदगांव, अंबिकापुर व रायगढ़ में पी.जी. व डिप्लोमा की सीटें कब प्रारंभ की जायेगी ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, चंदूलाल चंद्राकर के छात्र कोर्ट भी गये थे। वहां भी पहल हो रही थी। मेरी उनकी प्रबंधन के प्रतिनिधियों से वरिष्ठ प्रतिनिधियों से भी चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम कॉलेज को चलाना चाहते हैं और जो भी कमियां है उसको हम दूर करके कॉलेज को चलाना चाहते हैं। नया प्रबंधन कुछ उन लोगों ने आपस में चर्चा की होगी, अलग जो पार्टनेस है। उन्होंने मुझे यह बताया था कि हम चलाना चाहते हैं। साथ में एम.सी.आई. से भी हम लोगों ने आग्रह किया था। बल्कि insfection के लिए एम.सी.आई. की टीम उपस्थित भी हो गयी थी। उस दिन प्रबंधन किसी कारण से उनकी inspection नहीं करा पाया था। लेकिन हम लोग एम.सी.आई. से भी चर्चा कर रहे हैं कि आप inspection करके जब यह चलाना चाहते हैं और इनके पास infrastructure है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री प्रकाश शक्राजीत नायक ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि ...।

अध्यक्ष महोदय :- प्रकाश नायक।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न मेरे लिये है। कुल 118 सीटें पोस्ट ग्रेजवेट की हैं जो विभागवार आपने जानकारी दी है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2018-19 में मेडिसीन सर्जरी और गायनिक में कुल कितनी सीटें राज्य के मेडिकल छात्रों को आबंटित की गई है। दुर्ग मेडिकल कॉलेज खोलने में क्या व्यवधान है ? 25 एकड़ की जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी। आपने कहा की दुर्ग में मेडिकल कॉलेज इसलिए नहीं खोला जा रहा है क्योंकि वहां पर 25 एकड़ नहीं है। अभी 12 एकड़ है लेकिन किस तरीके से आपने मापदंड आपने बनाया है या दुर्ग में कहीं और मेडिकल कॉलेज हम लोग खोल सकते हैं । इसकी कृपया जानकारी देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी उनको अलग से जानकारी दे दीजिएगा। विस्तृत प्रश्न है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन सरकार की योजना है।

अध्यक्ष महोदय :- विस्तृत जानकारी है, आप कक्ष में दे दीजिएगा।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रायगढ़ मेडिकल कॉलेज कब तक अपने भवन में शिफ्ट होगा?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, उसमें दो टेंडर पेंडिंग थे और पी.डब्ल्यू. डी. विभाग ने उन्हें निष्पादित कर दिया है। काम लग जायेगा, गैर सप्लाई और एक टेंडर का था।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी समय सीमा बता दें।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष जी, मैं विशेषकर चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के बारे में बोलना चाहता हूं। छात्रों ने हाईकोर्ट में जो मामला दायर किया था उन्होंने यह मांग की थी कि चूंकि अभी चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का भविष्य अंधकारमय है तो कई प्रदेशों में यह हुआ है कि उन छात्रों को जो आपके शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हैं वहां ट्रांसफर कर दें नहीं तो 4-4 साल बच्चे पढ़ गये हैं और अब वे कॉलेज लगातार जीरो ईयर हो रहा है केवल उनका एक साल बचा है, वे डॉक्टर नहीं बन पायेंगे। किसी का तीन साल बचा है वे डॉक्टर नहीं बन पायेंगे तो इसका जो हल उन लोगों ने हाईकोर्ट के सामने मांग की है। मैं जानना चाहता हूं कि हाईकोर्ट आदेश करे उसके बदले क्या आप चंदूलाल चंद्राकर के छात्रों को दूसरे शासकीय महाविद्यालयों में ट्रांसफर करेंगे ? आपके अंबिकापुर के बारे में तो मैं पूरा आश्वस्त हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी खुद वहीं के हैं। डायनेमिक हैं वहां तो लड़कों को तकलीफ नहीं होगी पर चंदूलाल चंद्राकर की हालत बहुत खराब है। नया व्यक्ति कोई आयेगा, उसको संभालेगा तब तक छात्रों का भविष्य अंधकारमय न रहे। उनको दूसरे कॉलेजेस में ट्रांसफर कर दें।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग की भी और शासन की भी पूरी संवेदना, उन छात्रों को और समस्त ऐसी परिस्थिति में जो भी छात्र छत्तीसगढ़ में होंगे, उनके साथ सदैव है और रहेगी। प्रश्न ये उठता है कि क्या हम ये कर सकते हैं ? आदरणीय जोगी जी ने जिस बात को कहा कि कुछ राज्यों से यह बात आयी थी कि उन्होंने कुछ कोर्टों ने ऐसे डायरेक्शन दिये हैं। फिरहाल कोर्ट ने यहां डायरेक्शन इस संदर्भ में नहीं दिया है और मैंने जो भी लिस्ट पढ़ी थी कि जो-जो विभिन्न कॉलेज हैं इनको इतनी सीटें मिली हुई हैं अर्थात् एम.सी.आई. सीट देता है। उन सीटों के अतिरिक्त जब तक एम.सी.आई. अनुमति नहीं देगा तो शासन अपने से छात्रों को उस स्वीकृत सीमा से ज्यादा स्वाभाविक है कि नहीं रख सकती है और अगर एम.सी.आई. अनुमति देती है इन परिस्थितियों में यदि चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय नहीं चल पाता तो अगर एम.सी.आई. अनुमति देती है तो हम जरूर स्वीकार करेंगे। हालांकि दिक्कत है। वर्तमान जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वह भी वर्तमान संख्या को लेकर और अच्छे से चलाने में उसको मशक्कत करनी पड़ती है। फिर भी या तो कोर्ट का ऐसा आदेश होगा या एम.सी.आई. अनुमति देगी तो जरूर स्वीकार करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब एम.सी.आई. बदल गया है। नई संस्था बन गई है। आप पहल करिये और खुद अनुमति ले लीजिए। बच्चे तो बेकार, डॉक्टर बनने से वंचित रह जाएंगे। पूरे प्रदेश में इतने डॉक्टरों की कमी है।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस मेडिकल कॉलेज की एक बच्ची को एम्स में पी.जी. के लिए एडमिशन मिला था, वह लड़की डिप्रेशन में चली गई है। मैं भी इस विषय में आग्रह करूंगी कि विशेष ध्यान दिया जाए।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहुत ज्यादा कमी है और जो अनिवार्यता का प्रश्न था कि जो पी.जी. के बाद 2 साल की अनिवार्य सेवा देना है तो जो 20 प्रतिशत छात्र जो ऑल इण्डिया से आते हैं, हर स्टेट के होते हैं उनके लिए अनिवार्यता नहीं है जबकि महाराष्ट्र और अदर स्टेट में आप देखेंगे तो सारे स्टेट में अगर दूसरे स्टेट से वहां पढ़ने जाते हैं पी.जी. करने के लिए जाते हैं तो उनको वहां रूलर सर्विस या उनको गवर्नमेंट में सर्विस करना जरूरी होता है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जो 20 प्रतिशत छात्र अदर स्टेट से यहां पढ़ने के लिए आते हैं उनको भी विशेषज्ञ...।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये समय प्रश्न करने का है, संज्ञान में लाने का नहीं है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं प्रश्न यही था। प्रश्न पी.जी.छात्रों के लिए था इसलिए मैं यह पूरक प्रश्न कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आप जल्दी समाप्त करिये। जल्दी पूछिए।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उसमें उनको भी सर्विस करने की अनिवार्यता होनी चाहिए, जिससे चिकित्सकों की कमी पूरी हो।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा किया जा सकता है तो जरूर विचार करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से विषय हैं जिसको संज्ञान में ला सकते हैं।

<u>जिला महासमुंद में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास</u>

2. (*क्र. 176) श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला महासमुंद अंतर्गत वर्ष 2016, 2017 से प्रश्नावधि तक कितने प्रधानमंत्री आवास

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

स्वीकृत किये गये, कितने आवासों का निर्माण किया गया कितने आवास अपूर्ण हैं, अपूर्ण का कारण बताते हुये स्वीकृति दिनांक सहित विकासखंड वार जानकारी देवें ? (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैधानिक रूप से स्वीकृत किये जाने एवं गुणवत्ता विहीन निर्माण की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? शिकायतों के जॉच पश्चात् क्या कार्यवाही की गयी ? वर्ष एवं विकासखंड वार जानकारी देवें ? (ग) प्रश्नॉश ''ख'' में उल्लेखित शिकायत की जांच पश्चात् कितने प्रकरणों में राशि वसूली किये जाने के आदेश किये गये हैं, कितनी राशि वसूल की गई, यदि नहीं तो क्यों नाम सहित जानकारी देवें.

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) जिला महासमुंद अंतर्गत वर्ष 2016 में निरंक, 2017 से प्रश्नावधि तक कुल 61,202 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये गये. 47,896 आवासों का निर्माण किया गया. 13,306 आवास अपूर्ण है. अपूर्ण आवासों का कारण एवं स्वीकृति दिनांक सहित विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक में है. (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैधानिक रूप से स्वीकृत किये जाने एवं गुणवत्ता विहीन निर्माण की 21 शिकायतें प्राप्त हुई है. शिकायतों के जांच पश्चात् की गई कार्यवाही जानकारी वर्ष एवं विकासखण्डवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो में है. (ग) प्रश्न ''ख'' में उल्लेखित शिकायत की जांच पश्चात् प्रकरणों की राशि वसूली किये जाने के आदेश, राशि वसूली की जानकारी विकासखण्डवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन में है.

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायत मंत्री महोदय से जानना चाह रहा था कि जिला महासमुंद अंतर्गत वर्ष 2016, 2017 से प्रश्नावधि तक कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये गये, कितने आवासों का निर्माण किया गया कितने आवास अपूर्ण हैं, अपूर्ण का कारण बताते हुये स्वीकृति दिनांक सहित विकासखंड वार जानकारी देवें ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थायी प्रतिक्षा सूची की संख्या बागबाहरा एस.टी. 5 हजार, 833, एस.सी. 2,249, अन्य 9,242। कितने को लाभांवित किया जा चुका है फिर बागबाहरा एस.टी. 2 हजार, 397, एस.सी. 1,376, अन्य 6 हजार 29। कितने अभी तक शेष हैं एस.टी. 3 हजार, 436, एस.सी. 873 अन्य 3,213। इसी तरह से बसना, महासमुंद, पिथौरा, सरायपाली 6,689, 3266, 9472, 4490, 2418, 6587, 2199, 800..।

अध्यक्ष महोदय :- ये तो पूरी विस्तृत जानकारी है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरी लिस्ट है।

अध्यक्ष महोदय :- आप कक्ष में दे दीजिएगा।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 03 चिन्तामणि महाराज।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय,....।

अध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी से जाकर ले लीजिएगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रश्न संख्या :- 03 XX XX

<u>बलौदाबाजार जिले में कौशल विकास के तहत व्यय राशि</u>

4. (*क्र. 466) श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत कौशल विकास के लिए वर्ष 2018-19 में कितनी राशि खर्च की गई है ? (ख) कौन-कौन से प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है ? (ग) अब तक कितने युवाओं को प्रशिक्षण के उपरान्त रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : (क) बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत कौशल विकास के लिए वर्ष 2018-19 में कुल राशि रु. 1,81,13,663 (शब्दों में एक करोड़ इक्यासी लाख तेरह हजार छह सौ तिरसठ रुपये मात्र) खर्च की गई है. विभागवार तथा योजनावार व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2018-19 में व्यय की गई राशि का विवरण

क्र.	प्रायोजक विभाग का नाम	व्यय की गई राशि
1.	जिला कौशल विकास प्राधिकरण, बलौदाबाजार	16648504
2.	श्रम विभाग, बलौदाबाजार	1118040
	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (राज्य प्रबंधित)	347119
	कुल राशि	18113663

(ख) जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, बलौदाबाजार में प्रशिक्षण संचालित है. (ग) अब तक जिला बलौदाबाजार में कुल 5697 युवाओं को प्रशिक्षण उपरांत रोजगार (3301 युवा को रोजगार एवं 2396 युवा को स्वरोजगार) उपलब्ध कराये गये हैं. योजनावार रोजगार की जानकारी निम्नानुसार है :—

योजना का नाम	प्रशिक्षण उपरांत रोजगार		कुल
	रोजगार	स्वरोजगार	कुल रोजगार
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	3277	2389	5666

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (राज्य प्रबंधित)	24	7	31
कुल	3301	2396	5697

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं उच्च शिक्षा मंत्री पटेल जी को आज उनका जन्मदिन है। उनको बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजीत जोगी :- बधाई से काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी पड़ेगी।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की ओर से बधाई।

अध्यक्ष महोदय :- आपको सदन की ओर से बधाई।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं। उनको हम सबको पार्टी देनी पड़ेगी। नंदकुमार जी दिया करते थे, आप भी दीजिए।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न का जवाब तो आया है पर मैं उसमें यह जानना चाहूंगा कि ये कौशल विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है ट्रेनिंग देने वाली इन संस्थानों में कितने प्रशिक्षक हैं जो मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं से डिग्रीधारी हैं, कौन से ट्रेड के प्रशिक्षक हैं कितने इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, मोटर वाइंडींग, ऑटोमोबाईल, ड्रायविंग के डिग्रीधारी प्राप्त हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न खर्च के ऊपर था और खर्च के ऊपर पूरी डिटेल उत्तर में आ गई है। अगर आप प्रशिक्षित अधिकारी के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं उसका जवाब आपको अलग से दे दूंगा।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय मंत्री जी इन संस्थानों में पूर्ववर्ती सरकार के समय में प्रशिक्षक के नाम से बड़ी मात्रा में गोरखधंधा हुआ है। ऑटो सेन्टर में डिग्री बांटते हुए देखे गये हैं और शिकायतें भी मिली हैं। इनकी मानीटरिंग और ऑडिट की के लिए क्या व्यवस्था है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो शिकायतें मिली हैं, क्या उसमें जांच करा कर कार्यवाही करायेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- आपके पास जवाब है तो दे दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- आप नाम लिख करके दे देना, मैं जांच करा दूंगा।

<u>अकलतरा तहसील के ग्राम आरसमेटा में संचालित न्योकों विस्टार्स संयंत्र द्वारा सीमेंट एवं क्लिंकर का उत्पादन</u>

5. (*क्र. 96) श्री सौरभ सिंह : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चाम्पा जिले में अकलतरा तहसील में ग्राम आरसमेटा में संचालित न्योकों विस्टार्स

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

संयंत्र द्वारा पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना सीमेंट और कितना क्लिंकर का उत्पादन किया गया है ? (ख) उपरोक्त उत्पादित क्लिंकर से कितना क्लिंकर प्रदेश के बाहर भेजा गया है ? माहवार जानकारी बताएं ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा तहसील में ग्राम आरसमेटा में संचालित न्यूवोकों विस्टास संयंत्र द्वारा पिछले 03 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में उत्पादित सीमेंट औरे क्लिंकर की जानकारी निम्नानुसार है :—

वित्तीय वर्ष	सीमेंट (मैट्रिक टन)	क्लिंकर (मैट्रिक टन)	रिमार्क
2016-17	1386209	1386913	-
2017-18	1715200	1549284	-
2018-19	1637009	1350669	-
2019-20	858776	816567	अक्टूबर 2019 तक

(ख) उपरोक्त उत्पादित क्लिंकर से 1722609.29 मे. टन क्लिंकर प्रदेश के बाहर भेजा गया है. माहवार जानकारी परिशिष्ट पर † [2] संलग्न है.

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में आया है कि साढ़े तीन साल की अवधि में उपरोक्त आरसमेटा में स्थित न्यूवोकों विस्टास संयंत्र द्वारा 17 लाख 22 हजार मेट्रिक टन क्लिंकर प्रदेश के बाहर भेजा गया है और जितना क्लिंकर का उत्पादन हुआ है उतना ही सीमेन्ट का उतपादन हुआ है। क्लिंकर और सीमेन्ट के उत्पादन में उस संयंत्र की केपिसिटी 228 मेट्रिक टन है। 228 मेट्रिक टन में 75 प्रतिशत से ज्यादा उसमें सीमेन्ट का उत्पादन नहीं हुआ है। यहां से जो क्लिंकर जा रहा है वह मीजिया और जूजूबेडा, झारखंड और वेस्ट बंगाल के ग्राइंडिग यूनिट में चल रहा है। यहां से वहां के सीमेन्ट रेट में 50 रुपये का फर्क है, वहां 50 रुपये सीमेन्ट का रेट ज्यादा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. लागू होने के बाद सरकार को कैसे राजस्व का नुकसान हो रहा है। आज के मेरे अतारांकित प्रश्न क्रमांक 9 में ये जवाब आया है कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद प्रदेश को सीमेन्ट उत्पादन पर 965 करोड़ रुपये का टैक्स मिला है और क्लिंकर उत्पादन पर 34 करोड़ रुपये का टैक्स मिला है, एक साल में साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये का लगभग नुकसान हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी आपका मूल प्रश्न है, उससे प्रश्न करिये, अतारांकित प्रश्न से नहीं करिये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूं, साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये

[2] परिशिष्ट “तीन”

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

का नुकसान हो रहा है, क्लिंकर प्रदेश से बाहर जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के लिए, प्रदेश में रोजगार को बढ़ाने के लिए और उद्योगों को बढ़ाने के लिए क्या प्रदेश से क्लिंकर बाहर भेजना बंद करेंगे ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लिंकर बाहर भेजने का भारत सरकार की गाईडलाईन है। इसको हम रोक नहीं सकते और क्लिंकर बाहर भेजने से भी छत्तीसगढ़ को कोई नुकसान नहीं हो रहा है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जिस बात को बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को नुकसान नहीं हो रहा है, पिछले सत्र में भी बात हुई कि छत्तीसगढ़ को नुकसान नही होता है। मैं तो आपको प्रश्न से प्रूव करके बता रहा हूं। यह आपकी सरकार का जी.एस.टी. का जवाब है कि क्लिंकर उत्पादन में सरकार को सिर्फ 34 करोड़ रुपये मिला और सीमेन्ट उत्पादन में 965 करोड़ रुपये मिला। अगर यहां सीमेन्ट उत्पादन होगा, मैं एक प्लाण्ट की बात कर रहा हूं, जहां पर सिर्फ उनकी केपिसिटी का 75 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आप 100 प्रतिशत उत्पादन करिये और यहां पर हमको जी.एस.टी. ज्यादा दीजिए। यहां से क्लिंकर बाहर क्यों भेज रहे हैं ? भारत सरकार की गाईडलाईन है, ठीक है, राज्य सरकार की तरफ से क्लिंकर को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- पहली बार जवाब दे रहे हैं, आप उनको डरा क्यों रहे हैं ? आराम से पूछिये, वह आपका सब जवाब दे देंगे।

श्री सौरभ सिंह :- मैं आराम से पूछता हूं। माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि प्रदेश के बाहर जो क्लिंकर जा रहा है, मैं एक प्लाण्ट की बात कर रहा हूं जिसका उदाहरण आया है और छत्तीसगढ़ में 11 सीमेन्ट प्लाण्ट हैं। तो यहां से प्रदेश के बाहर जो क्लिंकर जा रहा है जिससे हमारे राजस्व का नुकसान हो रहा है, रोजगार का नुकसान हो रहा है, उद्योग का नुकसान हो रहा है, सी.एस.आर. के पैसे का नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई के लिए आप कृपापूर्वक क्या प्रयास करेंगे ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको रोकने का अधिकार ही नहीं है, इसको रोकने का अधिकार भारत सरकार को है। यह जो नुकसान होने की बात कर रहे हैं, पिछले 15 साल में चल रहा था, एक साल के बाद क्यों याद आ रहा है, यह 15 साल से बाहर जा रहा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड में जिसकी फैक्टरी है, उसी की फैक्टरी में जाकर काम करता है। उधर का टैक्स उनको मिलता है, हमारे यहां का हमको टैक्स मिलता है।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यही है कि हमारा नुकसान हो रहा है और यह प्रूफ हो रहा है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- यह मोदी जी का आदेश है वहां भेजने का (व्यवधान) आपकी सरकार दिल्ली में है, उनसे कहकर रोक लगवाइए । इसमें छत्तीसगढ़ की कहीं कोई भूमिका नहीं है । (व्यवधान) भारत सरकार ने ही आदेश दिया है ।

श्री रामकुमार यादव :- कोयला और लोहा ला रेलगाड़ी मा भर-भर के ले जाये जाथे । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- या तो मंत्री जी के बजाय, जवाब यह दे दें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, इनकी सरकार ने आदेश जारी किया, 15 साल इन्होंने बेचने का काम किया और यहां रोक लगाने की बात करते हैं । अध्यक्ष जी इनकी भारत सरकार ने आदेश दिया है और पूर्ववर्ती सरकार ने आदेश दिया है । हमारी सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया है । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- बृहस्पत जी को ही जवाब देने के लिए अधिकृत कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये, बैठिये । देखिये यह बहुत महत्वूपर्ण प्रश्न है । इसमें...।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष जी, एक मिनट ।

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी, आपकी भारत सरकार ने आदेश किया और पूर्ववर्ती सरकार ने आदेश किया ।

अध्यक्ष महोदय :- अरे भाई, बैठो । आप बैठो ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, यह क्या हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय :- समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों को क्या हो रहा है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, यह समझ नहीं पा रहे हैं और टिप्पणी कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को जवाब देना है और इधर से अनावश्यक चेष्टा हो रही है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- कोई अनावश्यक चेष्टा नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये आपसे अनुमति लेकर बात कर सकते हैं । (व्यवधान) यह गलत परम्परा है । बेवजह दखलंदाजी कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नोत्तरकाल एक घंटे का होता है । इसमें बहुत महत्वूपर्ण सवाल आते हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग उलझाया मत करें । जो भी नये सदस्य हों या पुराने सदस्य हों । प्रश्न से हटकर कोई सवाल नहीं होना चाहिए । यह जी.एस.टी. का बहुत बड़ा मामला है, हो सकता है इसका उत्तर माननीय सिंहदेव साहब दें । मैं अभी कौशिक जी को अनुमति देता हूं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है । मंत्री जी आप जवाब दे रहे हैं इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि वे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं । माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे हैं और

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रश्नकाल केवल एक घंटे का है । उसमें जो व्यवधान पहुंचाते हैं वह उचित नहीं है । अब बृहस्पत सिंह जी उसमें उत्तर देंगे क्या ?

श्री बृहस्पत सिंह :- सर, इन्होंने प्रश्न किया और मंत्री जी ने जवाब दिया । यह प्रश्न 10 सदस्यों का नहीं था । 10 लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे क्या ?

श्री धरमलाल कौशिक :- आप बैठ जाइए । दूसरी बात, अब यह छत्तीसगढ़ विधान सभा का है तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे गए, तो ये मोदी जी के ऊपर लेजाकर टिकाते हैं कि केन्द्र सरकार का है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी ने जवाब दिया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसको पार्लियामेंट में पूछा है, उसको एसेंबली में नहीं पूछना है । यह आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे प्रश्नकाल में इस तरह रोज व्यवधान उत्पन्न करेंगे । मेरा इतना ही आग्रह है ।

श्री सौरभ सिंह :- मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस दिन माइनिंग लीज़ की अनुमति दी गई, उस माइनिंग लीज़ की अनुमति में, आपके पास प्रावधान है, अगर आप चाहें तो उसका प्रयोग कर सकते हैं । जिस दिन आपने माइनिंग लीज़ की अनुमति दी उसमें क्या क्लिंकर प्रोडक्शन को प्रदेश के बाहर ले जाने की अनुमति थी या नहीं थी । और आपके पास प्रावधान है, आप माइनिंग लीज़ में रोक सकते हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- 15 सालों तक तो आपने जाने दिया न साहब ।

श्री सौरभ सिंह :- बृहस्पत सिंह जी, आप रेत की बात करिये । आप सीमेंट के विषय को नहीं समझेंगे ।

श्री कवासी लखमा :- जो पट्टा दिया जाता है उसमें कहीं उल्लेख नहीं है । साथ-साथ जो जी.एस.टी. लगा है उसमें भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार यह कहीं भी जा सकता है । नये में लिखा हुआ है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- एक ही प्रश्न है सर, कि जी.एस.टी. का निर्धारण क्लिंकर और सीमेंट में कौन निर्धारण करेगा । इसका जवाब दे देते ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग के और नीति के संबंध में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया । जहां तक जी.एस.टी. की बात आई, उसमें मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि जी.एस.टी. प्वाइंट ऑफ कंजम्प्शन पर लगता है, प्वाइंट ऑफ प्रोडक्शन पर नहीं मिलता है । जो निर्माता प्रांत है या निर्माता इकाई है, जी.एस.टी. का एक भी पैसा उपलब्ध नहीं होता है । हम चाहे जितना लोहा बना लें, भिलाई स्टील प्लांट से लेकर, हम कुछ भी निर्माण कर लें । जब हम लोग विपक्ष में थे तो इसी बात को हमने माननीय अमर अग्रवाल जी के समक्ष भी रखा था

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

कि जो जी.एस.टी. का कानून बन रहा है, उससे छत्तीसगढ़ को बड़ा नुकसान हो रहा है और आज हम 3 हजार 2 सौ करोड़ के नुकसान में इसी कारण से हैं, क्योंकि जी.एस.टी. पॉइण्ट ऑफ कन्ज्यूम्शन पर लगता है। अगर क्लिंकर बाहर जा रहा है तो उससे हमें जी.एस.टी. का नुकसान नहीं हो रहा है, जब तक क्लिंकर का पूरा उपयोग न हो। सीमेंट के ऊपर या किसी उत्पाद के ऊपर जी.एस.टी. का नुकसान राज्य को तब तक नहीं होगा, जब तक उसका पूरा उपयोग राज्य में न हो। पॉइण्ट ऑफ कन्ज्यूम्शन पर टैक्स लगता है। यही हमारे साथ अव्यावहारिक पहलू है या नुकसान का पहलू कह लें, जी.एस.टी. रेजिम का है। जी.एस.टी. का कोई नुकसान सरकार को क्लिंकर के बाहर जाने से नहीं होता है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सीमेंट का प्रोडक्शन अगर यहां होगा तो कन्ज्यूम्शन भी यहां होगा। यहां से वह सीमेंट बिलिंग होकर बाहर जायेगी। जब यहां पर प्रोडक्शन होगा तो हमारा यही मूल कहना है कि सीमेंट का प्रोडक्शन यहां पर होना चाहिए और नुकसान भी इस ढंग से हो रहा है, हमने इसे भी बता दिया। अब मैं अपने पुराने मूल सवाल पर आता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जी.एस.टी. मिनिस्टर से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप इसका इतना ज्ञान रख ही रहे हैं तो जी.एस.टी. काउन्सिल की बैठक में तो आप जाते हैं। जरा बात करिए न।

श्री कवासी लखमा :- वहां गलत हुआ, तो वहां करेगा। वहां गलत हुआ है, तो यहां बात कर रहे हैं। (व्यवधान) जब हम उस बात को बोल रहे थे (व्यवधान) 28 परशेंट यहां जो पैदा होगा, वह यहां मिलेगा। यहां से बाहर जाकर जहां उपयोग होता है, वहां उनके राज्य को मिलेगा।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- जब जी.एस.टी. तैयार हो रहा था तब भाजपा के जो मंत्री जी सलाह देने जाते थे तो उनको यह सलाह देना था कि जी.एस.टी. के बाद छत्तीसगढ़ बहुत नुकसान में है।

श्री सौरभ सिंह :- आप रोकेंगे क्या? आप रोकने के लिए क्या प्रयास करेंगे?

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। मैंने जी.एस.टी. मिनिस्टर से प्रश्न पूछा है कि छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को अगर उसका स्वरूप बदलकर कोई भी संस्थान बाहर भेजे और उसमें हमें टैक्स न मिले, जिसका कि आपने खुद जिक्र किया है कि नुकसान हुआ है तो क्या आप जी.एस.टी. काउन्सिल में कोई पहल किये हैं क्या? दूसरी चीज नहीं किये हैं तो करेंगे क्या ? तीसरी बात आप इसे रोकने के लिए सरकार स्तर पर कोई कानून बनायेंगे क्या? ताकि हमारी खनिज संपदा स्वरूप बदलकर झारखंड, बिहार, और बंगाल न जाने पाये। हमारा आशय यह है कि हमारी खनिज संपदा का नुकसान न हो। लखमा जी जी.एस.टी. आपकी समझ के बहुत बहुत है। हम लोग को भी समझ में नहीं आता है।

श्री सौरभ सिंह :- मेरा मूल प्रश्न यह है। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लिंकर बाहर जा रहा है या सीमेंट का उत्पादन हो रहा है..।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने अनुमति दी थी कि जी.एस.टी. का उत्तर दो। किस चीज का प्रश्न था और किस चीज का उत्तर दे रहे हैं। अब ये खड़े होकर बोल रहे हैं। (व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्री प्रश्नकाल में बोल रहे हैं। आपने अनुमति उनको दी थी। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न तो होता ही नहीं है न प्रश्नकाल में..।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप जवाब सुनना नहीं चाहते। आप जवाब सुनना नहीं चाहते। गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो सुनना नहीं चाहते हैं। सिर्फ हल्ला करना चाहते हैं। इनकी सरकार ने कानून बनाया था। 15 साल में क्या किये ? सरकार का जवाब मंत्री जी दे रहे हैं तो ये सुनना नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने इनको अनुमति दी है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अच्छा, इनको अनुमति दी है और मुझे अभी किसने अनुमति दी ?

अध्यक्ष महोदय :- मैंने अनुमति दी है।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं इन्हीं की अनुमति से बोल रहा हूं। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि प्रश्नकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय सौरभ जी का प्रश्न क्लिंकर बाहर क्यों भेजा जा रहा है?

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या दोनों मंत्री जवाब देने में असफल हो गये हैं ? तीसरे मंत्री की अनुमति के बाद यह स्पष्ट होना चाहिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- सौरभ सिंह के प्रश्न में बार-बार अवरोध क्यों उपस्थित कर रहे हैं ? वे पूछ रहे हैं। (व्यवधान) क्यों बार-बार खड़े हो जाते हैं। वे प्रश्न पूछ रहे हैं उनको पूछने दीजिए। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- अपना बात करेंगे तो कोई नहीं बोलेगा (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए-बैठिए। (व्यवधान) मंडावी जी आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी को ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप 15 साल और नहीं आयेंगे..।

अध्यक्ष महोदय :- वोरा जी, आपने अच्छा आचरण किया है। एक उंगली की जगह 4 उंगली दिखायी है। (हंसी) मैं इन सबको भी निर्देश देता हूं कि उंगली दिखाकर बात न करें। डीपेन्द्र साहू। (व्यवधान) रंजना डीपेन्द्र साहू। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चौबे जी अपने विधायकों को कहिए कि प्रश्नकाल में इस तरह से व्यवधान उपस्थित न करें ।...(व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- हम मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब नहीं आया है। इसके चलते प्रदेश को हजारों करोड़ रूपये का नुकसान हो रहा है। जवाब आना चाहिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू। ...(व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- संतोषजनक जवाब आना चाहिए।...(व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय चौबे जी, आसंदी के निर्देश का सम्मान होना चाहिए। ...(व्यवधान)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो निर्देश दिया, मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन आपने क्या निर्देश दिया, इनके हल्ले में मुझे सुनाई ही नहीं दिया। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- हल्ला तो आप करवाते हैं, आप कहां से सुनेंगे। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- रहने दीजिये, हो गया। माननीय सदस्या के भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री शिवरतन शर्मा :- बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हजार करोड़ रूपये से ज्यादा का नुकसान है।

अध्यक्ष महोदय :- हम सब समझते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सरकार इसको रोकने में असफल है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा निवेदन है कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सीमेन्ट उत्पादन करने वाला मेरा गृह जिला बलौदा बाजार है। इसका बड़ा नुकसान पूरे प्रदेश को हो रहा है। इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- [XX] [3]

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

श्री रामकुमार यादव :- [XX]

श्री शिवरतन शर्मा :- [XX]

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- [XX]

श्री मोहन मरकाम :- [XX]

अध्यक्ष महोदय :- सुनिये, सुनिये, सुनिये। मोहन मरकाम जी ने जी भी बात कही है, कोई रिकार्ड में नहीं आयेगा। इस तरीके से व्यवधान में जो बात कही जा रही है, किसी भी सदस्य का बात रिकार्ड में नहीं आयेगा। उसको विलोपित कर करता हूँ।

<u>जिला धमतरी में संचालित प्रशिक्षण केन्द्र</u>

6. (*क्र. 450) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिला अंतर्गत कितने ए.एन.एम./जी.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू. प्रशिक्षण केन्द्र कब से किन-

[XX][3] अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किन स्थानों मे ंसंचालित किये जा रहे हैं ? (ख) ए.एन.एम./जी.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू. प्रशिक्षण केन्द्र के संचालकों के नाम, स्थान एवं शासन द्वारा आबंटित सीटों की संख्या एंव मान्यता संबंधी जानकारी देवें ? (ग) क्या संबंधित विभाग के द्वारा उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण किया गया है ? यदि हां तो 01.01.19 से 31.10.19 की अवधि में कब-कब एवं किस प्रकार की कमियां पाई गयी ? तथा क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) जानकारी प्रपत्र 'ब' पर + संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र "अ" पर + संलग्न है. (ग) जी हां. संचालक चिकित्सा शिक्षा छ.ग. द्वारा गठित, उच्च स्तरीय समिति द्वारा 01.01.19 से 31.10.19 की अवधि में माही नर्सिंग इंस्टीट्यूट नगरी, धमतरी का निरीक्षण दिनांक 16.09.2019 को किया गया है, माही नर्सिंग इंस्टीट्यूट नगरी, धमतरी में अधोसंरचना, प्रयोगशाला में उपकरण, शैक्षणिक स्टाफ एवं छात्रावास सुविधा जी.एन.एम. पाठ्यक्रम हेतु मापदण्ड के अनुरूप उपलब्ध नहीं है. माही नर्सिंग इंस्टीट्यूट के कॉलेज भवन बसावट से दूर सूनसान इलाके में स्थित है,जो विद्यार्थियों के सुरक्षा के दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, व छात्रावास भवन अत्यंत ही जर्जर स्थित में पाया गया है. सत्र 2019-20 हेतु संस्था की आबंटित सीटों में 10 प्रतिशत की कटौती के साथ सशर्त अनुमति प्रदान की गई.

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न किया था, मुझे उसका उत्तर प्राप्त हुआ है। उन्होंने स्वयं इस उत्तर में स्वीकार किया है कि धमतरी में अधासरंचना प्रयोग शाला उपकरण, शैक्षणिक स्टाफ एवं छात्रावास की सुविधाएं जी.एन.एम. पाठ्यक्रम हेतु मापदण्ड के अनुरूप उपलब्ध नहीं है। जब संबंधित विभाग के द्वारा निरीक्षण में जाया जाता है तो उस समय निरीक्षण में उन्हें प्राप्त होता है कि कालेज भवन बसाहट से दूर सुनसान इलाके में स्थित है, जो विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। साथ ही साथ छात्रावास भवन अत्यंत ही जर्जर स्थिति में पाया गया है। अभी सन् 2019-20 हेतु संस्था को फिर से उस प्रशिक्षण केन्द्र को आवंटित कर दिया गया है। उसमें केवल यह परिवर्तन किया गया है कि 10 प्रतिशत कटौती की दर से पुन: उस प्रशिक्षण केन्द्र को अनुमति प्रदान की गई है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न है कि जब इतनी अव्यवस्थाओं का आलम है, आपने अपने उत्तर में स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि तो ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों को क्यों अनुमति दी गई है ?

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायिका भी सवाल सही कर रही हैं और उसका दूसरा पहलू है, जो आदरणीय अजीत जोगी जी ने सवाल उठाया था कि जो बच्चे अध्ययनरत् हैं, जो कोर्स के अंदर हैं, उनका क्या करना है ? इस बात को भी ध्यान में रखकर उनको सशर्त यह

अप्रकाशित/मुद्रण के लिए नहीं

अनुमति दी गई है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधार लीजिए । जब भी जीरो ईयर होता है तो जीरो ईयर बैन नहीं हो जाता है । आपको समय मिलता है कि आप उसको ठीक कर लीजिए, अगले साल आपको मौका मिल जाएगा तो उसी बात को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है । आप चाहती हैं कि इसकी समीक्षा और कर ली जाए, बच्चों के भविष्य का क्या होगा तो उसके संदर्भ में हम लोग दोबारा इसकी समीक्षा भी कर लेंगे ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे की बी.एस.सी. नर्सिंग के कई प्रशिक्षण केन्द्र हैं और साथ ही साथ एन.एम. और जी.एन.एम., एम.पी.डब्ल्यू. ऐसे कई प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जहां पर केवल व्यवसाय के नाम पर प्रशिक्षण केन्द्रों को खोला गया है । वहां पर जो प्रमुख सुविधाएं प्रयोगशाला उपकरण और शैक्षणिक स्टाफ की आवश्यकता है, वह आवश्यकता वहां पर पूरी नहीं हो पा रही है तो ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों में पुन: जांच की जाए और उसके बाद उन प्रशिक्षण केन्द्रों को अनुमति प्रदान की जाये ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी ।

<u>सुपेबेड़ा में किडनी बीमारी से हुई मौत एवं मुआवजा राशि का भुगतान</u>

7. (*क्र. 292) श्री धनेन्द्र साहू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से अभी तक कितनी मौतें हुई है ? किस-किस व्यक्तियों की मौत किस-किस तारीख को हुई ? शासन द्वारा मृतकों को क्या मुआवजा राशि प्रदान की गई है ? यदि हॉ तो विवरण देवें ? (ख) किडनी की बीमारी की रोकथाम हेतु तथा ईलाज की सुविधा प्रदान करने हेतु शासन द्वारा क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से अभी तक मौतों की स्पष्ट जानकारी दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण सामान्यत: शरीर के वाईटल ऑरर्गन्स का फेल्यर होता है । यह कहना सही है कि प्रभावित क्षेत्र के निवासी किडनी की बीमारी से ग्रस्त हैं, पर विनिर्दिष्ट रूप से सी.के.डी. से ही मृत्यु हुई है, इस तथ्य की पुष्टि किया जाना संभव नहीं है । किडनी की बीमारी से व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में नामवार व तिथिवार जानकारी दिया जाना संभव नहीं है । शासन को मृतकों को मुआवजा राशि निरंक है ।

(ख) किडनी की बीमारी की रोकथाम हेतु तथा ईलाज की सुविधा प्रदान करने हेतु शासन द्वारा निम्नानुसार उपाय किये जा रहे हैं :—

किडनी एवं अन्य बीमारी की रोकथाम के लिये 06 वाटर प्लांट, तेल नदी से शुद्ध जल पूर्ति.

ग्राम सुपेबेड़ा की स्वास्थ्य समस्या को समझने के लिए गत वर्षों में आईसीएमआर जबलपुर को पत्र प्रेषित करते हुये प्रारंभिक अध्ययन कराया गया. भारत सरकार की तकनीकी टीम एनसीडीसी के

असंशोधित/अप्रमाणन के लिए नहीं

माध्यम से भी प्रारंभिक अध्ययन किया गया एवं उनके माध्यम से दिये अनुशंसाओं का पालन किया गया. शासन (सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में) द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई एवं समय-समय पर स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा अन्य विभागों के अधिकारियों को उनसे संबंधित मुद्दों को सुधारने के दिशा-निर्देश भी दिये गये.

पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर, एम्स रायपुर, डीकेएस सुपर स्पेशिलिटी रायपुर एवं प्रमाणित प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा ग्राम सुपेबेड़ा में विशेष कैंप आयोजित कर तथा पीड़ित मरीजों को चिकित्सालयों में भर्ती कर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी गई. संजीवनी कोष के माध्यम से भी इन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी गई. गरियाबंद जिले के विकासखण्ड देवभोग में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विशेष रूप से आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कर प्रयोगशाला को क्रियान्वित किया गया तथा मेडिसीन के विशेषज्ञ की पदस्थापना भी की गई. डायलिसिस करने हेतु देवभोग में डायलिसिस युनिट की स्थापना की गई. ताकि पीड़ितों को आवश्यकतानुसार उनकी सहमति उपरांत देवभोग में ही डायलिसिस की सुविधा दी जा सके.

उक्त के साथ साथ अन्य प्रयास भी किये जा रहे हैं.

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो संशोधित उत्तर दिया है, उस उत्तर में भी दिया है कि सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से अभी तक मौतों की संख्या का स्पष्ट जानकारी दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण सामान्यत: शरीर का वाईटल ऑरर्गन्स फेल्यर होता है । यह कहना सही है कि प्रभावित क्षेत्र के निवासी किडनी की बीमारी से ग्रस्त हैं, पर विनिर्दिष्ट रूप से सी.के.डी. से ही मृत्यु हुई है, इस तथ्य की पुष्टि किया जाना संभव नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लगभग 71 से अधिक मौतें किडनी की बीमारी से हुई है, इस बात की पुष्टि विभिन्न माध्यमों से हुई है, लेकिन उत्तर में माननीय मंत्री जी के द्वारा एक भी मौत को किडनी से होना उन्होंने स्वीकार नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिए न । किडनी से मौत नहीं हुई है तो किससे हुई है, यह बता दें ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पुन: जानना चाहता हूं कि एक भी मौत किडनी से नहीं हुई है तो क्या इसकी पुष्टि हुई है कि एक भी मौत किडनी से नहीं हुई है ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुपेबेड़ा का मामला बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है और इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि उस क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा सी.के.डी. प्रानिक किडनी डिज़ीस के नाम से जो संज्ञा देकर हम लोग बीमारी को पुकारते हैं, वह वहां पर सामान्य से ज्यादा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विद्यमान है । बात विधान सभा में जवाब देने की आती है तो इस भाषा का प्रयोग करने का कारण यही बनता है कि मेडिकल ऑरर्गन्स में जो डाक्टर लोग रिपोर्ट लिखकर देंगे, वे अगर यह लिखकर देते हैं कि मृत्यु किडनी के रोग से हुई है तो हम विधान सभा में जवाब दे सकते हैं । वर्तमान में जो परिस्थिति है कि पंचायत ने जो रिकॉर्ड रखा हुआ है, पंचायत का जो रिकॉर्ड है, उसमें मृत्यु का कारण किडनी लिख दिया है और किडनी के रोग से ग्रसित नागरिक वहां के हैं, इसमें कोई दो बात है ही नहीं । सरकार भी पहल कर रही है, पहले से भी इसमें गंभीरता से पहल चल रही है और कुछ साकारात्मक परिणाम भी इसमें आ रहे हैं, लेकिन जब ऐसा सवाल आता है तो कानूनी शब्दों के दायरे के अंदर जवाब देना पड़ता है, केवल वह कारण है । डाक्टर साहब से या संबंधित जो अधिकारी है, उनसे जब हम मृत्यु का कारण पूछते हैं तो उनका कहना है कि मृत्यु का कारण लिखा जाता है हृदय की गति रूकने से और जब वे लिखते हैं तो यही लिखते हैं कि मृत्यु का कारण इस प्रकार का होता है । उदाहरण के लिए जब मैंने पूछा तो स्वाभाविक है कि ऐसा सवाल और ऐसा जवाब आ रहा था, जिसमें बहुत प्रश्न उठेंगे ।

(श्री अजय चन्द्राकर द्वारा प्रश्न पूछने के लिए हाथ उठाने पर)

श्री धनेन्द्र साहू :- अभी आप शांत रहिए, अभी मैं हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप अपना उत्तर पूरा करिए ।

श्री अजीत जोगी :- उत्तर तो आने दो ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर तालाब में डूबकर किसी की मृत्यु होती है तो उसका कारण इन अभिलेखों में डूबना नहीं लिखा जाता है, एक्सिपसिएशन लिखा जाता है कि सांस बंद हो गई । ये जो जवाब आ रहा है, उसका कारण इस जवाब से कतई इसका आशय यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि किडनी के रोग का प्रभाव उस शरीर पर नहीं था । अंततः जो मृत्यु हुई, वह जिस कारण से होती है, वह डाक्टर लिखते हैं । दूसरा, वहां पोस्ट मार्डम की बड़ी दिक्कत है कि नागरिक अभी भी पोस्ट मार्डम कराने के लिए सहमत नहीं हो रहे हैं तो विधान सभा में अगर जवाब देना है तो कारण यह बन जाता है कि जो ऑन रिकार्ड चीजें होंगी, उसी के आधार पर हमको जवाब देना पड़ता है ।

(श्री अजय चन्द्राकर द्वारा हाथ उठाने पर)

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे प्रश्न पूछेंगे, उसके पहले बात कर लेंगे कि उन्होंने भी जवाब दिया था ।

अध्यक्ष महोदय :- आप इल कर रहे हैं ?

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री जी जवाब आ रहा है, बार-बार यह सदन को गुमराह कर रहे हैं, बार-बार सदन को बाधित कर रहे हैं । क्या बना कर रख दिये हैं ? अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर बात है । अगर मंत्री का जवाब आ रहा है, इसके बाद बार-बार सदन को बाधित कर रहे हैं । क्या सदन को व्यवधान करने का ठेका ले रखा है ? (व्यवधान)

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के अनुकूल उत्तर हो । बाहर विपरीत स्थिति है । (व्यवधान)

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेंरा बहुत ही स्पेसिफिक प्रश्न है । क्या किडनी से मौंते नहीं हुई है ?

अध्यक्ष महोदय :- आपके स्पेसिफिक प्रश्न का साईंटिफिक ढंग से उत्तर दे रहे हैं । आपका उत्तर साइंटिफिक है, आपका प्रश्न स्पेसिफिक है ।

श्री धनेन्द्र साहू :- किडनी से कितनी मौतें हुई है? या तो स्पष्ट स्वीकार करें कि एक भी मौत नहीं हुई है । जैसा कि उन्होंने कहा कि बताया जाना संभव नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में बहुत गंभीर स्थिति है । कलंक है कि आज किडनी से लगातार इतने लोग मर रहे हैं । पिछली सरकार ने भी उस पर 15 साल नहीं दिया । हमारी सरकार ने तो ध्यान दिया है, आज मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने जो प्रयास किये हैं, जितने भी विभिन्न प्रयास किये हैं, 6 वाटर प्लाण्ट लगाये हैं, डायलिसिस के जो यूनिट लगाये गये हैं, अध्ययन के लिए भी उन्होंने आई.सी.एम.आर. जबलपुर को पत्र प्रेषित किया है । एम्स के भी डॉक्टर लोग गये हैं । सुपरश्पैसिलिटी हॉस्पीटल, रायपुर डी.के.एस. की भी टीम गई है । किडनी की बीमारी चिन्हित हुई तब आप वाटर प्लाण्ट लगा रहे हैं, डायलिसिस लगा रहे हैं । किडनी से पीड़ित है, तभी वहां पर आप किडनी की बीमारी का ईलाज कर रहे हैं, लेकिन आप मौत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि एक भी मौत हुई है ? आप डायलिसिस इसलिए दे रहे हैं कि वह किडनी से पीड़ित है । आप वाटर प्लाण्ट इसलिए लगाये हैं कि वह किडनी से पीड़ित है । सारा अध्ययन दल और एम्स के स्पैशलिस्ट हैं, वह बता रहे हैं कि किडनी से पीड़ित है । जो मौत हो रही है, उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इतनी मौतें हुई है ? अभी भी आप डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं कि जितनी मौतें हुई है, वह किन बीमारियों से हुई है तो यह जो प्रिकाशन लिया जा रहा है, जो उपचार किया जा रहा है, सुरक्षा के उपाय किये जा रहे हैं, वह किसलिए है ? यदि मौंते चिन्हित नहीं है, तो यह किस दिशा में जा रहा है ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- और एक उदाहरण देने का प्रयास करता हूॅं । बहुत लोगों को, मेंरे पिताजी को भी डायबिटिस थी । डायबिटिस के कारण उनका हार्ट डायलेटेड हुआ । हार्ट अटैक हुआ, उनकी मृत्यु हुई । क्या रिपोर्ट में डायबिटिस कारण बताया जायेगा या डायलेटेड हार्ट कंडीशन्स से हृदय की गति थमी वह बताया जायेगा । क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा लिखा जाता है, विधान सभा में वैसा जवाब दे रहा हूॅं । दूसरा कारण मैं आपको बताता हूॅं । जो विशेषज्ञों की टीम पिछली सरकारों ने मनोनीत की थी, वह क्या लिखकर देते हैं, जवाब का कारण आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूॅं- Data regarding deaths if Supebeda village from 2009-2017 was also collected and patients suspected to have died of Kidney disease was also tabulated by Deobhog CHC. Total of 96 deaths were reported form 2009 to 2017 (upto

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

July, 2017) कितनी डेथ हुई है, इसका रिकार्ड है अध्यक्ष महोदय । उनको यह भी बीमारी थी, यह भी ऑनरिकार्ड है अध्यक्ष महोदय । अगर सवाल यह आता कि किडनी से कितने मरीज प्रभावित हैं तो हम लोग सीधा-सीधा जवाब बता देते कि किडनी की बीमारी से इतने लोग प्रभावित हैं। मृत्यु का कारण- and 47 deaths were suspected to have been associated with kidney disease (Annexure 5) Detailed treatment records of these 47 patients were not available for perusal. Hence, it is not possible to comment on whether these deaths were due to CKD related complications of kideney disease was an associated co-morbidity and death was due to some jother cause.The data is summarized I figure 1.

श्री शिवरतन शर्मा :- यह रिपोर्ट किसकी है, बता दीजिए मंत्री जी । यह रिपोर्ट किसकी है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- यह आपके समय की रिपोर्ट है आपने जांच करवाई थी । वर्ष 2017 जुलाई की है और राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, उनकी यह रिपोर्ट है ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से फिर से स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ । जब इतनी डॉक्टरों की टीम गई है, डी.के.एस. की टीम गई है, अभी-अभी गई है, आप स्वयं भी दौरा किये, आज की तारीख में लगभग कितने लोग किडनी से पीड़ित हैं । यह तो आप बता सकते हैं । उस गांव में किडनी बीमारी से कितने लोग पीड़ित हैं । यह बता दीजिए ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- 200 से ऊपर है । 200 से 250 के बीच में प्रभावित हैं । पूरा गांव है ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो विधानसभा में स्पेशिफिक जवाब आ रहा है। जब मंत्री जी दावे के साथ बोल रहे हैं कि 200 लोग पीड़ित हैं लेकिन मौत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि एक भी मौत उससे हुई है। जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं उसके लिए आपने एक डायलिसिस मशीन मात्र देवभोग में स्थापित की। आपने वहां उनकी चिकित्सा भी कराई है लेकिन जब तक आप किडनी से इस मौत को स्वीकार नहीं करेंगे आप उसके इलाज की क्या व्यवस्था कर पायेंगे?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, इसे स्वीकार करने में कहीं कोई संकोच नहीं है, कोई झिझक नहीं है कि लोग किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं और उनका इलाज हो रहा है और उनका इलाज भविष्य में भी होगा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय साहू जी, आप क्या चाहते हैं माननीय मंत्री जी को बता दीजिए वह पूरी कोशिश करेंगे।

श्री धनेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि जब तक हम उस मौत को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी गंभीरता उसके प्रति इलाज कहां से हो पाएगा। यदि हम मौत को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आज जो ये 200 पीड़ित हैं ये लोग भी मरेंगे। वह भी नहीं कहा जायेगा कि ये किडनी से मरे हैं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, उसमें नहीं स्वीकार करने की कहीं बात ही नहीं है कि उस क्षेत्र में लोग किडनी बीमारी से प्रभावित नहीं हैं। अन्य क्षेत्रों में भी होता है, वहां भी प्रभावित है। इसमें

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कहीं कोई बात नहीं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ. कवासी लखमा ने कह दिया है कि उड़ीसा की शराब के कारण ये मौत हो रही है। आप काहे को दिमाग में जोर डाल रहे हैं? वह बोल रहे हैं कि किडनी नहीं है, शराब के कारण हुआ है, आपस में बैठकर समझ लीजिए ना।

श्री धनेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, किडनी के लिए डायलिसिस ही एकमात्र इलाज नही है। ठीक है, रोकथाम के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं।

श्री अजय चन्द्राकर - जब रोग ही नहीं है तो किडनी पर बहस क्यों हो रही है?

श्री धनेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मान रहे हैं कि 200 लोग पीड़ित हैं। इन 200 लोगों की चिकित्सा के लिए सिर्फ डायलिसिस ही इलाज नहीं है, ये जो किडनी के 200 मरीज हैं उन्हें किडनी के और जो व्यापक इलाज हैं उनका पूरा इलाज सुनिश्चित करेंगे क्या?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, जी। उसको सुनिश्चित करेंगे।

श्री अजीत जोगी :- यह लंबा हो गया, दूसरा सवाल।

<u>शासकीय देशी/विदेशी मदिरा दुकानों से शराब की बिक्री</u>

8. (*क्र. 402) श्री धर्मजीत सिंह: क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी, 2018 से 31 अक्टूबर, 2019 तक प्रदेश में संचालित शासकीय देशी/विदेशी मदिरा दुकानों से कुल कितनी-कितनी मात्रा में देशी/विदेशी शराब की बिक्री की गई? जिलेवार ब्यौरा दें? (ख) कंडिका "क" के विक्रय से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई और उसमें से कितनी राशि कोषालय में जमा की गई? जिलेवार बतावें (ग) कंडिका "क" की संचालित दुकानों में किन किन स्थानों पर उल्लेखित अवधि में दुकानों से धनराशि की लूट/गबन/चोरी/ की शिकायतें दर्ज की गई, इस वारदात में शासन को कितनी धन राशि की क्षति हुई? इस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) 01 जनवरी 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक प्रदेश में संचालित शासकीय देशी/विदेशी मदिरा दुकानों से देशी/विदेशी शराब की बिक्री की मात्रा की जिलेवार जानकारी प्रपत्र "अ" पर †[4] संलग्न है. (ख) कंडिका "क" के विक्रय से प्राप्त राशि एवं कोषालय में जमा की राशि की जिलेवार जानकारी प्रपत्र "ब" पर † संलग्न है. (ग) कंडिका "क" की संचालित दुकानों में धनराशि की लूट/गबन/चोरी की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है. इस वारदात में शासन को क्षति हुई धन राशि की जिलेवार जानकारी प्रपत्र "स" पर † संलग्न है. उक्त राशि की वसूली की कार्यवाही

[4] † परिशिष्ट "पांच"

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की गई तथा संबंधित आबकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलंबित किया गया है तथा संबंधित एजेन्सियों पर कार्यवाही की गई है.

श्री धर्मजीत सिंह:- मैं माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी से जिनके पास आबकारी विभाग है उनसे मैंने बहुत ही सामान्य सा प्रश्न पूछा है कि 01 जनवरी 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक पूरे प्रदेश में सरकारी शराब दुकान से जो शराब की बिक्री हुई है वह कितने की हुई है और कितनी राशि कोषालय में जमा की गई है? माननीय मंत्री जी ने प्रपत्र "ब" में जवाब दिया है कि 11128 करोड़ रूपये की शराब सरकारी दुकानों से बेची गई और कोषालय में सिर्फ 8271 करोड़ रूपये ही जमा किया गया है। तो 2856 करोड़ रूपये इस हिसाब में नहीं मिल रहा है। ये 2856 करोड़ रूपये जो 22 महीने में सरकार के खजाने में जमा नहीं हुआ ये रूपया क्यों जमा नहीं हुआ, कैसे जमा नहीं हुआ, इतनी बड़ी राशि कहां गई, कहां है मैं यह जानना चाहता हूं?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 22 महीना की जानकारी माननीय वरिष्ठ सदस्य ने पूछा है। उसमें 11 हजार करोड़ रूपये चिल्हर जमा हुआ है 8000 करोड़ रूपये चिल्हर हमारी सरकार के कोषालय में जमा हुआ है और जो ऊपर का पैसा है वह शराब खरीदी में, ढुलाई में खर्च होता है, शराब बिक्री करने वाली प्लेसमेंट एजेंसी को देना पड़ता है। बाकी पैसा इन सबमें खर्च हुआ है और देशी दारू में 1200 करोड़ और विदेशी दारू में 1700 करोड़ के आसपास खर्च हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, घुमाकर पूछने की क्या जरूरत है? (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- ताली मत बजाईये। यह बहुत गंभीर मामला है। सरकार के धनराशि की बिक्री का पैसा पहले कोषालय में जायेगा और यह आपकी दुकान नहीं है कि आप कहीं पर भी किसी खर्चे को कर देंगे। किसी को भी तनख्वाह दे देंगे, किसी को भी प्लेसमेंट एजेंसी को दे देंगे। पहले सरकार की बिक्री का पैसा कोषालय में जमा होना चाहिए। जब तीन हजार करोड़ रूपये का सप्लीमेंट्री बजट आता है तो एक-एक प्रावधान किया जाता है। सरकारी अफसरों का तनख्वाह कोषालय से मिलता है। आपके और हमारे भी तनख्वाह ट्रेजरी से मिलता है। यह आप 2800 करोड़ रूपये को मनमर्जी से, इस तरीके से, उस तरीके से हमने बांट दिया ऐसा नहीं चलेगा। इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है और मैं आपके माध्यम से इसकी जांच की मांग कर रहा हूं। इसको जांच कराईये और अगर चार साल जब से सरकारी शराब बिक रही है मेरा आरोप है कि दस हजार करोड़ से उपर अफरा-तफरी हुआ है और ये बंदरबाट किया है। माननीय मंत्री जी आप बहुत आसानी से बोल दिये कि 2856 करोड़ रूपया हमने ऐसी बांट दिया, तनख्वाह देते हैं। मेरे पास प्लेसमेंट एजेंसी का आपका एग्रीमेंट है। इसमें जो आप तनख्वाह तय किये हैं उसमें सुपरवाईजर को 15 हजार रूपये, सेल्समेन को 10 हजार रूपये, क्लर्क को 13 हजार रूपये, स्टेनो को 10 हजार रूपये, मल्टीपरपस वर्कर को 8 हजार रूपये, लिगल आफिसर को 29 हजार रूपये, कंपनी सेक्रेटरी को 29 हजार रूपये। यह 29 हजार, 10 हजार बांटने के लिये क्या 2800 करोड़ रूपये का आप

बंटवारा कर दिये ? आप कौन होते हैं कि बिना सरकार के खजाने में जमा हुए पैसे को खर्च कर सकते हैं ? यह बताईये कि कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, इसमें पूरा लिखकर दिया हुआ है। वे खुद पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी जांच की मांग कर रहे हैं। इसकी जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। यह पूरा स्पष्ट है कि 8 हजार चिल्हर पैसा कोषालय में जमा हुआ है, ढुलाई बिक्री करने वाला, हमने शराब खरीदी की है। देशी शराब का अलग है....।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, मैं फिर बोल रहा हूं । आप खुद देख लीजिए, ये मंत्री जी बिल्कुल गलत बयान कर रहे हैं। आपने कहीं भी नहीं लिखा है कि कोषालय में पैसा जमा हुआ है। 2850 करोड़ रूपया कोषालय में जमा ही नहीं हुआ है। इसलिए आपका यह कहना बिल्कुल असत्य है कि क्योंकि जवाब सदन के पटल पर है। माननीय अध्यक्ष जी आपके पास है। आप प्रपत्र 'ब' निकालिये। प्रपत्र 'ब' निकालिये न। अधिकारियों ने लिखा है कि 11,100 ....।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, अगर असत्य जवाब आता है उसके भी रास्ते हैं। उसके भी रास्ते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, ये आप मानव बम सरीके आप खड़ा मत कराईये। आप अनुशासन में रखिये। इस तरीके से सदन नहीं चलेगा। आप विपक्ष को मारने के लिए ये मानव बम जो आप बना के रखे हैं, यह सब ठीक नहीं है। ये मानव बम का उपयोग आम बंद करिये। हम गंभीरता से बात कर रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- नहीं-नहीं, मानव बम सरीके खड़ा नहीं करा रहे हैं। अगर जवाब असत्य आया है तो आप लोगों ने ही बताया है। सदन की यह प्रक्रिया है कि अगर कोई मंत्री या विभाग गलत जवाब देता है तो उसका भी.....। (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- यह निर्देश ठीक नहीं है। इस प्रक्रिया में ध्यान क्यों जाये। (व्यवधान) यह गंभीर बात है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, मानव बम को विलोपित कर दिया जाये। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- वह सब विलोपित कर देंगे। आप मेरे को बोलने तो दो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी, मानव बम को विलोपित करवा दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, प्रपत्र 'ब' देखिये। 11128 करोड़ रूपया बिक्री का आवक है...।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जब मानव बम का उपयोग किया गया है, मतलब ब्लास्ट हो सकता है। (हंसी) उसकी जांच करवा लिया जाये। मानव बम कहां से आ गया, चेक करवा लिया जाये,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गंभीर बात है। मानव बम सदन में कहां से आ गया, यह महत्वपूर्ण बात है, शराब की बात कर लें, लेखा-जोखा की बात कर लें।(व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- 8200 करोड़ रूपये इसमें कहां लिखा है कि पैसा जमा हो गया है ? इसमें कहां लिखा है ? मंत्री जी गलत बयान कर रहे हैं। आप खुद पढ़कर बताईये न।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, पूरा उत्तर दिया हुआ है। कोषालय में पैसा जमा है और बाकी माल लेने में देशी, विदेशी शराब खरीदने में पैसा खर्च हुआ है। इसकी जांच की कोई जरूरत नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक बात है। 2800 करोड़ रूपये को एक अधिकारी अपने मन से बांटे। सरकार के रिकार्ड में वह बिक्री नहीं आई है। सरकार के खजाने में वह पैसा जमा नहीं हुआ है और मंत्री जी बोल रहे है कि हमें सब बता दिया। ये लिखे भी नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय और भी सुनिये, महासमुंद में, मेरे इसी प्रश्न में है, महासमुंद में 9 करोड़ रूपया अभी तक आपने नहीं वसूला। जो डकैती, गबन हुई है और उसमें कोई कार्यवाही भी नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, प्रपत्र 'स' देखिये, इस तरह से 2900 करोड़ रूपया, आप धान के लिये परेशान हो रहे हैं, 2900 करोड़ रूपया गबन तो आपके विभाग के अधिकारी लोग कर रहे हैं। आपके नीचे कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी और आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अध्यक्ष जी ये बहुत गंभीर मसला है इसमें मैं सदन की समिति से जांच कराने की मांग करता हूँ और जो-जो अधिकारी इसमें हैं कौन-कौन, आप उसका नाम भी नहीं बताये हैं उनको निलंबित करने की घोषणा करिये और एफ.आई. आर.।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैं इसमें विचार कर लूंगा। श्री ननकीराम जी कंवर।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा।

अध्यक्ष महोदय :- श्री ननकीराम जी कंवर, वरिष्ठतम सदस्य हैं। मैं जांच कराऊंगा बोल तो रहा हूँ। मैं करा दूंगा। आपने कहा तो मुझे यह देखना है जांच कराने लायक है तो मैं करा लूंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हो ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कौन एक्साईज का ऑफिसर है जिसको आपने निलंबित किया है, उसके नाम की घोषणा करिये और उनके ऊपर पहले एफ.आई.आर. कराने की यहां पर घोषणा करिये।

अध्यक्ष महोदय :- हम जांच करवा देंगे अगर जरूरत होगी, तब न ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाद में फिर जांच होगी ये 2800 करोड़ की।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझ गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन अधिकारी है? जो इसके लिए जिम्मेदार है? उसका नाम बताये? आपने प्रश्न में कहा है मेरे प्रश्न में जवाब भी दिया है कि हमने आबकारी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की। आप नाम बताईये कि किस स्तर का अधिकारी है? निलंबित किये हैं नहीं किये हैं ? उसका नाम बताईये, आप ही पढ़कर लिखे हो।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था आने के बाद भी इस तरह की बात कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं नहीं लिखा हूँ। आप इसमें लिखे हैं कि संबंधित आबकारी अधिकारी/कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। कौन अधिकारी है उसका नाम बताईये ? किस लेवल का है उसका नाम बताईये ? और उनके ऊपर एफ.आई. आर. करेंगे या नहीं करेंगे यह बताईये ? माननीय मंत्री जी बताईये आप आराम से बैठ गये हो।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश के बाद भी इस तरह से किया जा रहा है। नाम पुराने जाने के बाद भी। यह अच्छी बात नहीं है। आपके फैसले पर चुनौती देना। आपका फैसला आने के बाद मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। जिसका नाम पुकारा गया है उसका प्रश्न पढ़वायें।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न किया था। हम लोग 4 हजार करोड़ रूपये वसूल किये हैं। एक महासमुंद का मामला है ये हमारे समय का नहीं है। इनके समय का है।

श्री धर्मजीत सिंह :- किसी के समय का हो। मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ कि उस समय का है। (व्यवधान) आप नाम बताईये कि कौन अधिकारी है? ये बहुत गंभीर मामला है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे समय में उस अधिकारी को निलंबित कर दिया है और 10 लोगों को जेल भेजा गया है। (व्यवधान) और आबकारी अधिकारी निलंबित है, उसको पुलिस कार्रवाई कर रही है।

अध्यक्ष महोदय :- सुनिये। पुलिस और आपका आबकारी अधिकारी कौन है, उसका नाम पूछ रहे हैं?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवीण वर्मा को सस्पेंट किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- क्या वर्मा?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवीण वर्मा और जरूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस जांच में है और 10 लोगों को जेल भेज दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :-10 लोगों को जेल भेज दिया है और उसको सस्पेंट कर दिया है आगे जो होगा मैं देख लूंगा।

अप्रकाशन/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इसमें सैकड़ों जेल जाएंगे। एक दूसरा समुद्र सिंह अभी वहां बैठा है। ऊपर से सब खेल करता है। (व्यवधान) मैं इसकी जांच की मांग भी करूंगा। आप इसको सदन की समिति से जांच करा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- ननकीराम जी कंवर वरिष्ठतम् सदस्य हैं। पहली बार प्रश्न आ रहा है उनको प्रश्न कर ने दीजिए।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शराबबंदी कर दीजिए। लखमा जी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शराब बंदी कर दीजिए।

<u>जिला कोरबा में मनरेगा के तहत स्वीकृत राशि</u>

9. (*क्र. 338) श्री ननकीराम कंवर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिला में केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के द्वारा मनरेगा के तहत वर्ष 2017-18 में किन-किन विभागों को कुल कितना राशि कितने कार्यों के लिये दी गयी ? कितनी राशि खर्च हुई ? (ख) मनरेगा के तहत कोरबा जिला में गौठान निर्माण में कितनी राशि खर्च हुई ? (ग) रामपुर विधान सभा क्षेत्र की किस-किस ग्राम पंचायत में गौठान निर्माण किया गया है ? गौठान निर्माण में मनरेगा से कितनी राशि खर्च की गई है ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) जानकारी ††[5] संलग्न प्रपत्र ''अ'' में दर्शित है. (ख) राशि रु. 571.06 लाख खर्च किया गया है. (ग) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र ''ब'' में दर्शित है.

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वैसे जरूरत पड़ती है तो आपसे निवेदन कर लेता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एक गोठान के लिए आप कितनी राशि स्वीकृत करते हैं ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, और भी पूछा है, वह भी जानकारी दे दूं।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वैसे और पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- एक-एक करके प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के मनरेगा के संदर्भ में भी जानकारी चाही है तो 40 हजार, 687 कार्य कराये गये हैं 142.56 करोड़ के, दिये गये राशि 68.42 करोड़, व्यय राशि, उतना पूर्ण कार्य 37 हजार 966, अपूर्ण कार्य 2 हजार 721। कोरबा जिले में गोठान के लिए शायद आपने जानकारी चाही थी तो पंचायत एवं

[5] परिशिष्ट "छ:"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से 88 गोठान वहां पर स्वीकृत हुए हैं। मनरेगा के माध्यम से 22.31 करोड़ के, व्यय राशि 5 करोड़ 71 लाख रूपए।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं। मैंने पूछा है कि एक गोठान के लिए कितनी राशि स्वीकृत करते हैं और उसमें क्या नार्म्स हैं? किसी में आपने जीरो दिया। एक मिनट। आपने किसी में जीरो खर्च बताया। किसी में 12 लाख खर्च बताया। किसी में 30 हजार खर्च बताया। तो आपके नार्म्स क्या हैं? और मैंने ये पूछा है कि मनरेगा से कितनी राशि दिये हैं?और दूसरे मद से कितनी राशि दिये हैं यह बतला दीजिए? एक भी उत्तर नहीं आया।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एस्टीमेट प्रारंभिक रूप से बनाया गया था और अगर कहें तो मैं कितने कार्य के लिए स्वीकृत हुआ था कोरबा विकासखण्ड के मैं कुछ पढ़ देता हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न का उत्तर आना चाहिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप उत्तर तो देने दीजिए। समय खत्म हो रहा है। इतने वरिष्ठ साथी हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा कितनी राशि ?मैं स्पेसिफिक प्रश्न का स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ। अगर आप सुन लेंगे तो।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय राजा साहब, आपके पास सब कुछ है। आप केवल यह बता दीजिये कि गौठान का पूरे प्रदेश में एक स्टीमेट है उसका अलग-अलग स्टीमेट है अलग-अलग प्राक्कलन हुआ है आप पहले यह बता दीजिए?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्टीमेट कैसे हो सकता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसमें मनरेगा के अतिरिक्त आपने कितना पैसा अलग से दिया?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्नकाल खत्म होने वाला है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कैसे हो सकता है ? जमीन का आकार अलग हो सकता है, जमीन का प्रकार अलग हो सकता है कहीं पर फिलिंग ज्यादा हो सकती है कहीं शेड का प्रकार अलग हो सकता है तो राशि एक तो हो ही नहीं सकती। एक अनुमानित राशि के आधार पर काम स्वीकृत किया जाता है।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना भी हो तो जीरो तो नहीं लग सकता न ? कौन सी ऐसी पंचायत है ? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जो भी जानकारी होगी, आपको दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे **भारतीय संविधान के अंगीकरण की सत्तरवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चर्चा**

अध्यक्ष महोदय :- आदरणीय साथियों आज 26 नवंबर है। आज के दिन को हम पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रथम अवसर है कि संविधान दिवस के अवसर पर ये चर्चा प्रांरभ कर रहे हैं। आप सब लोग चर्चा करेंगे और इस विषय पर केन्द्रित यह पहली चर्चा है जो कि ऐतिहासिक बनने वाली है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो भी संविधान दिवस के अवसर पर संविधान को समर्पित करना चाहें, अपने भावों को समर्पित करिये। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 26 दिसंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को समर्पित किया। उसको आज हमने जो अपनाया है, उसको हमने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, इसलिए आज संविधान दिवस की सत्रहवीं वर्षगांठ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज की कार्यवाही अविस्मिरणीय होगी, मैं इस बात को जानता हूं, ऐतिहासिक भी हो सकती है। मैं आप सभी सदस्यों को आज के दिवस की बधाई देना चाहता हूं और देश के उन महान विचारकों, बुद्धिजीवियों, समाजसेवकों, राजनीतिज्ञों सहित विभिन्न क्षेत्रों के जो विशिष्ट योगदान संविधान के निर्माण में जिन हमारे पुरखों ने दिया है, उनको प्रणाम करना चाहता हूं, उनके योगदान को प्रणाम करना चाहता हूं, उनकी स्मृतियों को संजोना चाहता हूं। आज आप सबसे कहूंगा कि आज हम सब अपनी कृतज्ञता अर्पित करें, उन सब बुजुर्गों के प्रति जिन्होंने हमें भारत का संविधान दिया है।

मुझको यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है और खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ के 5 माननीय सदस्यों ने संविधान सभा में अपनी उपस्थिति दी वह थे माननीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सर्वश्री रविशंकर शुक्ल जी, बैरिस्टर छेदीलाल जी, ठाकुर घनश्याम सिंह जी गुप्ता दुर्ग, रायगढ़ स्टेट से किशोरी लाल त्रिपाठी जी, कांकेर स्टेट के माननीय रामप्रसाद पोटाई जी थे, यह छत्तीसगढ़ के 5 लोगों ने अपने कठिन परिश्रम और श्रम से संविधान सभा को सिंचित किया। मैं उनको भी प्रणाम करना चाहता हूं। उनके प्रति आदर व्यक्त करना चाहता हूं। इस बीच में ये कहना भी चाहता हूं कि यह हम सबका सौभाग्य है कि छत्तीसगढ के 5-5 लोगों ने संविधान सभा में अपनी उपस्थिति दी, अपनी भागीदारी दी और अपना कर्तव्य निभाया। मेरे ख्याल से विधानसभा में भी मैं चाहूंगा कि हमारा जो संवैधानिक कर्तव्य बनता है या जो हम यहां सीख रहे हैं, उसको इस तरह से संपुष्ट करें, इस तरह से विकसित करें कि हम भी आगे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के नाम को रोशन कर सकें। छत्तीसगढ में जहां भी कोई इस तरह से उभार ले रहा हो या अपनी उपस्थिति दे रहा हो, उसको भी आप सब पोषित करें ताकि हम ऊंचाईयों तक पहुंच सके।

भारतीय संविधान विश्व के लिए एक आदर्श है। विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, रीति-रिवाज, रहन-

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सहन, खान-पान का अदभूत संगत तो है ही, तमाम विविधताओं के बावजूद भी हमारे हृदय में बहने वाले जो एकता की अंतरधारा है, वही हमारे संविधान की पहचान बनी है बनी है । भारतीय संविधान केवल नियम-कानून की किताब ही नहीं, एक जीवंत दस्तावेज है और मानवीय मूल्यों के प्रति हमारे संघर्ष का, हमारी वचनबद्धता का, सामाजिक न्याय का सर्वोदय के प्रति हमारी जो आस्था है, उसको हम संविधान में प्रतिबिंबित देखते हैं । स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है और ऐतिहासिक सत्य है, उसमें मैं यहां थोड़े शब्दों में बयान करना चाहता हूं। आप सब अपनी बात कहेंगे, रखेंगे । मैं उसका स्वागत् करूंगा । प्रथम बार पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक संविधान सभा की आवश्यकता की मांग उठाई । इस प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में स्वीकार कर लिया था । महात्मा गांधी जी ने, हालांकि आज उस शब्द को कहना उचित नहीं है । फिर भी 15 नवम्बर 1939 को अपनी पत्रिका में उन्होंने कहा था कि जवाहर लाल नेहरू ने मुझे अन्य बातों के अलावा एक संविधान सभा में निहितार्थ अध्ययन के लिए विवश किया है । जब उन्होंने पहली बार इसे कांग्रेस के प्रस्ताव में पेश किया तो लोकतंत्र के तकनीकी पहलुओं के बारे में उनके श्रेष्ठ ज्ञान में मेरा विश्वास होने के कारण मैंने इसे सहर्ष स्वीकार किया । यद्यपि, मैं संदेह से पूरी तरह मुक्त नहीं था । लेकिन वास्तविक तथ्यों ने मुझे रूपांतरित कर दिया और संभवत: इसी कारण इस विचार के बारे में जवाहर लाल नेहरू की तुलना में मैं अधिक उत्साही बन गया । यह हमारे महात्मा गांधी जी के शब्द थे, जो कि किताबों में अंकित हैं । जब 1946 में संविधान सभा की पहली सभा हुई तो इसमें पंडित जी ने कहा था कि हमने उच्च साहसिक कार्य किया है । एक राष्ट्र के सपनों और आकांक्षाओं को मुद्रित कर लिखित रूप में आकार देने का पुनीत कार्य आज प्रारंभ हुआ है । आपने देखा कि एक पवित्र ग्रंथ कहिए, एक पवित्र साहित्य कहिए, एक पवित्र किताब कहिए उस रूप में आज हमारे बीच में हमारा संविधान आया है । आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे भी । चूंकि यहां बहुत सारे नये सदस्य हैं, उनकी जानकारी में ला दूंगा तो शायद उनको खुशी होगी ।

भारतीय संविधान सभा कांस्टीट्यूशन हॉल नई दिल्ली में बृहस्पतवार दिनांक 17 नवम्बर 1946 को प्रात: 10 बजे माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई । संविधान के मसौदे का तृतीय वाचन प्रारंभ करते हुए डॉ. बी.आर.अम्बेडकर ने हर्ष ध्वनि के साथ प्रस्तुत किया और कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि संविधान को सभा ने जिस रूप में निश्चित किया है, उस रूप में पारित किया जाए । डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई, विचार-विमार्श हुआ । उसके पूर्व, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने कहा था कि एक इतने बड़े महान् कार्य को पूरा करने पर मैं इस सभा को बधाई देना चाहता हूं । ऐसा करने से पूर्व मैं कुछ उन तथ्यों का वर्णन करना चाहता हूं जो इस कार्य की महानता को प्रकट करेंगे । जिनको हमने लगभग 3 वर्ष पूर्व हाथों में लिया था । संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जिस रीति को संविधान सभा ने अपनाया, वह था

अशोधित/असंपादित/प्रकाशन के लिए नहीं

सर्वप्रथम विचारणीय बातें निर्धारित करने का जो लक्ष्य संकल्प के रूप में, जिसका एक ओजस्वी भाषण पंडित जवाहर लाल नेहरू ने शुरू किया । आज हम देखते हैं कि संविधान में प्रस्तावना के रूप में संदर्भित है । ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है लेकिन एक-दो बात जरूर कहूंगा । भारत के संविधान को 26 नवम्बर 1949 को अपनाया गया । इसलिए आज 70 वीं वर्षगांठ है । माननीय सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को इस पर अपने हस्ताक्षर किये । जिनकी संख्या कुल 284 थी । जिस समय इस संविधान पर हस्ताक्षर हो रहा था, उस समय बाहर बारिश भी हो रही थी । बाहर हो रही बारिश को उस समय शुभ शुगन के रूप में संविधान सभा के सदस्यों ने देखा । हमारे लिए वह शुभ शुगुन, संविधान के रूप में है । मैंने, आपने, सबने जाना है कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करने की तिथि नियत की थी । तब से संविधान सभा का अस्तित्व भी खत्म हुआ और 1952 में एक नई संसद के गठन तक, भारत की अंतिरम संसद के रूप में इस संविधान सभा को विरत किया गया । आज हम उन सभी पुरखों को और सभी सदस्यों को जिन्होंने हमें संविधान दिया है, उसके प्रति नतमस्तक होते हुए मैं आपको एक प्रस्तावना के संबंध में आपके सामने जिसे हम संविधान का आत्मा कह सकते हैं, रखूंगा। उसके बाद उसकी पवित्रता आपको देखनी है, जिसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं। उसे आप परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं या आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, उसे हमारा उज्जवल भविष्य स्वीकार करते हैं। मैं उस प्रस्तावना को आपके सामने पढ़ता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, 1949 को को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जो चर्चा के आरंभ में मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इनकी विभिन्न शाखाओं पर विभिन्न विषयों पर आपसे चर्चा आमंत्रित करता हूं। मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि हम लोग संविधान सभा की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसकी गंभीरता को समझेंगे और उसी गंभीरता के साथ विचार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के इस ऐतिहासिक दिन का गवाह इस सदन में मौजूद छत्तीसगढ़ के 5वीं विधान सभा के सभी साथी सदस्यों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आज हम 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने इसमें विशेष चर्चा आयोजित कर संविधान और लोकतंत्र के प्रति एक बार फिर से जनप्रतिनिधियों की आस्था को अभिव्यक्त किया है। अध्यक्ष महोदय, जिस संविधान ने हमें ताकत दी, हम किसी अराजक राज की बजाय एक व्यवस्थित लोकतांत्रिक राज बने और आज तक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संविधानवाद के नाम से विचलित हुए उस संविधान को भी सलाम करता हूं, जिसके प्रति अपना आदर अभिव्यक्त करता हूं। जिस संविधान ने हम सभी देशवासियों को समता का अधिकार और इंसानी गरिमा दी व दुनिया में हमें एक अलग पहचान दी, जोकि आज 7 दशकों के बाद भी हम सभी देशवासियों के लिए महज एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक आस्थाओं का प्रतीक है। उस महान संविधान के प्रति अपनी दृढ़ आस्था को दोहराता हूं। मैं संविधान सभा और देश के विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं, विचारों और वर्गों के प्रतिनिधि और उसके विद्वान सदस्यों को भी सादर नमन करता हूं। मैं संविधान सभा के उन शानदार बेमिसाल बहसों के प्रति भी गर्व महससू करता हूं, जिनकी बदौलत आज हमारे देश, भारत गणराज्य का संविधान दुनिया के सामने लोकतंत्र की ताकत का एक गौरवशाली उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद जी सिन्हा, फिर उसके बाद अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बने और संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डॉ0 भीमराव अंबेडकर को सादर नमन करता हूँ। इस संविधान के निर्माण में डॉ0 साहब की भूमिका से इस देश का बच्चा-बच्चा परिचित है। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी याद करना चाहता हूँ, जिनका दर्शन हमारे संविधान की आत्मा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पं0 जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे विद्वानों को कैसे भूल सकता हूं, जिनकी वैचारिक दृढ़ता की छाप इस संविधान में स्पष्ट है। तमाम वैचारिक मतभेदों के बावजूद भी मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी याद करना चाहता हूँ, जो इस संविधान सभा के सदस्य थे। मैं अपने क्षेत्रीय अनुराग के कारण भी इस संविधान सभा में शामिल पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम दास गुप्ता, डॉ0 हरि सिंह गौर, किशोरी मोहन त्रिपाठी, राम प्रसाद पोटाई, बैरिस्टर छेदीलाल, रघुवर जी, गनपत राव दानी, बी0ए0 मंडलोई, राजकुमारी अमृत कौर, बृजलाल मियाणी, सेठ गोविन्द दास, हरी विष्णु कामत, फ्रेंक एंथोनी, काजी सैय्यद करीमुद्दीन जैसे उन तमाम मनीषियों को भी सादर स्मरण करना चाहता हूँ, जो संविधान सभा के सदस्य थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विन्रम कामना है कि आज हम सब जोरदार तरीके से महान संविधान के प्रति अपना विश्वास और उसकी रक्षा करने के लिए संकल्प और मूल्यों को आत्मसात करने के लिए, देश के लोकतन्त्र को जिंदा रखने के लिए अपनी वचनबद्धता को पुरजोर तरीके से दोहराये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गर्व का दिन है और चिंतन का मौका भी है। हम गर्व उस प्रस्तावना पर भी जो यह कहती है, जिसके बारे में आपने कहा, मैं उसे फिर से दोहराना चाहता हूँ।

"हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी पंथ, धर्म निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, निस्वार्थ, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखण्डता सुनिश्चित करने वाले, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

26 नवम्बर, 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

मानानीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्तावना महज कागज का टुकड़ा नहीं है बल्कि यह इस बात का उदघोत है कि भारत का गणराज्य, संविधान की ताकत देश की नागरिकों में है। अध्यक्ष महोदय, हमारी तासीर, हमारी मौलिकता, हमारा चिंतन, उसकी समतावादी आकांक्षाएं का प्रतिबिम्ब ही नहीं, बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि इस देश का हर इंसान अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए देश की सबसे बड़ी चौखट तक लड़ाई लड़ सकता है।

अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के ढेरों मुकदमें और फैसले इस बात का गवाह है कि कैसे हमारे संविधान ने देश के आम इंसान के रोज की जिन्दगी को बेहतर बनाने में मदद की है। हमारा संविधान इस बात का भी प्रतीक है कि हमारा स्वतन्त्रता संग्राम किन परिपक्व एवं प्रगतिशील लोकतान्त्रिक, वैचारिक मूल्यों से संचालित था। अध्यक्ष महोदय, हमारी संविधान सभा के दूरगामी, आधुनिक, लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण के बीच ही पहचान इस बात से होती है, जब तत्कालीन घटनाओं के बीच पड़ोसी देश खुद को एक धर्म आधारित राष्ट्र घोषित किया था, तब हमारा संविधान इस बात की घोषणा कर रहा था कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतान्त्रिक गणराज्य है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर उन सभी महानुभावों को, महान आत्माओं को नमन करता हूँ और उसके लिए पूरे देश के सभी लोगों को भी बधाई देता हूँ कि संविधान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए इस देश को एकता और अखण्डता बनाए रखते हैं। मैं उन सभी को बधाई एवं शुभकामना देता हूँ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे सामने छत्तीसगढ़ की दृष्टिकोण से देखें तो हमारे सामने भी बड़ी चुनौती है कि आज हमारे बच्चें कुपोषित हैं। हमारी महिलाएं एनीमियां से पीड़ित हैं। मैं यह कह सकता हूँ कि अभी तक उन बच्चों तक, उन महिलाओं तक संविधान द्वारा जो दिए गए अधिकार हैं, वे पहुंच नहीं पाये हैं, उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी इस सभा की है, इस सदन की है, इस सरकार की है और उसके लिए हम सब कटिबद्ध हैं। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कुपोषण के खिलाफ जंग का एलान किया है । चिकित्सा के खिलाफ चिकित्सकीय व्यवस्था है, जो दूरस्थ अंचलों में नहीं पहुंच पा रहा है, उनके घरों और देहरी तक पहुंचाने का संकल्प हमने लिया है । हमने बस्तर के आदिवासियों की जमीन लौटाकर उनके सम्पत्ति के कानूनी अधिकारी की रक्षा की है । हमने ये भी प्रयास किया है कि आज पत्रकारों को सुरक्षा का कानून दिया जाए, ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें हासिल हो सके ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि यह संविधान जन-जन तक पहुंचे और इसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम हमारे स्कूल हो सकते हैं और इसलिए इसकी जो प्रस्तावना है, वह हर स्कूल में प्रार्थना के बाद इसकी प्रस्तावना पहले सोमवार को, द्वितीय सोमवार को मूलभूत अधिकार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

का पाठन और तृतीय सोमवार को मूलभूत कर्तव्य और चतुर्थ सोमवार को निर्देशक सिद्धांत ये सभी स्कूलों में इसका वाचन किया जाए, ताकि संविधान हमें किस प्रकार से अधिकार और कर्तव्य का बोध कराता है, इसकी जानकारी हो सके, ताकि हमारे बच्चे अच्छे नागरिक बनें, यह बहुत जरूरी है । बाबा साहब अम्बेडकर ने अगाह किया था, मैं उस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे अमल में लाने वाले खराब हुए तो संविधान भी खराब सिद्ध होगा और इसलिए जरूरी है कि संविधान के प्रति हम लोग जागरूक रहें, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें और जो परम्परा चली आ रही है, उसका निर्वहन करें । इन्हीं शब्दों के साथ आज पुन: इस अवसर पर देश की एकता और अखण्डता बनाए रखने में संविधान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए पुन: उसके लिए अपनी दृढ़ आस्था व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए ऐतिहासिक अवसर है कि 26 जनवरी, 1950 को जिस संविधान को लागू किया गया और 26 नवम्बर को इसको देश के सामने स्वीकार किया गया और उस परिप्रेक्ष्य में आज संविधान दिवस के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को इस सभा के सभी सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2015 में संसद में लोकसभा में पहली बार संविधान दिवस के रूप में मनाया गया और तब से यह परम्परा संसद में चली आ रही है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उसका अनुकरण करने का अवसर इस विधान सभा को प्राप्त हुआ और जिसमें आज हम सब मिलकर इस संविधान के प्रति चर्चा करेंगे ।

समय :
12:24 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की विधान सभा में आज हम सबको जो अवसर प्राप्त हुआ है और आपने एक नई शुरूआत की । मेरी जानकारी में यह प्रथम अवसर है और हम सबको इसमें शामिल होने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । निश्चित रूप से जब संविधान पर चर्चा होगी तो यहां जो हमारे अनुभवी सदस्य हैं और नये सदस्य भी हैं, जो चर्चा में भाग लेंगे और भाग लेने के बाद में जो उनका अनुभव है, संविधान के प्रति उनकी जो आस्था है, उनके जो संविधान को लेकर उसको अंगीकृत करने का निश्चित रूप से एक दूसरे के विचारों का, अनुभव

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

का लाभ इस माध्यम से हमको प्राप्त होगा और यह संविधान के ऊपर केन्द्रित करके इन सारे विषयों पर सदन के अंदर में चर्चा होगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान हमारे लिए केवल कानून का ही दस्तावेज नहीं है बल्कि हमारी जीवनशैली, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, राष्ट्र निर्माण के कठिन संघर्ष के जीवन दास्तां है । हमें अपने संविधान पर गर्व है, आज हमारा संविधान एक विश्व के लिए आदर्श है, संविधान दिवस के इस पुनीत अवसर पर मैं देश के असंख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सादर नमन करता हूँ । मैं नमन करता हूँ, इस विधान सभा के माननीय सदस्यगणों को, जिनके अथक प्रयासों से हमारे संविधान ने मूर्त रूप ग्रहण किया । मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय अपने संविधान के प्रति सम्मान का भाव बनाये रखे । यही हमारा वास्तविक राष्ट्रप्रेम होगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान दिवस के अवसर पर इस छत्तीसगढ़ के विधान सभा में जो हम सब को यहां पर चर्चा करने का विषय मिला है, निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि कितना भी प्रगति कर ले, विकास के 9 सोपानों को सृजित कर ले, हमें अपने अतीत के मूल्यों से जुड़े रहना होगा, तभी हमारा विकास सार्थक कहलायेगा । माननीय सभापति महोदय, आज हम अपने संविधान सभा और संविधान के विषय में सदन में जो चर्चा का अवसर प्रदान किया है, निश्चित ही हम इससे लाभान्वित हुये हैं । माननीय सभापति महोदय, उस समय जो संविधान की समिति बनाई गई, समिति के अध्यक्ष डॉ.भीमराव अम्बेडकर जी रहे, उसके साथ ही साथ में उस समिति में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के हमारे पांच पंडित रविशंकर शुक्ल जी, बैरिस्टर छेदीलाल, हमारे बिलासपुर से, दाऊ घनश्याम सिंह जी, दुर्ग से साथ ही हमारे कांकेर से श्याम प्रसाद जी पोटई, रायगढ़ से किशोरी मोहन त्रिपाठी, आज उनको भी इस अवसर पर नमन करता हूँ । आज जो हमारा संविधान सामने में है, उस संविधान में अलग-अलग खण्डों पर विचार करने का अवसर आया । उस निर्माण के समय में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसके लिए आज उनको यहां पर नमन करता हूँ । माननीय सभापति महोदय, जब इसका स्क्रिप्ट लिखा गया, इसमें लिखने की बारी आई, निश्चित रूप से भूलना चाहूंगा, नरसिंहराव जी, बी.एन.राव जी, की इस स्क्रिप्ट में महत्वपूर्ण भूमिका रही है । सभापति महोदय, हमारे संविधान का निर्माण ऐसा ही नहीं हुआ है, बल्कि विश्व के अनेक जो राष्ट्र हैं, अनेक राष्ट्रों के संविधान के जो मूल चीजें हैं, जो अच्छी बातें हैं, चाहे उसमें मौलिक तत्व हो, उसमें हमारे आयरलैण्ड का हो, हमारे जापान का हो, जर्मनी का हो, अमेरिका का हो, 7 राष्ट्रों के संविधान का अध्ययन किया गया । अध्ययन करने के बाद में नीति निर्देशक तत्व से लेकर, मूल अधिकार से लेकर, उन सारी बातों का इसमें समावेश करने का प्रयास किया गया, आज इस बात को लेकर निश्चित रूप से गौरवान्वित हैं कि भारत का संविधान पूरे विश्व के सामने में एक आदर्श संविधान है । हम यदि लिखित में बात करेंगे तो हमारा सबसे बड़ा संविधान है । माननीय सभापति महोदय, जब हमारी संविधान की रचना हुई, उस समय 284

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

सदस्यों ने अपना इसमें सहयोग दिया और इसके साथ बहुत सारे लोगों का है । इसका निर्माण करने में 2 साल 11 महीने 18 दिनों का समय लगा है । तब हमारा संविधान तैयार हुआ । माननीय सभापति महोदय, 11 सत्रों में 165 दिन इसके निर्माण करने में जो समय लगा, 114 दिन इस संविधान के प्रारूप में विचार करने के लिए समय लगा, बाकी जो उसमें अनुसूचित क्षेत्रों में से लेकर जनजाति के और बाकी जो कालखण्ड उनके हैं, संविधान के अंतर्गत जिन अधिकारों का उल्लेख किया गया, माननीय सभापति महोदय, इस संविधान के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है आज यदि सब स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं तो इस संविधान से ही यह शक्ति और अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। आज इसमें हमारे नीति निर्देशक तत्व से लेकर अनेक खंडों का समावेश हुआ है। इस संविधान के निर्माण के लिए अलग-अलग उपसमिति भी बनाई गई और इन उप समितियों के माध्यम से अलग-अलग लोगों को इसके लिए जवाबदारी भी दी गई और उस जवाबदारी के साथ सब लोगों ने काम किया तब हमारे इस संविधान का निर्माण हुआ है। ये संविधान की विशेषता है कि इसे अंग्रेजी में राजबिहारी जी के द्वारा और वैद्य जी के द्वारा इसे हिन्दी में लिखा गया है। न इसमें कोई टाईपराईटर का उपयोग किया गया है, न ही प्रिंट का उपयोग किया गया है बल्कि हस्तलिपि जो कि हाथ से लिखा गया और 1400 पृष्ठों का यह संविधान हाथों से लिखा गया है जो कि अनुकरणीय है। माननीय सभापति महोदय, हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ और उसके बाद जिस बात को लेकर हम उसकी शपथ लेते हैं, आज आप देखे होंगे कि यदि किसी भी न्यायालय में आप जाएं तो संविधान के ऊपर हाथ रखाया जाता है। माननीय सभापति महोदय, थोड़ी देर पहले इस बात की चर्चा कर रहे थे कि इसे हम आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं या परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी न्यायालय में जो उस समय हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ की और आज भी वह परंपरा कायम है कि जब आप न्यायालय में जायेंगे तो सबसे पहले संविधान को लाकर हाथ रखाया जाता है और ये कहा जाता है कि यहां पर आप जो बोलेंगे, सत्य बोलेंग। जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे का मतलब यह है कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है निश्चित रूप से उसे आत्मा या परमात्मा जो भी मानें, आज यदि हम सुरक्षित हैं, यदि आज व्यक्ति का सम्मान है, यदि आज समाज को सम्मान मिल रहा है तो यह अधिकार आज हमें संविधान से ही प्राप्त हुआ है। आज के समय में कत्व्यों की ओर ध्यान कम जाता है और अधिकारों की तरफ ध्यान ज्यादा जाता है। लेकिन संविधान में यदि कर्तव्यों की बात आई है तो अधिकारों की भी बात आई है। यदि कर्तव्यों की ओर हमारा ध्यान ज्यादा जाए और अधिकारों की तरफ हमारी बात कम रहे तो मैं समझता हूं कि वही संविधान है जो निश्चित रूप से उस समय की जो कल्पना रही है वह साकार होगी और कहीं पर कोई विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होगी। इसमें भारत के संविधान की उद्देशिका को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा :- हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा (राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता) बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ईसवी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। हम इस संविधान को जिसका उद्देश्य और जिसकी मूल कल्पना यदि इस देश को चलाना है, हमारा संघीय ढ़ांचा है तो राज्य के अधिकार भी उसमें सन्निहित हैं, केंद्र के अधिकार भी उसमें सन्निहित हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य की टकराहट न हो, संघ से राज्यों की टकराहट न हो, अपने अधिकारों के तहत सब काम करते रहें, सभापति महोदय, आप बहुत सारे विषय देखे होंगे जो कि राज्यों के लिए निहित की गई है, बहुत सारे विषय राष्ट्र के लिए निहित की गई है लेकिन कुछ ऐसे भी विषय आते हैं जिस विषय को लेकर आज भी यदि संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे विधानसभा से भी आज उसको पारित करना पड़ता है केवल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि संविधान में हमको वह अधिकार दिया गया है और जिसके कारण राज्यों का सम्मान भी यदि बढ़ा है तो यह सब संविधान के कारण ही संभव हुआ है। इस संविधान के बारे में हम जितना कहेंगे वह कम है। मूल रूप से उसको आत्मसात करना और आत्मसात करते हुए उसको अक्षरश: पालन करना। यदि हम पालन करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से कहीं पर द्वंद की स्थिति नहीं आयेगी। इसमें पंत निरपेक्ष, समाजवाद लिखा गया है, मतलब सारे चीजों से हट करके सभी का समावेश इस संविधान के अंतर्गत किया गया है। किन्तु मुझे बहुत दुख के साथ इस विषय को कहना पड़ता है कि आज हम चाहे राष्ट्र की बात करें, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की चर्चा करें या हम छत्तीसगढ़ की बात करें। जो अलगाववाद, आतंकवाद और नक्सलवाद यह आज हमें चुनौती दे रही है। जहां पर कानून का अधिकार है वे अपना दखल देना चाहते हैं। कानून को एक सीमा में रखना चाहते हैं, अपने आपको वहां पर कानून के ऊपर समझ रहे हैं, यहीं पर इस बात की आवश्यकता है कि जो संविधान में निहित तत्व हैं, उसके अंतर्गत ही राज्य चलेगा। इस संविधान के बाहर जा करके कहीं हम चला नहीं सकते और ऐसे तत्व जो सिर उठाए हुए हैं, आज उसको कुचलने की आवश्यकता है। जब हम संविधान दिवस मना रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ में यह संविधान आत्मा नहीं बल्कि परमात्मा के रूवरूप में हम इसको धारण करें और ऐसे तत्वों को कुचलने में हमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। यहां पर संविधान का राज चलेगा, कानून का राज चलेगा। यहां पर कोई नक्सलवाद का राज नहीं चलेगा। आज यहां पर संकल्प लेने की आवश्यकता है। मुझे अच्छे से याद है, जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो उस समय हमारी स्थिति क्या रही कि हमें जो अधिकार दिया गया, उन अधिकारों से भी हम वंचित रहे हैं। चाहे शिक्षा का अधिकार हो, हमारे स्वास्थ्य ईलाज का अधिकार हो, कुपोषण का सुपोषण की ओर जाने का अधिकार हो, ऐसे प्रदेश प्रदेश का जब नाम गिना जाता था तो उस समय हमारी गिनती रोगाणु

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रदेश की श्रेणी में आती थी। लेकिन राज्य बनने के बाद में जो अथक प्रयास हुआ और प्रयास होने के बाद में आज वहां से हम निकल पाने में संभव हुए हैं। ये आने वाले समय में फिर हम उस पर न घिर जायें और उस दिशा में हम न चले जाएं इसलिए हमको आज चिंतन करने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम पहले से कुपोषण से हम सुपोषण की ओर बढ़े हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। हमको जीरो में ले जा करके खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन आज भी हमको इस प्रदेश में उस दिशा में हमको कारगर पहल करने की आवश्यकता है तब शायद जा करके हम इस प्रदेश को कम कुपोषण से मुक्त सुपोषण की ओर ले जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ में जहां पर कानून की बात आती है और जहां कानून के रखवाले यदि वही कानून को अपने हाथ में ले करके असुरक्षा की भाव लोगों के बीच में पैदा कर दें तब यह परिस्थितियां और गंभीर हो जाती है। आज के इस अवसर पर जब हम संविधान दिवस मना रहे हैं तो निश्चित रूप से बाकी सदस्य भी इस पर चर्चा करेंगे और सबका अनुभव आयेगा। इसलिए मैं एक बार पुन: माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए आपको धन्यवाद देते हुए कि संविधान दिवस को आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा अंगीकृत किया गया और इस संविधान के तहत् हमारा छत्तीसगढ़ इस लोकतंत्र को और मजबूती के साथ आगे ले जाने में सहायक होंगे। मैं इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत गणराज्य का आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान निर्माता पूज्य डॉ. भीमराव अंबेडकर जी और संविधान सभा के 207 आदरणीय मनीषियों का मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जो विश्व का सबसे अच्छा खूबसूरत संविधान बनाया। इस देश के हर नागरिक चाहे हिन्दू हो, मुस्लिम हो, सिक्ख हो, इसाई हो, सभी के मौलिक अधिकारों की रक्षा जो कि व्यवस्था इस संविधान में की गई। माननीय सभापति महोदय, संविधान सभा का पहला सेशन 9 दिसम्बर, 1947 को आयोजित हुआ इसमें संविधान सभा के 207 सदस्य थे। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष श्रद्धेय भीमराव अम्बेडकर साहब थे और वे हमेशा जो इस देश के हर नागरिकों की अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा उन्होंने संविधान में प्रावधान किया। संविधान दिवस पर प्रथमतया मैं भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, एक संविधान और एक हिन्दुस्तान। संविधान के 3 प्रमुख भाग हैं पहला संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र जिसमें बताया गया है कि राज्य क्या है और उसके अधिकार क्या है ? दूसरी नागरिकता जिसमें यह बताया गया है कि भारतीय नागरिक कहलाने के अधिकार किन लोगों के पास है ? और किनके पास नहीं ? विदेश में रहने वाले कौन लोग भारतीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नागरिक के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और कौन नहीं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से...।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आपके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूरा भाषण देखकर पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- टोका-टाकी न करें।

श्री कवासी लखमा :- हमारी पार्टी वाले हैं।

श्री मोहन मरकाम :- आप कितने ज्ञानवान हैं हम देखेंगे कि आप कितने ज्ञानवान है अभी जब आपकी बारी आएगी, हम देखेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- कल आपके सभापति जी ने आपत्ति की थी। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, संविधान को तो देखकर ही पढ़ना पढ़ेगा। अपना संविधान तो नहीं बना सकते। जैसे आप अपना संविधान बनाकर बैठे हैं।

सभापति महोदय :- चलिये बोलिए। वोरा जी बैठिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है माननीय वोरा जी, आप मुख्यमंत्री जी से दिक्षा लो तो आप अपना संविधान बनाना सीख जाएंगे।

श्री अरूण वोरा :- नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी को अपना गुरू मानता हूँ। वे हमारे गुरू हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, भारत के संविधान निर्माता डॉ.भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के रूप में दुनिया के सबसे बड़ा संविधान तैयार किया। यह दुनिया के सभी संविधानों को परखने के बाद बनाया गया है। इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है जिसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 94 संशोधन शामिल हैं। यह हस्तलिखित संविधान है जिसमें 48 आर्टिकल है इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का वक्त लगा। इसके लिए 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष के तौर पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर की नियुक्ति हुई। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये। संविधान दिवस मानने का मकसद नागरिकों को संविधान के प्रति सचेत करना, समाज में संविधान के महत्व को बताना है। आज 70 साल बाद देश में जो हालात हैं देश में दो तरह की विचारधाराएं हैं एक विचाराधारा जोड़ने की और दूसरी विचारधारा तोड़ने की। एक विचारधारा जो बापू जी की पंडित नेहरू जी की और हमारे अनगिनत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की है जो देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है मगर आज देश में जो हालात बन रहे हैं देश के नियम कानून और देश के संविधान के भी ऊपर उठने का, उठकर देश को तोड़ने का काम किया जाता है। माननीय सभापति जी, "मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिन्दी हैं, हम वतन हैं, हिन्दोस्ता हमारा।" हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया, इस देश के हर नागरिक के

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मौलिक अधिकारों की रक्षा की। संविधान निर्माता श्रद्धेय रामप्रसाद पोटाई जी की बात होती है, आदिवासी अंचल से संविधान सभा में संविधान निर्माण में सदस्य बनता है, पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष बनते हैं, इस देश के हर वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से उत्थान के लिए जो संविधान में प्रावधान किया गया है, आज छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार बापू जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता के विकास के लिए कटिबद्ध है। आज इस सुअवसर पर हमें लगता है कि बस्तर के दूरस्थ अंचलों से अगर हम आदिवासी वर्ग से निर्वाचित हो कर आते हैं, मैं पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करना चाहता हूं, अगर हम निर्वाचित हो करके इस सदन में खड़े होने लायक बने हैं, यह उनकी देन है। आज उनकी देन के कारण ही पूरे देश में जो सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अगर हम आज यहां पर सदन में बोलने के लिए खड़े हुए हैं, यह कहीं न कहीं उनकी देन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं आज उन मनीषियों को भी याद करना चाहता हूं जो संविधान के निर्माण के साथ-साथ देश की आजादी के आंदोलन में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिये और हंसते-हंसते फांसी में चढ़ गये और यह देश आजाद हुआ। देश के आजाद होने के 70 सालों बाद आज ऐसी ताकतें खड़ी हो रही हैं, उनको देखने की जरूरत है। जो संविधान, नियम कानून से बढ़कर अपने आपको मानते हैं, कानून को तोड़ने का प्रयास करते हैं। माननीय सभापति जी, आज देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए ऐसी ताकतों को कुचलने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे संविधान दिवस के अवसर पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, भारत में विचार-विमर्श की बहुत सनातन और प्राचीन परंपरा रही है और कई सभायें ऐसी थीं जिसको हमारी वांगमय में और पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सभायें मानी गई हैं। राजा जनक की जो सभा थी, उस विचार-विमर्श से अष्टवक्रगीता निकली। राजा दशरथ की जो सभा थी, उससे भारतीय आध्यात्मिकता का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ योग वशिष्ठ है, वह राजा दशरथ की उस सभा से निकला।

समय :
12:49 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, महाभारत में तो सिर्फ एक सभा पर्व है। सबसे अच्छी जो सभा मानी जाती थी, वह यादवों की सभा मानी जाती थी। जो अंधकवंशी थे, जो वृष्टिवंशी थी, जो सत्तत्व थे, ऐसे जो वंश थे, उन्होंने हर महत्वपूर्ण विषय में ये सभा की कि हम कहां जायें। यदि मथुरा से द्वारिका जाना

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है तो भी विचार-विमर्श हुआ। यदि महाभारत में किसके समर्थन में लड़ना है, कौन किसके समर्थन में लड़ेगा, इसमें व्यापक विचार-विमर्श हुआ। वैशाली का गणतंत्र, जो मुख्य रूप से ग्रामसभा आई, उससे आई। भारत के प्राचीन वांगमय में थी, किन्हीं कारणों से हजार साल की गुलामी के बाद वह अपनी महान विरासत को भूल चुके थे। जब संविधान सभा बनी, मैं सोचता हूं । मैं सोचता हूं कि उस संविधान सभा में जिस वर्ग से जो लोग मनोनीत हुए और जो विचार, जिन लोगों ने प्रकट किये, वो किसी भी सभा, हमारे वांग्मय में रही होगी, चाहे वह किसी राजा की रही होगी, चाहे किसी आध्यात्म की रही होगी, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ सभा थी । अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा की जो प्रस्तावना है । अध्यक्ष महोदय, आपने क्या कहा, मैं उससे सहमत-असहमत नहीं होता । माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संविधान को लागू करना बाबा साहब अम्बेडकर की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, लागू करने वाले लोग कैसे हैं ? पूरे हिन्दुस्तान में जो संविधान में जिस शब्द पर सबसे ज्यादा बहस हुई । आज आपके द्वारा शायद उल्लेख किया गया । मैं नहीं जानता उल्लेख किया गया या नहीं किया गया, रिकार्ड में देख लीजिएगा । लेकिन इसकी प्रस्तावना में धर्म-निरपेक्ष शब्द नहीं लिखा है । प्रस्तावना में पंथ-निरपेक्ष शब्द ही है । और हमारा शुरू से यही आग्रह रहा कि हिंदुस्तान में जब से ज्ञात इतिहास है पंथ-निरपेक्ष शब्द का ही उपयोग होता रहा । मैं सोचता हूं कि 42वां संशोधन जो आया और हिंदुस्तान की राजनीति का जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द था कि जिस सेक्यूलेरिज्म शब्द से, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में जिसके शब्द बड़े व्यापक हैं । उस शब्द में 42 वें संशोधन से हिंदुस्तान में प्राचीन परम्पराओं को एक गरिमा प्रदान की गई । माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रियम्बल के वाचन के लिए जो व्यवस्था बनाई, मैं उनका समर्थन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट । आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है । जो मुझ पर भी लागू होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी लागू होता है । संविधान की प्रस्तावना में, यह 42 वें संशोधन में आया है । संविधान की प्रस्तावना में सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, शब्दों के स्थान पर सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक धर्म-निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य शब्द रखे जाएंगे । यह इस किताब में दिया हुआ है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने उसे भी पढ़ा है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कुछ नहीं कह रहा हूं । मैं आपको संशोधित कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उसको पढ़ता हूं जो आपने मुझे विधान सभा से प्रदान की।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, ये किताबें अनेक मुद्रणालय में मुद्रित होती हैं, छपती हैं । कहीं पंथ-निरपेक्ष, कहीं धर्म-निरपेक्ष, पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख होता है। सरल से कठिन भाषा में और कठिन भाषा से सरल भाषा में अनुवाद होता रहता है । इसलिए आप भावनाओं पर जाइए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- एला समझ आही तब तो ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, अध्यक्ष जी ।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- इनको संविधान पर बोलना चाहिए । संविधान को मानते हो या नहीं । संविधान को समझ रहे हो तो उसके बारे में बोलो ना, उसके संशोधन पर क्यों बोल रहे हो । उसके संशोधन पर मत बोलिए ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- एक बार समझ लो, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, आज संविधान दिवस है । [6] [xx] यही तो संविधान की ताकत है । (व्यवधान)

श्री मनोज सिंह मंडावी :- धर्मजीत भइया, हम भी तो वही बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष जी, लखमा जी पढ़े नहीं हैं लेकिन गढ़े हैं ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, यह आरोप लगाते हैं । केवल ये ही चुनकर नहीं आते हैं । मैं भी जनता से चुनकर आता हूं । (व्यवधान)

श्री मनोज सिंह मंडावी :- दूसरी बात, जो संविधान के मनीषी हुए, महात्मा हुए, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उस रीति नीति पर चलने के आप इच्छुक हैं या नहीं हैं । यह बोलिए ना ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैंने तो कुछ कहा नहीं । मैंने तो कुछ आपत्तिजनक बोला नहीं । कोई आपत्तिजनक बात हो तो मैं आपसे क्षमा मांग लूं ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, ये बार-बार विधान सभा में ऐसी बातें कहते हैं । ये ही पढ़ा लिखा होने से विद्वान हो गये क्या ? (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, मेरी बात गलत हो तो आप देख लीजिए और उसको निकाल दीजिए । लेकिन मैंने उनको लेकर कोई गलत बात नहीं बोला । यही तो संविधान की खूबसूरती है कि संविधान संशोधन के बारे में....।

श्री कवासी लखमा :- ये ही लोग समझदार हैं क्या, हम लोग नहीं हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- कौन कितना पढ़ा है यह बड़ी बात नहीं है, संविधान को कौन कितना मानता है, यह बड़ी बात है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा, आपको बुरा क्यों लग रहा है ? मैंने तो आपकी तारीफ किया कि आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं ।

श्री अरूण वोरा :- आपने कहा कि लखमा जी सरीखे । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- इसके लिए मैं आपसे खेद प्रकट करता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैंने डॉक्टर कहा उसके लिए खेद प्रकट करता हूं ।

---

[6] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, क्या यहां डॉक्टर लोग ही चुनकर आते हैं । यह जनता का अपमान है । मैं आदिवासी हूं । इन्होंने आदिवासियों का अपमान किया है । अध्यक्ष जी इसको विलोपित कीजिए ।

श्री रामकुमार यादव :- बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है कि गांव का गरीब आदमी भी सम्मानपूर्वक रहे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैंने डॉक्टर कहा उसके लिए खेद प्रकट करता हूं।(व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- प्रस्तावना में बताया गया है कि व्यक्ति की गरिमा है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने पहले भी कहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। गंभीरता से चर्चा कीजिए। उसकी व्याख्या पर उठे उंगली की ओर मत जाइए और आप सबसे निवेदन है कि धैर्यपूर्वक सुने और धैर्यपूर्वक बात करें।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बोलूं?

श्री बृहस्पत सिंह :- सदन में हमारे आदिवासी मंत्रियों को ऐसा बोलकर अपमान करे, यह बहुत गंभीर बात है। इनको क्षमा मांगना चाहिए।

श्री कवासी लखमा :- बहुत गंभीर बात है..।

श्री बृहस्पत सिंह :- इस पवित्र सदन में हम छत्तीसगढ़ का कानून बनाते हैं। छत्तीसगढ़ को चलाने के लिए संविधान बना है। (व्यवधान) इस तरह से बोल कर बार-बार अपमानित कर रहे हैं। यह बहुत गंभीर बात है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप गलत दिशा में जा रहे हैं। सभी माननीय सदस्य हैं। आप माननीय सदस्यों के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। एक मिनट मैं आपको याद दिला रहा हूं। एक मिनट। एक दिन की घटना की मैं आपको याद दिला रहा हूं। एक मिनट, मैं अपनी बात बता देता हूं फिर आप बोले..।

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी, इस पवित्र सदन में छत्तीसगढ़ को चलाने के लिए कानून बनाते हैं। (व्यवधान) मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं। आदिवासी मंत्रियों की खिल्ली उड़ायी जा रही है। यह गंभीर बात है। उनको क्षमा मंगवाया जाए।

श्री ननकीराम कंवर :- क्षमा तो मांग लिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बैठिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं एक बात कहना चाहता हूं..।

श्री कवासी लखमा :- बार-बार उसी बात को बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने खुद सुना है। उसमें जो भी बातें होंगी, मैं उसे विलोपित कर दूंगा। आप लोग इस पर मत जाइए। मैंने खुद सुना है। क्या-क्या बातें हुईं? कितना किसी को हर्ट करने के लिए है या नहीं है? आप शांति से रहिए। मैं उसे विलोपित कर दूंगा, अगर ऐसा कोई शब्द अया है तो।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- लेकिन अध्यक्ष जी, बार-बार एक ही बात को बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं।

श्री अजीत जोगी :- बृहस्पत जी, उसका समापन हो गया है।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने संविधान की विशेषता को बतलाया है। बतलाते समय उन्होंने कहा है कि संविधान ने हमें जो ताकत दी है, उसे चन्द्राकर जैसे लोगों को ये समझा रहे हैं। यह बात कही है। मैं इतना जानता हूं। फिर भी उनको बुरा लगे। उन्होंने माफी भी मांग लिया है। प्लीज, आप उसे गलत दिशा में मत ले जाइए।

श्री बृहस्पत सिंह :- इतने बड़े विद्वान है फिर भी बार-बार अपमानित करने का काम करते हैं। इनको लगाम तो लगाइए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। (हंसी) माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आपसे मेरी एक विषय में चर्चा हुई थी। आपने अनौपचारिक रूप से व्यवस्था दी थी कि जो चीजें विधान सभा में वितरित हुई हैं, उसे हम मानेंगे। जो विधान सभा में जो पुस्तक वितरित हुई है, उस संविधान की पुस्तक के प्रीएम्बल्स में यह लिखा है- हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों में गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए है। तो मैंने उसी को ही पंथ निरपेक्ष पढ़ा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आगे बढ़िए।

श्री अजय चन्द्राकर :- देश की हमारे संविधान में महत्वपूर्ण चीजें हैं। देश का सबसे बड़ा संविधान है। जहां तक मैं जानता हूं। मैं किसी बात का खण्डन नहीं कर रहा हूं। डिबेट पूरे सुरक्षित हैं। हिन्दी में 10 खण्डों की एक किताब मेरे पास है। अंग्रेजी में है। संविधान सभा के गठन का पहली राय कम्युनिस्ट पार्टी के एम.एम. राय ने सन् 1934 में प्रकट की। उसके बाद सन् 1935 में उसे कांग्रेस ने अपनाया। उस समय कांग्रेस देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी थी, जिसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। देश की आजादी के बाद हमारा जो संविधान है, देश का सबसे बड़ा संविधान बना, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक कागज खोज लेता हूँ।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह संविधान देश की आजादी के बाद बना है साहब। देश की आजादी के पहले का आप कहानी ले गए।

श्री सौरभ सिंह :- बृहस्पत सिंह, आप क्यों हर चीज में उठ जाते हैं ? आपने विन्रम निवेदन है कि ..।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- मेरा विन्नम निवेदन है कि वे वरिष्ठ, विद्वान हैं, उनको बताईये कि उटपटांग बोलने की विद्वता वे प्राप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 5 सदस्य हैं, उनका जो योगदान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कागज इधर-उधर हो गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, उस खण्ड को विलोपित करिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- ये मनगढ़ंत बनाते हैं, तो विलोपित..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किशोरी मोहन त्रिपाठी जी, ठाकुर सोहन पोटाई जी, घनश्याम प्रसाद जी गुप्त और रविशंकर शुक्ल जी, छेदी लाल जी ठाकुर, हमारी उसकी पीढ़ी के परिवार के अकलतरा में पैदा हुए, ये यहां पर मौजूद हैं। उन पांचों में से दो लोगों ने सरदार पटेल को मेमोरेण्डम दिया कि देश की रजवाड़े के लिए दो लोगों ने किशोरी मोहन त्रिपाठी और सोहन पोटाई जी ने, भाषा, यह डिबेट की कापी मेरे पास है कि घनश्याम जी गुप्त ने हिन्दी की भाषा के लिए उसमें विचार-विमर्श किया। मेरा इन सब बातों को बोलने के पीछे इतना कहना है कि यदि ये पांचों लोगों का जो योगदान संविधान सभा में है, उनको प्रकाशित करके जो बहस है, उनको छत्तीसगढ़ के आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सोहन पोटाई नहीं है, राम प्रसाद पोटाई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- राम प्रसाद पोटाई।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :-हां, आप बार-बार सोहन पोटाई बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि सभा सहमत है। भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो पांचों सदस्य थे, उन्होंने संविधान सभा में जिन बातों को कहा है, उसे हमको प्रकाशित करवाना चाहिए। विधान सभा की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करके उसको प्रकाशित करेंगे। यह छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपके विचार से सहमत हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे और आगे की कार्यवाही करेंगे।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, सोहन पोटाई की जगह राम प्रसाद पोटाई लिखियेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सेन्ट्रल हाल में इन पांचों की फोटो भी लगाई जाये कि ये हमारे संविधान सभा के सदस्य थे। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को पूरी जानकारी मिलेगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य जो सोहन पोटाई कह रहे थे उसको राम प्रसाद पढ़े।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने राम प्रसाद पोटाई मान लिया।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- नहीं, आप मान रहे हैं, अध्यक्ष महोदय को कह रहा था।

अध्यक्ष महोदय :- संशोधित है भाई।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संविधान, निर्माण सभा के 379 सदस्य, 02 वर्ष 11 महीने 18 दिन यह बना। 26 नवम्बर, 1949 को तैयार हुआ। 444 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना। हमने इसको कुल 9 देशों से ग्रहण किया। अभी राजनीतिक परिदृश्य में लागू करने में बाबा साहब के योगदान के बारे में मोहन मरकाम जी ने बातें कहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, लागू करने वाले लोग कैसे होते हैं ? स्वतन्त्रता के बाद इसमें दो-तीन चीजें महत्वपूर्ण हुई, जिसको मैं कह रहा हूं। हमको कहा जाता है कि हम जर्मनी से प्रभावित हैं। हिटलर से प्रभावित हैं, ऐसा कहा जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, आरोप नहीं लगाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार या संसद के मौलिक अधिकार, आपातकाल संबंधी जो प्रावधान है, वह संविधान में जर्मनी से ही लिए गए हैं। देश में स्वतन्त्रता के बाद पहली बार संविधान में मौलिक अधिकारों को यदि निलंबित किया गया तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जर्मनी से प्रभावित नहीं हैं। जो कार्य है, वह प्रभावित दिखता है कि जर्मनी से कौन प्रभावित रहा। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण थी, देश की आजादी के बाद मैंने संविधान निर्मात्री सभा को सबसे बड़ी सभा कहा। क्या महत्व दिया, प्रिअम्बर्स के बारे में भी बात किया। लेकिन जब लागू करने की बात होती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, देश जो विभाजित हुआ या देश में जो चीजें घटी या घट रही हैं, बिना किसी प्रक्रिया के जब अभी 35-ए को राष्ट्रपति जी ने खत्म किया, उससे पहले देश का 90 प्रतिशत नागरिक यह नहीं जानता था कि 35-ए संविधान में कब, कैसे शामिल किया गया । 35 (ए) बिना किसी प्रक्रिया के राष्ट्रपति के एक आदेश से संविधान में शामिल कर दिया गया और वह भारत के विभाजन का कारण बना । कौन व्यक्ति ने उसमें भूमिका निभाई, यह बिल्कुल नहीं बोलना चाहता । यह देश ने सुन लिया है, जान लिया है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति वैधानिक है या अवैधानिक हैं, यह भी बता दीजिए । अगर राष्ट्रपति ने किया तो अवैधानिक किया क्या, उसका भी उल्लेख कर दीजिए ?

डा. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप संविधान ले लीजिए और पढ़ लीजिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैंने पढ़ा है, आप विद्वान साथी को पढ़ाईए ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी ने भी 377, 370 को स्थायी तौर पर समर्थन नहीं किया था । 370 को समाप्त करना, भारत को संविधान के आत्मा के अनुरूप सम्प्रभु अखण्ड भारत बनाना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी घटना है ।

खाद्यमंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- चन्द्राकर जी, आप सुधार कर बोलिए, 370 बोलिए । आप 377 क्यों बोल रहे हैं ?

श्री ननकीराम कंवर :- सुधार तो दिए । बोलते-बोलते ही सुधार दिए हैं।

श्री अमरजीत भगत :- बोलते-बोलते आप कुछ भी बोल देते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 370 फिर से बोल देता हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वे इसलिए बोले कि आप बहुत देर से खड़े नहीं हुए थे । (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब भीमराव अम्बेडकर जी ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विद्वान सदस्य ने 35 (ए) के बारे में चर्चा की । बहुत अच्छी बात है । कृपा करके यह भी बता दें कि अभी 35 (ए) कहां-कहां लागू है या पूरे देश में समाप्त हो गया और समाप्त नहीं हुआ है तो किन-किन राज्यों में अभी लागू है, ये भी बता दें । फिर उन राज्यों में क्यों समाप्त नहीं हुआ, कृपा करके यह भी बता दें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 35 (ए) कहां से लागू हुआ था, मैं मुख्यमंत्री जी के 35(ए) के जवाब आ उत्तर दे सकता हूं, आगे आप अनुमति देंगे तो । मैं संविधान में अपनी बात रख लेता हूं । बहुत अच्छी बात है कि संविधान में इस तरह के बहस में हम आगे जा रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी बातों का स्वागत करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि संविधान के जितने निर्माता हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- आप बता दीजिए कि 35 (ए) पूरे देश में समाप्त हो गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल, पूरे देश में समाप्त हो गया है ।

श्री भूपेश बघेल :- आप गलत जानकारी दे रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- इनको जानकारी नहीं है ।

श्री अजीत जोगी :- नार्थ ईस्ट में अभी लागू है ।

श्री भूपेश बघेल :- नार्थ ईस्ट में सभी जगह 35 (ए) लागू है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कश्मीर में 35 (ए) समाप्त हो गया । अभी 35 (ए) जो कश्मीर के लिए लागू किया गया, वह समाप्त किया गया है ।

श्री भूपेश बघेल :- तो कश्मीर बस आपका मुद्दा है । यदि 35 (ए) खतम करना है तो पूरे देश में खतम करिए ।

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

श्री अजीत जोगी :- अजय जी, उत्तर पूर्व के राज्यों में अभी 35 (ए) है।

श्री भूपेश बघेल :- पूरा उत्तर पूर्व के राज्यों में आप समाप्त करिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- ये पढ़कर नहीं आये हैं, आपको जानकारी तो है ही नहीं । जबरदस्ती विद्वान बनना चाहते हो, संसदीय विद्वान बनते चले जा रहे हो । आप पढ़कर आया करो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एकाध बार तो बोलने दो । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, इनको देखिए ।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी, संविधान को दूसरे तरफ मत मोड़िए । संविधान की प्रशंसा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय जोगी जी ने कहा, मैं खण्डन-मण्डन नहीं कर रहा हूं, पर 371 में नार्थ ईस्ट गुजरात, दादर एवं नगर हवेली उनके लिए प्रावधान है । 35 (ए) नार्थ ईस्ट के लिए नहीं है । आप 371 देख लीजिए । 370 में 35(ए) 1954 में कश्मीर के लिए जोड़ा गया था । मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, थोड़ा सा पढ़ा हूं, उस आधार पर बोल रहा हूं । जितने प्रावधान नार्थ ईस्ट या दूसरे स्वायत्तशासी प्रदेशों के लिए है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 371 में है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आदर से लिया जाता है, उनके कारण सब लोग आये। मैं पार्टी का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि भीमराव अम्बेडकर कहां से संविधान सभा में पहुंचे । वे मध्यप्रदेश में पैदा हुए, मध्य प्रांत सी.पी. बरार से वे नहीं पहुंचे । महाराष्ट्र उनका कार्यक्षेत्र था, लेकिन वे महाराष्ट्र से नहीं पहुंचे । उसको संविधान बनाने वाली पार्टी जो बोलती है, उसने संविधान सभा में नहीं भेजा । यह इतिहास स्थापित सत्य है और उस पार्टी का पितामाह जो संविधान के पितामाह थे, भीमराव अम्बेडकर जी 1952 के चुनाव में किससे हारे, 1956 में जब मध्यावधि चुनाव हुआ तो वे किससे हारे, कौन से नम्बर में रहे, कौन सी पार्टी ने उनको चुनाव हरवाया और उसके लिए संविधान सभा के लिए किसने अपनी सीट खाली की और कौन सी पार्टी के समर्थन से वे संविधान सभा में पहुंचे ?

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी, कौन सी पार्टी ने उनको मंत्री बनाया था ?

डा. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, ये तो नाथुराम गोड़से जैसे राजनीति कर रहे हो ।

श्री रामकुमार यादव :- पहला कानून मंत्री कौन सी पार्टी ने बनाया ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, अम्बेडकर साहब किससे हारे, किससे जीते, संविधान सभा में कब आये, आज उसके लिए बहस का समय नहीं था । अगर उस दिशा में जाना चाहेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी । संविधान में जो बहुत अच्छी भावनायें हैं, जिसके कारण हम संरक्षित हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक है साहब, मैं तो किसी का नाम ही नहीं ले रहा हूँ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप किसको दोष देना चाहते हैं ? आप किस पार्टी को दोष देना चाहते हैं, आपके कहने का आशय क्या है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इतिहास में लिखा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर वांग्मय में है, मैंने उसी का वाचन किया है, मैंने अपने मन से कोई बात नहीं कही है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- बाबा साहब अम्बेडकर का हम सम्मान करते हैं । लेकिन आप क्या बताना चाहते हैं ? किस पार्टी का नाम लेना चाहते हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- कुछ नहीं बताना चाहते हैं, जो लिखा है, उसको पढ़ रहा हूँ। हम तो उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह गलत दिशा, आप 370 और 35 से जोड़कर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने कांग्रेस शब्द का उल्लेख भी नहीं किया है ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- नंबर तो बढ़ने वाला नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप चाहते हैं कि वह नाम लें । आप चाहते हैं क्या इस बात को ?

श्री रविन्द्र चौबे :- आपको पीड़ा क्यों हो रही है ? नाम लेना चाहिये ना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विधान सभा में इसकी खुली बहस हुई थी, आप उसको सुनिये जरा ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- पहला कानून मंत्री किसने बनाया ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उनको कानून मंत्री बनाया था । देश के संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बाबा साहब आम्बेडकर कामन सिविल कोड के समर्थन में थे । यह भारत के संविधान का बहस का था । यदि हम मानते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर के विरासत पर हम बातचीत करते हैं, उसको लागू करने के लिए आज भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह कॉमन सिविल कोड की ओर देश बढ़ रहा है । उसमें बात करनी चाहिये, अध्यक्ष महोदय । माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिये । वह बातें हैं । मैंने दो बातें कही । 335 ए/आपातकाल/ अब आखिरी में इस देश के संविधान की प्रभुसत्ता जो हम सब मानने वाले हैं, वह साबित हुआ, आखिरी फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अभी आया, विधान को, राम मंदिर के फैसले को सारे देश के हर वर्ग ने स्वीकार किया और यदि ताकत है तो यह संविधान की ताकत है । हिन्दुस्तान के हर वर्ग के नागरिक जो भारत की आत्मा को सम्मान करते हैं, उन्होंने सर्वसम्मत से इसको स्वीकार किया, यह महत्वपूर्ण है । माननीय अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र प्रसाद जी के अध्यक्ष के लिए डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने जब प्रस्ताव रखा, कृपलानी जी सरदार पटेल जी ने समर्थन किया । उसमें प्रकाश साहब भी अध्यक्ष के लिए पर्चा दाखिल किये थे, राधाकृष्णन जी भी पर्चा दाखिल किये थे, किन्हीं कारणों से जब वह निरस्त हुआ, तो डॉ.राधाकृष्णन जी सभापति के स्वागत भाषण के लिए सबसे पहले वक्ता बने । उनकी विद्वता, उनकी सारी चीजें हम सब हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उन्होंने उनके स्वागत भाषण में जो बात कही थी, उसकी कुछ

अनसंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पंक्तियों को, इस सदन को, यहां के सदन के नेताओं को समर्पित करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । वो कहते हैं, अपने स्वागत भाषण में कहा कि अंग्रेज, उन्होंने अंग्रेजों को कोड किया कि- हम अंग्रेजों का कोई नित्य सनातन सिद्धान्त नहीं है । हमारे लिये हित ही सनातन नित्य है । उन्होंने साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया । विभिन्न सुधारों के माध्यम से बहुत ही चतुराई से उसको लागू करने की कोशिश की, ताकि भारतवासी अपने मूल उद्येश्यों को भूल जायें और दूसरी तरफ भटक जायें । आज हम उस विषय को लेकर सतर्क रहेंगे । जो हमको मिलने वाला दायित्व है, हम उस आदमी के कथन को झुठलायेंगे । गांधी जी के सबसे बड़े आलोचक होते थे, विंस्टन चर्चिल । जिसने कहा कि ये साँप-सपेरे, जादू-टोने, अधनंगे, भिखमंगे लोग, ये देश चलायेंगे ? हम उस बात को झूठा साबित करेंगे । यह संविधान हमें वह अधिकार देगा । माननीय अध्यक्ष जी, भावी जो महत्वपूर्ण शब्द डॉ.राधाकृष्णन जी ने कहा । भावी भारत का विधान बनाने के लिए विधान राष्ट्र के मौलिक नियम है । इसमें जाति की आकांक्षाओं, अभिलाषाओं, कल्पनाओं का वास्तविक चित्रण आना चाहिये । यह समस्त देश की स्वीकृति से ही निर्मित होना चाहिये । महान देश में बसने वाले सभी समुदाय के अधिकारों का इसमें सम्मान हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सबसे महत्वपूर्ण लाईन डॉ.राधाकृष्णन जी ने राजेन्द्र प्रसाद जी के स्वागत भाषण में कही कि- "जो भी विधान बने उसमें यह बात होनी चाहिये, सभी नागरिक यह अनुभव करें, उसके मूलभूत अधिकार, शिक्षा संबंधी, सामाजिक और आर्थिक उन्हें प्राप्त होंगे । उनकी सांस्कृतिक स्वतंत्रता रहेगी, किसी को दबाया नहीं जा सकेगा, वह विधान सही मायनों में गणतांत्रिक होगा, जिसकी क्षत्रछाया में हम राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक स्वतंत्रता एवं समानता प्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति को इस गौरव का ज्ञान होना चाहिए, वह इस महान राष्ट्र का नागरिक है। ये डॉ. राधाकृष्णन जी ने स्वागत भाषण करते हुए कहा और एक लाईन पूरी सभा को आपको समर्पित करता हूं जो उन्होंने कहा - एक जापान के बुद्ध संन्यासी आए थे उनको उन्होंने कोड किया था - संयोग ही सर्वश्रेष्ठ है अर्थात् एकता ही सर्वोत्तम वस्तु है। जो पृष्ठभूमि थी, उस समय मुस्लिम लीग इस सभा में शामिल नहीं थी, रविशंकर शुक्ल जी ने उसमें आपत्ति उठाई थी कि मुस्लिम लीग लगातार दो बैठकों में नहीं है, उसकी सदस्यता का क्या होगा। उस समय हैदराबाद ने विलीनीकरण में अपनी सहमति नहीं दी थी, तब उन्होंने कहा था कि एकता बनाये रखना हमारे लिए आज की सर्वश्रेष्ठ जरूरत है और उन्होंने महाभारत के महर्षि ब्यास के कथन के कोड किया, मैं आपको, सभा को, डॉ. रमन सिंह जी को, मुख्यमंत्री जी, जोगी जी को, हमारे विद्वान साथी रविंद्र चौबे जी, बृजमोहन जी ऐसे जितने वरिष्ठ लोग हैं, नेता प्रतिपक्ष जी को समर्पित करता हूं :-

मृदुना दारुणं हंति मृदुना हंत्यदारुणम् ।
नासाध्यं मृदुना किंचित् तस्मात्तीव्रतरं मृदु।।

अर्थात् मृदुता या सुजनता, कठोरतम और कोमलतम दोनों पर ही विजयश्री प्राप्त करती है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सौजन्य के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है अत: सौजन्य ही तेज से तेज अस्त्र है। मृदुता और सौजन्य ऐसे अबोध अस्त्र हैं जिससे भयंकर से भयंकर शत्रु भी पराजित हो जाता है। हम इसके प्रति सच्चे नहीं रहे। हमने अपने लाखों बंधुओं को ठगा और उनके साथ अन्याय किया है। हमारे अतीत के अपराधों के प्रायश्चित का आज समय आया है। यह अन्याय और परोपकार की बात नहीं है, यह तो हमारे विशुद्ध प्रायश्चित की बात है। मैं तो इसी दृष्टि से देखता हूं। उस महान दार्शनिक ने इस महान भावना के साथ भारत के उस वर्तमान परिस्थितियों में कहा कि भूलकर आगे बढ़ना, उस एकता को बनाये रखना, उस सौजन्यता को बनाये रखना, उस अबोध अस्त्र का इस्तेमाल करना और आगे चलकर ये महान राष्ट्र में बने जो हजार साल की गुलामी के बाद, जिस देश ने चार पंथों को जन्म दिया, जिसके मूल बनावट को विकृत करने की कोशिश की गई, जिसको बाद में सुधारा गया, महत्वपूर्ण चीजों को छेड़छाड़ करने की जो कोशिश हुई। मैंने तीन-चार उदाहरण बताये पर आज हिन्दुस्तान अपनी महान विरासत को लेकर इस संविधान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज मैं एक बात कहूंगा कि इसमें मध्य प्रांत और बरार की ओर से जो सदस्य नामित हुए थे उसमें गुरू आगमदास और उनके पिता का भी नाम है। यदि वह छत्तीसगढ़ के हैं, आज उल्लेख नहीं हुआ पर उसमें है, गुरू शब्द का भी उल्लेख है। किताब में है, तो उसका एक शोध होना चाहिए कि हमारे गुरू आगमदास उस सभा के सदस्य थे या नहीं थे, उन्होंने क्या कहा और यदि कहा है और यदि वह स्थापित होता है तो हम जो पांच नामों का उल्लेख करते हैं अगली बार हमें उसमें छठवें नाम का सम्मानपूर्वक उल्लेख करना चाहिए कि भारतीय गणतंत्र में भारत के इस महान संविधान के निर्माण में छत्तीसगढ़ की महती भूमिका रही है। दूसरी बात, मुझे संयोग से यह सौभाग्य प्राप्त है कि जब मैं उच्च शिक्षा मंत्री था तो बालोद के कालेज का नाम मैंने घनश्याम दास गुप्त जी के नाम पर रखा। किशोरी मोहन त्रिपाठी जी के नाम से, बैरिस्टर छेदीलाल जी के नाम से, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई जी के नाम से इस छत्तीसगढ़ में कोई भी चीज नहीं है। गुरू आगमदास जी के नाम से, मिनीमाता जी के नाम से जरूर है तो उनकी याद को भी अक्षुण्ण बनाने के लिए आपके नेतृत्व में हम कदम उठायें और हम सब शपथ लें कि संविधान के दायरे में रहकर छत्तीसगढ़ में आज जो परिस्थितियां बनी हैं मैं एक चीज भर का उल्लेख कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- चलिए अच्छा है, 15 साल आपको याद नहीं आया, कम से कम इस बहाने आपको बोलने का मौका मिला और याद करने का मौका मिला।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं: आर्डिनेंश जारी हुआ, एक आर्डिनेंश को शपथ के दौरान तत्कालीन सरकार ने लागू किया कि पुन्नी मेला वाला आर्डिनेंश उसी दिन पुर:स्थापित हुआ, उसी दिन बहस हुई, उसी दिन संशोधन हुआ, सब हुआ, चुनाव की घोषणा कर दी गई, विधानसभा चल रही है और आर्डिनेंश को यहां अनुकूलित नहीं किया गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह चलते हुए सदन का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। भविष्य में यह

परंपरा मत बने। यदि आर्डिनेंश है तो उसके अनुकूलन करने के बाद आपको चुनाव की तारीख घोषित करनी थी और नहीं यदि घोषित कर दिये तो आप तुरंत में अनुकूलन करवाते तो इससे इस सदन की गरिमा बढ़ती, उस संविधान की भावना की रक्षा होती और आशा है कि आगे छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होगा। हम सब मिलकर इस पवित्र सदन के उस संविधान की पवित्रता की शपथ लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने गुरू आदम दास जी के आपके संविधान सभा में शामिल होने की बात जहां-जहां है, आप हमको उपलब्ध करायें। हमको अलग से उपलब्ध करा दीजिएगा। हम उसका अध्ययन कर लेंगे, परीक्षण कर लेंगे और उनका नाम अगर छूट गया है तो हम उनसे क्षमा चाहते हुए, उनका नाम सम्मिलित समझा जाये, ऐसा आपसे निवेदन करते हैं। आदरणीय जोगी जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- येखर बाद कहिबे की अभी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- एक मिनट, माननीय रेशम लाल जांगड़े जी संविधान सभा के सदस्य थे। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री अजीत जोगी (मरवाही) :- अध्यक्ष महोदय, विश्व के श्रेष्ठ संविधान के धारण करने के दिवस पर हमको चर्चा करने का अवसर प्रदान हुआ है। यह हमारा सौभाग्य है और आपका धन्यवाद कि आपने यह परंपरा प्रारंभ की है। जब हम अपने संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर भारत रत्न को स्मरण करना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि बापू से, गांधी जी से पंडित जवाहर लाल नेहरू, राजगोपालाचार्य अन्य लोग यह पूछने गये कि अब संविधान बनाना है और ड्राफ्टिंग कमेटी उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी तो उस कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया जाये, लगभग 6-7 नाम थे पर महात्मा गांधी ने पलक भी नहीं झपकी और कहा भारत का संविधान बनाना है। स्वतंत्र भारत का संविधान बनाना है, प्रश्न ही नहीं उठता, इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। यह संविधान, इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर ही रहेंगे। हमने अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच जो दूरियां थी उसके बारे में बहुत किताबें पढ़ी है। पर ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि वे पीढ़ी अब जो चली गयी जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उनमें कैसी विशाल हृदयता थी, संविधान पर चर्चा हो रही है। इसलिए मैं गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में जो दूरियां थी उस पर नहीं बोलना चाहता। मैंने यह उदाहरण इसलिए दिया, हम सबके लिए दिया। इतनी दूरियां होने के बाद, दूरियां इतनी अधिक थी कि 1932 में बापू को बाबा साहब के मत के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। बाबा साहब ने यह कहा था । राऊंड टेबल कांफ्रेंस में कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षित क्षेत्र होंगे उसमें उन आरक्षित क्षेत्रों में अगर अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि चुना जाना है तो उस क्षेत्र के केवल अनुसूचित जाति के लोग ही वोट दें। अगर दूसरे देंगे

असंशोधित/असंपादित के लिए नहीं

तो अनुसूचित जाति का सही प्रतिनिधित्व नहीं होगा। वे ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे, जो उनके पॉकेट में रहे, उनके पीछे झोला लेकर चले। वही बात उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए कही। पर बापू ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो देश बंट जाएगा और जब उनकी बात अंग्रेजों ने नहीं सुनी तो सन् 1932 में वह आमरण अनशन पर बैठ गये और आज जैसा उनका आमरण अनशन नहीं था। उस आमरण अनशन में स्थिति ये पहुंच गई कि डॉक्टरों ने कहा कि अगर बापू का आमरण अनशन ऐसी जारी रहा तो एक या दो दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। सारा विश्व बाबा साहब से सबने अनुरोध किया कि आप बापू को मनाईये और तब लम्बी कहानी है संविधान पर चर्चा हो रही है केवल उसकी पृष्ठभूमि पर मैंने ये उदाहरण दिया। बाबा साहब झुके और वर्ष 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ और जो स्वरूप आरक्षण का आज हम देख रहे हैं। सहमति ये बनी कि अनुसूचित जनजाति के लिए क्षेत्र रिजर्व होंगे, अनुसूचित जाति के लिए क्षेत्र रिजर्व होंगे, पर सभी वोट देंगे और बाबा साहब ने मध्य का रास्ता अपना कर ये कहा कि कम से कम इतनी सीटें एस.सी. के लिए और इतनी सीटें एस. टी. के लिए आपको देनी पडेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी के बाद का एक घटनाक्रम उल्लेखित करना चाहता हूँ। हम सब के लिए प्रेरणा हैं हम जो छत्तीसगढ़ के गरीबों, वंचितों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके लिए प्रेरणा है पूना पैक्ट हस्ताक्षरित हुआ । दुनिया भर के प्रसिद्ध पत्रकार उस पर टिप्पणी लिखना चाहते थे। लंदन का एक पत्रकार दिल्ली आया। शाम को उनकी देर रात फ्लाईट आयी, उन्होंने भारत के सभी प्रमुख नेताओं से समय लेने की कोशिश की। पर रात हो गई थी सबने इनकार कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को जब पता चला तो रात के लगभग 1.00 बजे उन्होंने उस पत्रकार को समय दिया। वह पत्रकार जब उनके कमरे में प्रवेश किया तो उसने पूना पैक्ट पर प्रश्न नहीं किया। उसने पहला प्रश्न ये किया कि बाबा साहब, अब जब पूरा भारत सो रहा है भारत के सब बड़े नेता सो रहे हैं तो आप इतने तल्लीन और तनमयता से अपनी टेबल पर क्या पढ़ रहे हैं? क्या लिख रहे हैं ? बाबा साहब, का एक वाक्य हम सबको प्रेरणा देगा उन्होंने उत्तर दिया, वे नेता जिनका समाज जागृत है वह अगर सो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऐसा नेता जो समाज के गरीबों का प्रतिनिधित्व करता है वह भी सो जाएगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं सो रहा हूँ। ये हम सब के लिए प्रेरणा की बात है। सौभाग्य या दुर्भाग्य से हम किसी वर्ग या किसी जाति, किसी धर्म के हों, हम सबका क्षेत्र वंचितों और गरीबों का क्षेत्र है और अगर हम उनका नेता बनने का दावा करते हैं तो बाबा साहब का ये वाक्य हम सबको सदा प्रेरणा देता रहेगा और देते रहना चाहिए कि बाकी सो जाएं, सब सो जाएं, पर मैं जो गरीबों का प्रतिनिधित्व करता हूँ हम सब 90 लोग जो गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमको जागना है, तब तक जागना है, जब तक हमारा वर्ग भी जाग नहीं जाता। बाबा साहब के लिए मैं हमेशा कहता हूं, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, करोड़ों लोगों की चाहत का नाम है अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, वंचितों की राहत का नाम है अंबेडकर, जिसने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गुलामों को गुलामी का अहसास कराया, उस जॉबाज का नाम है अंबेडकर। हमारी गुलामी का अहसास, गुलामी शब्द का वह अर्थ न लें जो शब्दकोश में लिखा है। कितनी गुलामियों से हम आज भी घिरे हुए हैं। सामाजिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, इन सब का अहसास इस संविधान के माध्यम से भारतरत्न बाबा साहब ने हम लोगों का कराया। इस संविधान के विषय में बहुत सी बातें कही गई हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। पर हमारे संविधान की कुछ बातें यूनिक होने का प्रमाण हैं। ऐसा संविधान और कहीं नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इंग्लैंड इतना बड़ा लोकतंत्र है, पर उनका कोई लिखित संविधान नहीं है। पूरा इंग्लैंड परंपरा पर चलता है। हमको गर्व है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमको विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे अधिक व्याख्यापूर्ण संविधान हमको आज के दिन दिया गया। ये हम सबका सौभाग्य है। एक चीज हम सबको याद दिलाना चाहता हूं, हम 90 में से करीब 40 लोग होंगे जो इसलिए यहां बैठे हैं क्योंकि बाबा साहब के नेतृत्व में ये संविधान बना। बाबा साहब ने कहा सबसे जरूरी है राजनीतिक आरक्षण। अगर एस.सी. और एस.टी. की सीटें आरक्षित नहीं होतीं तो हम इन 40 लोगों में से अधिकांश लोग यहां बराबरी का हिस्सा लेकर अपनी बात नहीं कह पाते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब ने इसी तरह से शासकीय नौकरियों में आरक्षण की जो बात कही, उस पर constitutional assembly में बहुत debate हुआ और उन्होंने अंत में ये कहा कि सरकारी नौकरी भारत में सम्मान का प्रतीक है। जिस व्यक्ति को गांव कभी सम्मान नहीं देगा, अगर वह तहसीलदार, कलेक्टर, एस.पी., थानेदार बनकर गांव में जायेगा तो चाहे कितने ही निम्न वर्ग का क्यों न हो, उसे उसका सम्मान मिलेगा। ये हमारे संविधान की विशेषता है कि इसने दबों, कुचलों को बराबरी पर लाने का रास्ता तय किया है। हमारा संविधान bicameral है, federal है, अर्थात राज्य और केन्द्र दोनों की व्यवस्था है। अमेरिका की तरह राष्ट्रपति ही सर्वसत्तायुक्त बन जाए, ऐसा हमारा संविधान नहीं है। इंग्लैंड की तरह प्रधानमंत्री ही सब कुछ हो जाए, ऐसा संविधान हमारा नहीं है । हमारे संविधान निर्माताओं ने एक संतुलन बनाया है । बड़ा मजबूत केन्द्र है लेकिन उतना ही मजबूत राज्य भी है और दोनों की सीमाएं तय कर दी हैं । इस संविधान में जो तीन सूचियां हैं, सूची-ए में केन्द्र इन विषयों पर निर्णय लेगा, सूची -बी, राज्य इन विषयों पर निर्णय लेगा और सूची-सी, जिसमें दोनों निर्णय ले सकते हैं। इस तरह का विभाजन, संतुलन का विभाजन है । अध्यक्ष जी, मैं एक उदाहरण दूंगा । बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने शिक्षा कॉकरेंट लिस्ट में रखा । अर्थात् राज्य भी उस पर कानून बना सकते हैं और केन्द्र भी उस पर कानून बना सकते हैं । ये शिक्षा जैसे विषय को उन्होंने रेखांकित किया । स्वास्थ्य के महत्व को उन्होंने रेखांकित किया । इस पर दोनों लगो, देश को शिक्षित करो। केन्द्र भी लगे, राज्य भी लगे । सबको तंदुरूस्त बनाओ । न जाने कितनी बातें हम अपने संविधान के बारे में कह सकते हैं । सबसे महत्वपूर्ण बात, बैलेंस ऑफ पावर की है । हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं हम लोग यहां बैठकर यह नहीं कह सकते कि राज्य में केवल हमारी चलेगी । तीनों विंग हैं । अब चौथा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वह ऊपर बैठा है, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है । संविधान में तीन विंग का तो उल्लेख है, हमारा उल्लेख है लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव, जिसमें पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसके प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री हैं और ज्यूडिशियरी न्यायपालिका । तीनों में इतनी बारीक लकीर खींच दी गई है, न्यायपालिका यहां तक जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी । हम यहां तक कानून बना सकते हैं, उसके आगे नहीं बनाएंगे । कार्यपालिका इतना काम करेगी उसके आगे नहीं जाएगी । ये जो बारीक लकीर खींची गई है, उसको मैं अपने संविधान की बहुत बड़ी विशेषता मानता हूं । दुख की बात यह है कि कई बार परिस्थितियां प्रतिकूल बनीं । हाल ही में जो महाराष्ट्र में हुआ । राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी संवैधानिक पद पर है । कौन किसको निर्देश देगा और किसका निर्देश माना जाएगा, इस पर भी बड़ी संतुलित व्याख्या इस संविधान में हुई है । मैं बहुत सी चीजें कह सकता हूं क्योंकि संविधान में मेरी बहुत रूचि रही है, आईएएस में मेरा विषय भी था । लेकिन आप सबको इतना जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि इस संविधान में अध्याय-तीन में मौलिक अधिकार हैं । जो एक-एक नागरिक को प्राप्त हैं । इस संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं।, जिसकी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, पर हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें डायरेक्टिव प्रिसिपल्स देकर अध्याय 4 में यह बता दिया है कि आने वाली पीढ़ियों को इस रास्ते पर चलना है। उसमें उल्लेख है कि शिक्षा से जो-जो पढ़ना चाहे, एक समय ऐसा आना चाहिए कि उसको वह पढ़ने मिले। स्वास्थ्य का सबको अधिकार है। ऐसे दूरदर्शी सिद्धांतों को भी हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। यह अवसर है कि हम संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आज फिर से रेखांकित करें। संविधान को समझें। अभी एक विषय पर खूब चर्चा हो गई। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। इसलिए उस पर भी दो लाइन बोलना चाहता हूं। वास्तव में शब्दा है सैक्यूलर जो कि अंग्रेजी का शब्द है। पश्चिम के देशों को सैक्यूलर शब्द आवश्यकता थी। भारत जैसे देश को जिसने सब को अपने आप में समाहित कर लिया। हमारे यहां शक आये। हूण आये। मुस्लिम आये। ईसाई आये। ब्रिटिश आये। सबको हमने अपनी गोद में अपना लिया तो हमारे यहां सैक्यूलर शब्द की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यह विवाद है। आपने जो पढ़कर सुनाया, वह बिल्कुल सही है। संविधान में सैक्यूलर का अनुवाद पहले धर्मनिरपेक्ष किया गया था। अभी आपने यह जो किताब बांटी, इसमें पंथ निरपेक्ष है और मैं दोनों से असहमत हूं। हमारा संविधान न तो धर्मनिरपेक्ष है। न तो पंथ निरपेक्ष है। सही शब्द मेरे दृष्टि में सैक्यूलर का अर्थ होता है सर्वधर्म समभाव। हर धर्म के प्रति समान भाव। निरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष मतलब शासन, राज्य, हम और आप कोई भी फैसला लेंगे तो धर्म से निरपेक्ष होकर लेंगेग। यह सही नहीं है। कोई भी फैसला लेंगे तो पंथ से निरपेक्ष होकर लेंगे। यह भी सही नहीं है। वास्तव में सही है सर्वधर्म समभाव। हम कोई भी फैसला लेंगे तो हर धर्म का समान आदर करते हुए सम्मान करते हुए लेंगे। यह इस संविधान की प्रमुख अवधारणा है। सबसे अधिक जरूरी है, जोकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अपने प्रियेम्बल को जाने और पढ़े। रोज देखें। रोज बच्चों को इसे

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

पढ़ाना चाहिए। We the people of India having slolemnly resolved to constitute India. हिन्दी में पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी हिन्दी कठिन भाषा में लिखी हुई है। यह हम लोगों ने अपने संविधान में प्रतिज्ञा ली है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न sovereign, समाजवादी socialist, पंथ निरपेक्ष या सर्वधर्म समभाव लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक गणराज्य बनाने का संकल्प लेते हैं। यह जो राज्य हमें बनाना है। नया जो छत्तीसगढ़ राज्य हमें बनाना है, इसमें सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। इसमें लोकतंत्र होना चाहिए। इसमें समाजवाद होना चाहिए। तभी हम अपने संविधान के प्रति सही निष्ठा रख सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉ. शिवकुमार डहरिया जी।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ0 शिव कुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले, का हे हमर बाजू मा एक झन आके बैठ गय, हमर संगवारी कहां हे, चल दिस। मैं ओखर से संविधान के बारे मा कुछ सीखत रहेव। ओ सबसे बड़े विद्वान हे न।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सबसे पहले बधाई देता हूं कि आपने संविधान के विषय में चर्चा कराई। आपने पिछले समय गांधी जी के बारे में चर्चा कराई थी। आप आगे भी यह परम्परा बनाये रखेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ।

श्री अजीत जोगी :- आदरणीय मंत्री जी, आप कहेव कि सीखत रहेव। तो मोरो इहां भी तो सीखे हव।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- हां सीखे हव। सीखना ज्यादा अच्छा हावय।

श्री शिवरतन शर्मा :- सीखे के बाद भुला जथन।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- नइ भुलाय। भुलाय के काम तुहार हावय।

श्री केशव चन्द्रा :- लेकिन ज्यादा कहां सीखे हावय।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- ज्यादा सीखे के जरूरत नइ हे। ज्यादा सीखबे तो बैहा जाथे, हमर छत्तीसगढ़ी मा कहथे।

श्री शिवरतन शर्मा :- भुला तो नइ गय।

श्री अजीत जोगी :- नहीं-नहीं, हमर ऐतीच हे।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- हमन एके जगह हावन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमर देश जब आजाद होइस, तो हमर देश के संविधान बनाय के बात आइस तो हमर नेता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, राजेन्द्र प्रसाद जी, ये मन ओ समय के सबसे बड़े योग्य और सबसे बड़े पढ़े-लिखे व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर जी ला देश के संविधान बनाय के जिम्मेदारी देइस। निश्चित रूप से जो देश के संविधान बने हे, पूरा विश्व के जेतेक संविधान हे, ओ संविधान से ले के अइसे श्रेष्ठ संविधान बनाय गय हे, जेकर कोई मिसाल विश्व मा नइ मिलय। हमर साथी मन बताइस कि सबसे लंबा संविधान

अप्रवर्तित/प्रकाशन के लिए नहीं

हे, सबसे अच्छा संविधान हे, तो निश्चित रूप से ये संविधान मे जे बात लिखे गय हे अउ सबसे बड़े बात आज हमन इहां बैठे हन, हमन गरीब किसान के बेटा ला इंहा बैठे के अवसर मिलत हे, ये हमर संविधान के ताकत हे।

समय :

1:47 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, कोई मजदूरी करने वाला, कोई चाय बेचने वाला तक देश के प्रधानमंत्री बन सकत हे, ये हमर संविधान के ताकत हे। देश के राजा-महाराजा मन भी संसद में बैठत हे, इहां विधान सभा में बैठत हे, गरीब के बेटा भी इहां बैठत हे तो ये हमर संविधान के ताकत हे। हमर संविधान मा सबला समानता के अधिकार, सब ला शिक्षा के अधिकार, सब ला रोजगार के अधिकार, राजनीतिक न्याय के अधिकार, आर्थिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता के अधिकार के व्यवस्था हे। सबसे बड़े बात हे कि सबला आत्म सम्मान से जीये के अधिकार कोई प्रदान करत हे तो हमर संविधान प्रदान करत हे। आज हमर देश ला, संविधान ला मजबूत करे के जरूरत हे। काबय के देश के आजादी के पहली जैसे अंग्रेज मन डिवाइड इन रूल, फूट डालो राजनीति करो, ऐसन जो काम करत रहिस हे, ऐसन काम आज देश मा बहुत सारा लोगन हे, जेन करना चाहत हे। ऐमन ला रोके बर हे तो हमर संविधान ला मजबूत करे के जरूरत हे, हमर संविधान के रक्षा करे के जरूरत हे। कुछ लोगन हिटलर के बात करथे, कुछ लो बुथोलिनी के बात करथे, ऐसन मन ला जवाब देना हे तो हमन हमर संविधान के माध्यम से दे सकत हन। तो निश्चित रूप से हमर जो संविधान बने हे, हमर संविधान के रक्षा करे के काम हम सब मिल के करबो तो निश्चित रूप से हमर देश मजबूत रही, एक रही। मैं एक निवेदन करना चाहत रहेव, हमर अध्यक्ष जी तो चल दिस, लेकिन मैं अपन बात ला बताना चाहत हव कि बाबा साहब अम्बेडकर के आत्मकथा हमर कोलंबिया यूनिवर्सिटी मा पढ़ाय जाथे अउ ओला बताय जाथे, वहां ओखर वाचन होथे, हमर भारत के कोनो यूनिवर्सिटी मा नइ होवय। हमर छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी मा भी मैं मांग करत हव कि हमर छत्तीसगढ़ के विश्वविदयालय मा भी बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन कथा ला पढ़ाय जाय। ताकि ओखर विद्वता के बारे में दुनिया जान सके, हमर छत्तीसगढ़ जान सकय। आप मन मोला समय देय, ओखर लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले माननीय अध्यक्ष महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस संविधान के कारण हमको केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि अपने दायित्व का भी ज्ञान हो रहा है, आज उस संविधान दिवस के अवसर पर इस प्रदेश के सर्वोच्च सदन में अपने विचार रखने का अवसर दिया । संविधान की बात हो तो सबसे पहले संविधान निर्माण करने वाले समिति के अध्यक्ष भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मैं याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि

अप्रवेदित/प्रकाशन के लिए नहीं

देते हुए यह कहना चाहूंगा कि भारत का संविधान उन्होंने बनाया, वह भारत की तमाम परिस्थिति को देखकर सबको न्याय मिल सके, सबको अधिकार मिल सके, सबको सम्मान का जीवन मिल सके और एक ऐसे समाज का निर्माण हो, जिसमें समानता हो, इन बिन्दुओं को लेकर उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया । मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारत के संविधान के बारे में कहा कि आम आदमी जान सके, आम आदमी तक पहुंच सके, उन्होंने आज घोषणा की कि स्कूलों में प्रत्येक सोमवार को इसका वाचन करायी जाये और उन्होंने एक बड़ी बात कही, स्वीकार भी किया कि भारत के संविधान के माध्यम से जो हमको आज अधिकार मिला है, नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों तक वह अधिकार नहीं पहुंच पाया है और यही कारण है कि उन्होंने कुपोषण का जिक्र किया ।

माननीय सभापति महोदय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि किसी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोगों की नीयत ठीक नहीं हो तो हम उस संविधान को अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन संविधान में कमी हो और उनको लागू करने वाले लोग अच्छे हों तो बेहतर संविधान बन सकता है । बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और पूरे संविधान निर्माताओं का विचार यह रहा कि संविधान के माध्यम से समाज के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग उठें, इसीलिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हों, शिक्षा के क्षेत्र में हों, नौकरी के क्षेत्र में हो । भारत वर्ष में जाति और धर्म के नाम से लोगों की उपेक्षा होती थी, उसके लिए भी उन्होंने प्रावधान रखा कि जाति और धर्म के नाम से किसी के साथ भेद नहीं किया जा सकता, किसी को अपमानित नहीं किया जा सकता । उनकी सोच थी कि भारत एक ऐसा देश बने, जिसमें समानता हो, गैर बराबरी न हो और यह संविधान हमको अपने हक, अधिकार और दायित्व तो बताता ही है और हक, अधिकार के अलावा अगर हम अपने दायित्व को भी समझें, संविधान में दी गई एक आम आदमी की जवाबदारी और जिम्मेदारी है, अगर उनको आम आदमी स्वीकार करे, हर जनप्रतिनिधि स्वीकार करे, प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी अगर स्वीकार करें तो निश्चित रूप से यह जो आज व्यवस्था है या जिसके कारण संविधान का लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, वह निश्चित रूप से मिलेगा । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप उस स्थान पर हैं, आप उस जगह पर हैं, जिनकी आपने चिन्ता व्यक्त की है । नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों तक अभी तक संविधान का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया है । आप उस जगह बैठे है जहां उस संविधान के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों तक उनके अधिकार को पहुंचा सकते हैं । आप भी अपने दायित्व का निर्वहन करें । जिस चिन्ता को आपने सदन में व्यक्त किया है, उसको लोगों तक पहुंचाये । मैं पुन: एक बार, पूरे देश के, पूरे विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान, भारत के संविधान को देने वाले बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी को पुन: याद करते हुये अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ । माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री अमरजीत भगत जी ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय सभापति महोदय, संविधान दिवस के अवसर पर अपने सभी साथियों को ढ़ेर सारी शुभकामनायें और बधाई देता हूँ । आज ही के दिन 26 नवम्बर 1949 को संविधान बना था । संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में जब भारत के संविधान का गठन किया गया, उन सभी बातों का समावेश किया गया, जो भारत की एकता और अखण्डता के लिए आवश्यक था । इनके मूल उद्येश्यों में हमारी भावना छिपी हुई है । हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए इस संविधान का गठन किया गया ।

माननीय सभापति महोदय, आज संविधान नहीं होता तो हम लोग यहां पर नहीं होते । संविधान ने ही हमको आज अवसर प्रदान किया है कि आज पंचायत से लेकर, विधान सभा से लेकर, लोक सभा तक पहुंच रहे हैं और अब उच्च पदों पर बैठकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, इस देश में जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, गांधी जी के नेतृत्व में देश आजाद हुआ । आजादी के बाद जब संविधान लिखने की बात आई, कुछ क्षण के लिए सबके सामने एक धुंध सा छा गया था कि इतना विशाल संविधान का गठन कौन करेगा ? कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमेन होगा ? इसके लिए जब संशय की स्थिति बनी, सब का विचार जब बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की तरफ गया, सभी ने उनको एकमत से स्वीकार किया और उनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया । जिन परिस्थिति और परिवेश में उन्होंने जीवन-यापन किया और देश से लेकर विदेशों तक उच्च संस्थानों में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण किया है, शैक्षणिक योग्यता ग्रहण की है, उनके नेतृत्व में अगर हमारा संविधान बनेगा तो निश्चित रूप से सभी जाति, धर्म, समुदाय के प्रति उनकी भावना का समावेश होगा । सब को एक अवसर मिलेगा और उन्होंने करके दिखाया । माननीय सभापति महोदय, विभिन्न मौकों पर आज संविधान की जो मूल अवधारणा है, उस पर लोग तरह-तरह से घात करने की कोशिश करते हैं । उसका जो महत्व है, उसकी जो अवधारणा हैं, उसको लोग बदलने की कोशिश करते हैं । पिछले समय जो आरक्षण को लेकर आंदोलन हो रहा था तो लोगों द्वारा छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में आंदोलन हुआ और नारा लग रहा था कि संविधान की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, सब लोग स्कूल और विभिन्न सभाओं में खड़े होकर बोल रहे थे कि हम करेंगे-हम करेंगे। यह संविधान की सहिष्णुता है, संविधान का महत्व है, हम यहां यह कहें तो अतिसंयोक्ति नहीं होगी कि सभी धर्म ग्रंथों से ऊपर उठकर अगर कोई परिस्कृत ग्रंथ है तो वह हमारे लिए संविधान है जिसमें सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को समानता से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किया गया है। आज इस देश की एकता और अखंडता की अगर कोई पुष्ट गारंटी देता है तो संविधान देता है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में विशेष रूप से चर्चा कराई जा रही है इसके लिए मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को और अन्य सभी लोगों को मैं बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जयहिंद।

श्री शिवरतन शर्मा :- अमरजीत जी, आरक्षण के बारे में संविधान में क्या लिखा है जरा ये तो बता दो?

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दूंगा कि आज इस विशेष चर्चा को संविधान दिवस 26 नवंबर के अवसर पर उन्होंने हम जैसे सभी सदस्यों को अवसर दिया। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर, 1949 को बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा के प्रारूप के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर साहब के 125 वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर, 2015 से संविधान दिवस मनाया गया। ऐसे तो वर्षों से अंबेडकरवादी बौद्ध समाज के लोग संविधान दिवस मनाते रहे हैं मगर भारत सरकार द्वारा पहली बार 2015 में डॉ. भीमराव अंबेडकर के महान योगदान के लिए संविधान दिवस के रूप में सरकार के द्वारा इसको आयोजित करने का एक बड़ा निर्णय लिया गया। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार से यह अवसर दिया कि आज पूरा देश और देश की सभी संस्थाएं डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान दिवस के रूप में याद कर रहे हैं। निश्चित रूप से संविधान दिवस का मकशद नागरिकों को संविधान के प्रति सचेत करना, समाज में संविधान के महत्व का प्रचार-प्रसार और डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान और उनके आदर्शों को दूर-दूर पहुंचाने का विषय रहा । संविधान निर्माण की जटिल प्रक्रिया के बारे में बहुत सारे सदस्यों ने अपनी बात रखी। संविधान निर्माण और केबिनेट मिशन 1946 में प्रस्ताव संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया। इसकी पहली प्रक्रिया शुरू होती है केबिनेट मिशन द्वारा सन् 1946 में जब संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने गये। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ। कुल 389 सदस्य चुने गये जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के, 04 चीफ कमिश्नरी के और 93 देशी रियाशतों से चुने गये। हैदराबाद रियाशत का कोई प्रतिनिधि नहीं चुना गया। विभाजन के बाद 1947 में जब विभाजन हुआ तो संविधान सभा का पुनर्गठन कर कुल सदस्यों की संख्या 324 निर्धारित की गई। इसमें से 229 सदस्यों के संविधान सभा में जो हस्ताक्षर हैं वह कुल 229 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और 11 दिसंबर, 1948 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर, 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य का प्रस्ताव रखा और 26 जनवरी, 1947

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

को पारित किया। यह एक लंबी प्रक्रिया थी और इसकी केवल एक समिति प्रारूप समिति ही नहीं थी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के हमारे जो सम्मानित सदस्यों को जब हम याद कर रहे हैं कि संविधान में हमारे मनोनयन में, संविधान निर्मात्री समिति में हमारे प्रमुख सदस्य थे जिन्हें हम आज सम्मानपूर्वक याद कर रहे हैं। रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ला, बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल, दुर्ग से घनश्याम गुप्ता जी, कांकेर रियासत से उस समय के रामप्रसाद पोटाई जी, रायगढ़ से किशोरी मोहन त्रिपाठी ये संविधान निर्माता समिति के सदस्य रहे हैं। मगर अलग-अलग ये पांच बड़ी समितियां जो उस समय बनाये गये थे, जो संविधान निर्माता प्रक्रिया की प्रक्रिया के अलग-अलग समितियों का गठन किया गया। डॉ. भीमराव अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष बने। पंडित जवाहर लाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बने। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार पटले बने। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटले बने। यह जो संविधान का स्वरूप बना। सविंधान में सिर्फ प्रारूप समिति का स्ट्रकचर नहीं था। इसमें सभी लोगों का योगदान था और ये संचालन समिति में डॉ. भीमराव अंबेडकर, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल इनका भी योगदान रहा। इसमें जो सदस्य भाग लिये जिन्होंने उन शक्तियों का योगदान अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधि बनकर आये। अलग-अलग राज्यों से उनका चयन हुआ। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1947 को संविधान को सभा द्वारा, सदस्यों द्वारा अंगीकृत किया गया। संविधान की मूल विशेषता में जो बात आ रही थी और बहुत सारे विद्वान सदस्यों ने बताया। हमारा संविधान इतना लचीला है और इतना सर्वग्राही, सबस्परी है जो दुनिया में कोई भी संविधान न इसकी, कहा जाता है कि सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा संविधान होना उसकी विशेषता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संविधान का लचीलापन, उसमें 103 से ज्यादा संशोधन हो गये। वह ऐसा कोई,ग्रंथ किताब नहीं है कि अपरिर्वतन हो सके। जरूर उसको जिस डिब्बे में रखा गया है, वह हीलियम गैस में रखा गया है। वह सब चीज को निर्जिव कर देता है। लोकसभा के जिस कक्ष में रखा गया है, जिस बाक्स में रखा गया है उसमें हीलियम भरा है। मगर यह उतना ही परिवर्तनशील हमारा संविधान है। उतने ही 103 से 104 बार परिवर्तन हुए हैं और बार-बार लोगों की उम्मीदें, लोगों की आशाएं को पूरी करने का प्रयास किया है। इसका मूल ढांचा कैसे बना ? इस संविधान का स्ट्रकचर भारत शासन अधिनियम 1935 से शुरूआत होती है। अलग-अलग राष्ट्र से अलग-अलग देश के संविधान का गहन अध्ययन किया गया। ये सारे विद्वान जिस समिति में थे उसमें ग्रुप डिस्कशन होता था, लंबे-लंबे बहस होते थे, घंटों बहस चलती थी। ब्रिटेन से क्या लिया, ब्रिटेन के संविधान से ब्रिटेन से संघीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधायकी के अध्यक्ष का पद लिया गया। अमेरिका से, जो उस समय का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय का पुनरावलोकन लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, विधानसभा के सदस्यों

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति लिया गया। यह मूल जितने अलग-अलग राष्ट्र का जो संविधान था, उस संविधान का निचोड़ उसकी मूल भावना को लेने का काम किया। कनाडा से संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन लिया गया। आस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया। जर्मनी से आपातकाल की सेवाएं, मूल अधिकार का स्थगन लिया गया, जिसकी चर्चा हमारे विद्वान सदस्य कर रहे थे। यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, दक्षिण आफ्रीका के संविधान से, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, फ्रांस से गणात्मक व्यवस्था, रूस से मौलिक कर्तव्य, जापान से विधि स्थापित प्रक्रिया लिया गया। यानी संविधान बना है तो दुनिया के सारे संविधान का एक निचोड़ है। उसमें से जो अच्छे तत्व हैं, उन तत्वों को इसमें शामिल करने का काम किया है। जब संसद में प्रवेश करते हैं तो संसद के प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही कि हमारी संविधान की आत्मा क्या है ? इस आत्मा को यदि अध्ययन करना है, इस आत्मा को पढ़ना है तो जैसे ही हम संसद के प्रवेश द्वार में उस श्लोक को देखते हैं, जो वेद से लिया गया है, यानी संविधान की आत्मा हीं न कहीं देश के करोड़ों लोगों को उम्मीदों से ही नहीं हमारी हजारों, लाखों साल की जो परंपरा रही है, वेद की वाक्य में उसका एक वाक्य संसद की प्रवेश द्वार में वहां पर लिखा है-

"अयं निज: परो वेति गणना लघु चेतसाम्।
उदारचरितमां तु वसुधैव कुटुम्बकम्" ।।

इसका मतलब है कि हम भारतवाषियों की यही पहचान है। हम अपने पराये का भेद नहीं पालते। हम अपनी चरित्र की उदारता कायम रखते हुए इस समूचे धरती को एक कुटुम्ब की तरह देखते हैं। इस भावना की बीज भारत के लोगों के मन में वेदकाल में बोये गये थे। यह आज की भावना नहीं है। आज का विषय नहीं है। वैदिक काल से वसुदैव कुटुम्बकम को हम मानते आ रहे हैं आपस में विवाद के बाद अपना मूल चरित्र हमने कभी खोया नहीं। यही हमारी अस्मिता है और यही हमारे संविधान की आत्मा है। ये मूल वाक्य इस संविधान के बारे में 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस इसमें हमें लगा कि आजादी मिलने के बाद में हमें स्वतंत्रता तो मिल गई, मगर हमें स्वतंत्रता के साथ-साथ हमारे इस देश को चलाने के लिए जिस संविधान की आवश्यकता है जिस देश को चलाने के लिए जो कानून-व्यवस्था बनाने की व्यवस्था है ये कॉन्सट्यूशन हमारे लिए एक धर्मग्रन्थ की तरह है इसकी पूजा की जाती है इस धर्म ग्रन्थ के साथ-साथ जो इस संविधान की प्रक्रिया के बारे में मैं पुरानी किताब देख रहा था। सन् 1939 का संविधान पिछले 2 शताब्दियों से अंग्रेजों का शासनकाल इस देश में 200 साल चला। 2 शताब्दियों तक संवैधानिक दस्तावेज से लेकर हम एक बात में भिन्नता रखते हैं वह यह कि दस्तावेज साम्राज्यवादियों की शक्ति की तरह लादी गई थी जो उस समय का दस्तावेज था, जो शताब्दियों में संवैधानिक दस्तावेज जिसको कहते हैं जहां अंग्रेजों ने जिस आधार पर राज्य चलाया। उसको समाजवादियों का लादी गई दस्तावेज मानते हैं, किन्तु गणतंत्र का संविधान लोगों के प्रभुत्त संपन्न संविधान सभा के सम्वेत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया गया है और ये निश्चित रूप से इसको बनाने के साथ-साथ इसको चलाने के लिए जो बड़ी बातें जिसके बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा कि उन्होंने वर्ष 1922 में जो बात कही थी उस कल्पना को भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनायेंगे, स्वराज ब्रिटिश पार्लियामेंट से भिक्षा नहीं होगी और इसकी उद्देशिका में जिन बातों को लिखा गया है उस उद्देशिका को आप देख सकते हैं और इसमें महत्वपूर्ण विषय जो हम इसको कॉन्सट्यूशन का हिस्सा देखते हैं इसमें जो हमारे फंडामेंटल राईट हैं जो इस कॉन्सट्यूशन की आत्मा है जो लोगों को अधिकार मिले हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरूद्ध संरक्षण का अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा का अधिकार 29 से 30, ईलाज प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 32 । ये अधिकार हमारे अलग-अलग फंडामेंटल राईट हैं जो आज गरीबी, अशिक्षा, बीमारी के खिलाफ जो लड़ाई की बात हम करते हैं ये संविधान ने हमें वह शक्ति दी है और उसके साथ-साथ सत्य, अहिंसा, लोकतंत्र और पंथ निरपेक्ष में विश्वास पैदा कर हमारा संविधान मानवता के धर्म ग्रंथ की तरह प्रतीत होता है। इस धर्म ग्रंथ को और संविधान को और संविधान की सारी बातों को जब हम निकालकर देखते हैं तो मुझे लगता है कि आज इस देश में फिर से हम इस बात की चिंता करें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कल्पना की थी, जो सोच रखा था और छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद खासतौर से ये बात कह सकता हूँ कि हम इस संविधान के अधिकार को उन अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग समाज के गरीब तबकों के उत्थान के लिए कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं इस बात की चिंता इस विधान सभा को करना है नये-नये कानून बनाकर हम अधिकार देते हैं हमने पिछली सरकार में रहते हुए हमने राईट टू स्कील दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। यहां पर हमने अलग से कानून बनाकर लोगों को राईट टू फुड दिया यानी कोई भूखा नहीं सोयेगा। ये लोगों के अधिकार में दिया कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता। ये सरकार की जवाबदारी है। राईट टू फुड का मतलब आज यदि हम 60 लाख परिवारों तक पहुंच रहे हैं तो ये संविधान ने ही हमें यह शक्ति दी है कि हम लोगों तक पहुंचें। हमने राईट टू स्कील दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बेहतर तरीके से किया जा सकता है संविधान निर्माण के लिए बाकी सभी सदस्यों ने अपनी बात कही। मैं आज इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि हम जब संविधान की शपथ लेते हैं, सौगंध लेते हैं तो उसी के अनुरूप हमें आचरण करना चाहिए। यही हमारे लिए संविधान की सबसे बड़ी सीख होगी। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय सभापति महोदय, ...।

सभापति महोदय :- श्री देवव्रत सिंह जी। आप बैठिए। आप जो भी बोल रहे हैं रिकॉर्ड में नहीं आएगा।

अप्रवेदित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- [XX] [7]

श्री अजय चन्द्राकर :- उनको बोलने का अवसर दे दीजिए।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- [XX]

सभापति महोदय :- कृपया आप बैठिए। श्री देवव्रत सिंह जी।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, आज पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आज हमारे देश की जो भी लोकतांत्रिक प्रणाली है, हमारे देश में जो सरकारें काम कर रही हैं, आजादी का जो सही मायना है, वह हमको संविधान ने सिखाया है। मैं समझता हूं कि देश की आजादी के बाद यह देश को बनने, एकजुट होने और जोड़ने के लिए यदि किसी एक परिभाषा की बात कर रहे हैं तो केवल हमारे भारत का संविधान ऐसा बना। जिस देश में हर 50 किलोमीटर पर बोली, भाषा, जातियॉ बदलती है, परिवेश बदलता है, लोगों के सोचने का तरीका बदलता है। इतने व्यापक देश को अगर किसी ने एक सूत्र में बांध रखा है तो वह हमारे देश का संविधान है। मैं समझता हूं कि धार्मिक ग्रंथों की बात होती है, कोई गीता की, कोई कुरान की, कोई बाईबिल की बात करता है। लोग अलग-अलग तरीके से अपने धर्म में जीते हैं, लेकिन हमारे देश का संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी धर्मों और जातियों को बांध करके रखा है। संविधान के ऊपर बाबा साहब अंबेडकर की भूमिका, उस समय जो हमारे देश के नेता संविधान सभा के सदस्य थे, उन सबकी जो भूमिका थी, उसको तो काफी व्यापकता से समझा गया, पढ़ा गया, लिखा गया। देश के संविधान में लगभग 100 से ऊपर संशोधन देश की बेहतरी के लिए आये। आज जब संविधान दिवस की चर्चा हो रही है जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, मेरा जो व्यक्तिगत मत है, संविधान बनाने वालो ने उन परिस्थितियों में संविधान को बनाया था, समय के अनुसार हम उसमें संशोधन लाते चले गये। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जिसकी हमको जरूरत महसूस होती है या जिस संशोधन को हम लोग महसूस करते हैं, जब संविधान बना तब उसको समाहित नहीं किया गया था, लेकिन बाद में देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण 42वां संशोधन लाया जिसमें की ''कर्तव्यों'' को जोड़ा। लोग संविधान में केवल अधिकारों की बात करते हैं कि हमको संविधान से ये अधिकार प्राप्त है, हमको ये मिलना चाहिए। लेकिन संविधान की उद्देश्यिका (preamble) जो थी, उसके निर्माण में उसको कभी ज्यूडिशियल स्वरूप नहीं दिया गया। उद्देश्यिका (preamble) को कभी ज्यूडिशियल स्वरूप नहीं दिया गया, यदि social justice की बात है, कोई आदमी कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकता कि मुझे social justice नही मिला। लेकिन social justice का आरक्षण के माध्यम से एक पैमाना, एक सूत्र बनाया गया। लेकिन आज जब हम बात करते हैं निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के साथी हैं, जिनको इस

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

संविधान से जो अधिकार मिलने थे, उसकी समीक्षा करेंगे तो मुझे लगता है कि आज भी 20, 25 प्रतिशत साथियों को ही उसका अधिकार मिल पाया। मुझ लगता है कि कहीं न कहीं हमारा जो सिस्टम है, हमारा संविधान धर्मग्रंथ है, लेकिन हमारे सिस्टम में कहीं न कहीं परेशानियॉं हैं। उन परेशानियों के चलते हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के भाई, कमजोर वर्ग के लोग हैं, संविधान जिनके लिए एक बड़ा अस्त्र था, उसका लाभ आज भी नहीं मिल पाया है। आरक्षण के माध्यम से एक बड़ी व्यापक चर्चा होती है, कई लोग आरक्षण के पक्ष में बोलते हैं, कई लोग विरोध में बोलते हैं। लेकिन हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्रों में घूमते हैं तो आज भी देखते हैं कि 60-70 साल में जिनको आरक्षण मिला था या मिलना था, आप उसकी केपिसिटी देखेंगे कि कितने प्रतिशत लाभ मिला तो हम आज भी 25 प्रतिशत से ऊपर नहीं जा सके हैं। मुझे लगता है कि संविधान में यह जो आरक्षण का मुद्दा है, इस पर और गंभीरता से चिंतन करके ऐसे नियम संशोधन करना चाहिए ताकि संविधान की जो मूल मंशा थी कि जो हमारे आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको अधिकार प्राप्त हो और अधिकार के साथ उनका अधिकार सुरक्षित भी हो। मुझे लगता है कि शायद संविधान में और अधिक संशोधन की आवश्यकता है, कुछ ऐसे बिल लाने की जरूरत है ताकि ऐसे वर्ग जिनके लिए 1952 में संविधान में प्रावधान किये, हम उसको सशक्तिकरण कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज मूल मे आऊंगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब मौलिक कर्तव्य वाली बात शामिल की, तब इस संशोधन को लेकर लोगों के मन में बड़ा संशय था। मैं समझता हूं कि आज जब हम संविधान में चर्चा कर रहे हैं तो 70-80 वर्षों के बाद में इस बात की चर्चा जरूर होनी चाहिए कि यदि हमने अधिकार प्राप्त किये हैं, संविधान ने हमको अधिकार सम्मत बनाया है तो कहीं न कहीं हमारा इस देश के प्रति कर्तव्य भी दिखाई देना चाहिए। कर्तव्यों की बात करें तो आज ऐसी बहुत सारी चीज है, देश के मामले में तो किसी भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्या में पूरा देश एक हो जाता है, लेकिन जब वन, झील, नदी, वन्यजीव, संस्कृति और इसके साथ-साथ कर्तव्य की एक बहुत बड़ी बात यह है कि हम सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें । यह एक ऐसा प्रावधान है जो हमारे संविधान में जब संशोधन हुआ तो एक कर्तव्य रूप में आया है । लेकिन आज हम देखते हैं कि भीड़ के तहत लोग भीड़तंत्र के माध्यम से लोग अपनी बात मनवा लेते हैं । ये लोग कहीं न कहीं संविधान को कमजोर करने का प्रयास इस माध्यम से करते हैं । मैं समझता हूं कि कर्तव्यों के पीछे कोई कानूनी प्रारूप इसलिए नहीं दिया गया है कि लोग कोर्ट चले जाएंगे लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि संविधान ने तो हमको सब कुछ दिया लेकिन जब कर्तव्यों की बात आती है, उसमें हम कहां खड़े हैं ? इस देश ने हमको सब कुछ दिया लेकिन हम देश के लिए क्या कर रहे हैं ? हमारी सोच कितनी मजबूत हुई है । साक्षरता को लेकर एक कर्तव्य उसमें निहित किया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, यह होना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं । लेकिन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आज इतने वर्षों के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता और पढ़ाई कहीं न कहीं कमजोर है । क्योंकि हम अपने कर्तव्य में कहीं न कहीं कमजोर हुए हैं । मुझे लगता है कि आज जब हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं तो अधिकारों पर तो बात होनी चाहिए लेकिन कहीं न कहीं संविधान को मजबूत करना है तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो बात रखी थी कि ये देश केवल अधिकारों से नहीं चलेगा, यह देश कर्तव्यों से भी चलेगा और संविधान में हमारे कर्तव्य निहित है । हम कैसे बेहतर नागरिक बन सकें और कैसे एक अच्छी सोच बना सकें । मैं समझता हूं कि संविधान पर जब चर्चा हो रही है तो संविधान के जो निर्माता थे, वे देश को एक मजबूत सशक्त बनाना चाहते थे । जब बाद में संशोधन हुए तो उसके माध्यम से देश को और मजबूत किया गया है । विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेने से लेकर राष्ट्र को मजबूत करने में संविधान हमारा मार्गदर्शन करता है । सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा लेकिन संविधान दिवस के अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि हम अधिकारों की लड़ाई तो लड़ते रहे, संशोधन करके संविधान को मजबूत करते रहे लेकिन देश के प्रति अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से निवर्हन करें, धन्यवाद् ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, आज संविधान दिवस है और 29.11.1949 में इस संविधान को अंतिम रूप दिया गया । संविधान को अंगीकृत 26 जनवरी 1950 को किया गया, उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं । आजादी के 60-70 वर्षों बाद भी इस दिवस को कभी किसी ने न मनाने की बात सोची और न कोई प्रयास किया । पहली बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल पर, प्रथम बार 2015 में भारत के संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर की जयंती का 125 वां वर्ष था तो इसे एक समारोह के रूप में मनाने की शुरूआत हुई है । हम यह कह सकते हैं कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर के प्रति पूरा देश जब श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता है, उसकी शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कराई। सभापति जी, 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिनों में इस संविधान की प्रक्रिया पूरी हुई । संविधानक प्रारूप में 114 दिनों तक बहस चली । इसमें 395 अनुच्छेद थे, 12 अनुसूचियां थीं और बाद में 103 संविधान संशोधन हुए ।

सभापति महोदय, इस संविधान के निर्माण के लिए बहुत सी उप समितियां बनाई गई थीं । उसमें नियम समिति के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद थे, संचालन समिति के सदस्य राजेन्द्र प्रसाद जी थे, वित्त एवं कर्मचारी उप समिति में राजेन्द्र प्रसाद थी, प्रारूप समिति में भीमराव अम्बेडकर थे, सलाहकार समिति में सरदार पटेल थे, मूल अधिकार उप समिति में जे.बी.कृपलानी थे, अल्पसंख्यक उप समिति में एच.सी.मुखर्जी थे, पूर्वोततर सीमा जनजाति क्षेत्र आदि की समिति में गोपीनाथ बरदोलाई थे, अपवर्जित क्षेत्र उपसमिति में जे.जे. निकोलस राय थे, संघ शक्ति समिति में जवाहर लाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति में सरदार पटेल थे । झण्डा समिति में जे.बी. कृपलानी थे। संघ संविधान समिति में जवाहर लाल नेहरू थे। राज्य समिति में जवाहर लाल नेहरू थे। कार्य संचालन समिति में कन्हैय्या लाल बंशी थे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कच्चा प्रारूप समिति में नरसिंम्हा राव थे। इसमें जयप्रकाश नारायण जी और तेज बहादुर सप्रू जी ने स्वास्थ्यगत कारणों से संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। संविधान निर्माण में उस जमाने में 6.4 करोड़ रूपये खर्च हुए थे। इस संविधान को सिर्फ भारत में ही बैठकर नहीं बल्कि विश्व के बहुत से देशों से वहां के संविधान की अच्छी बातों को स्वीकार किया गया। अमेरिका, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आयरलैण्ड, फ्रांस, साउथ अफ्रीका जैसे विकसित देशों जैसे संविधान से भी कुछ अच्छी बातें लेकर भारत के संविधान में शामिल किया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया। जापान से विधि और स्थापित प्रक्रिया को लिया गया। रूस से मूल कर्त्तव्यों के प्रावधान को लिया गया। आस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का उपबंध लिया गया। जर्मनी से आपात उपबंध और आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन को लिया गया। आयरलैण्ड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्य सभा के कुछ सदस्यों का नाम निर्देशन लिया गया। कनाडा से संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, अपविष्ट शक्तियों केन्द्र के निहित एवं केन्द्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्तियों के लिए अवज्ञा। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को लिया गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाये जाने का उपबंध, उपराष्ट्रपति, संविधान की सर्वोच्चता एवं संघात्मक शासन प्रणाली को लिया गया। ब्रिटेन से संसदीय शासन पद्धति, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, संसद की प्रक्रिया, विशेषाधिकार, परमाधिकार, रिट विधि निर्माण प्रक्रिया और राष्ट्रपति की औपचारिकता की स्थिति को लिया गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा ने ही तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई, 1947 को अपनाया। इसकी चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात भी 3:2 होता है। ध्वज में भी अनुपात वाली 3 पट्टियां हैं। वह केसरिया, सफेद और हरे रंग का है। सफेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तितियां हैं। इसे सारनाथ के अशोक के सिंह स्तम्भ पर बने चक्र से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य और त्याग का सफेद रंग, सत्य का, पवित्रता का और हरा रंग जीवन की समृद्धि का परिचायक है। यह संविधान बहुत व्यापक है और संविधान के बारे में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने भाषण में भी यह कहा है कि संविधान को पालन करने वाले लोगों को पात्र और योग्य होना चाहिए। अगर पात्रता और योग्यता नहीं है तो संविधान में जान नहीं होती है। उसकी जान तब आती है जब उसको संचालन करने वाले लोग अच्छे हों। डॉ. अंबेडकर साहब ने भी यही कहा है कि संविधान तो एक निर्जीव पुस्तक है। अगर उसमें कितना भी अच्छा संविधान बना दे, उसको पालन करने वाला अगर खराब आ जाये तो संविधान भी खराब हो जाएगा और अगर पालन करने वाला सही हो तो वह संविधान भी अच्छा हो सकता है। यह देखा गया है कि जब-जब भारत के संविधान में जो हमारे वंचित वर्ग के लोग हैं। गरीब कुचले लोगों को जो अधिकार प्रदत्त बाबा अंबेडकर ने किये हैं और जब-जब उनके इस

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

अधिकार को किसी ने रोकने बदलने या उसे खत्म करने की बात की है तो सबसे ज्यादा मजबूती से संविधान ने ही ऐसे तत्वों को रोका है और उनके अधिकार यहां पर सुरक्षित हैं। पूरा देश भी सुरक्षित है। संविधान एक प्रकार से भारत की आत्मा है और जिस देश का संविधान मजबूत होता है। जिस देश की व्यवस्था, कानून संविधान में बताये कानून के अनुसार चलती है, वही देश मजबूत हो सकता है। उसी देश में शांति हो सकती है। उसी देश को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा खुद का भी एक आसपास का जो हम सुनते पढ़ते हैं, उसके आधार पर मैं अनुभव के आधार पर बोल सकता हूं कि हमारे पड़ोस के कई देशों में जहां संविधान की मजबूती नहीं है, उस देश में अस्थिरता है। चाहे वह चायना हो। वहां तो मिलिटरी रूल है, वहां के सिस्टम मे संविधान में कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। नेपाल है, वहां के राजशाही के बाद वहां पर कई बार सड़कों में संघर्ष हुआ। संघर्ष के माध्यम से भी वहां आज तक संविधान प्रभावी ढंग से नहीं बना है। कभी भी यू चुटकी में सत्ता के परिवर्तन का दौर चलता है। हमारे पड़ोस का एक कुख्यात देश है..।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- बाकी आपका भाषण बहुत अच्छा है, हम लोग सुन रहे हैं। आज प्रश्नकाल के दौरान आपने एक शब्द कहा- मानव बम। आप कहां से खोजकर लाये थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह असंसदीय नहीं है। यदि है तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा था कि आप इसे निकाल सकते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं-नहीं, मैंने कहा कि मानव बम प्लांट कर दिए, कहा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको व्यवधान करना है, आप बोलिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं, आप मानव बम नहीं जानते क्या ? श्री राजीव गांधी को मानव बम ने ही ब्लास्ट किया था। बटन दबाते हैं, ब्लास्ट हो जाता है। वह तो मर ही जाता है, पर सामने वाले को भी मार डालते हैं। मैंने व्यवस्था में एक बोला था कि ये मानव बम बनकर आ रहे हैं, हमारी पूरी व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। मैंने इनके प्रति कोई दुर्भावना से नहीं कहा था। अगर आपको वह भी बुरा लग रहा है तो उसके लिए भी क्षमाप्रार्थी हैं। आप जितनी बार मंगवाते रहेंगे, हम क्षमा मांगते रहेंगे। हमें कोई तकलीफ नहीं है, परन्तु आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए।

अध्यक्ष जी, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हमारे साथ ही आजाद हुआ पाकिस्तान, वहां भी बना संविधान। लेकिन वहां इतना लचर संविधान बना है कि वहां पर कभी भी कोई मिलेट्री आर्मी चीफ रात को ही राष्ट्रपति को हटा देता है और कब्जा कर लेता है। ये ऐसा नहीं, आजादी के 70 साल में से आधे से अधिक साल वहां का मिलेट्री रूल लागू हुआ है, वहां मार्शल लॉ रूल किए हैं। तो वहां की संविधान की कमजोरी के कारण यह व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, उस देश का प्रधानमंत्री, उस देश के आर्मी चीफ के सामने खड़े होकर कांपता है। लेकिन हम इस बात का गर्व है कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना अधिकार दिया है। यहां पर हमारा जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी नेता, चाहे वह

अप्रमाणित/असंशोधन के लिए नहीं

मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वह गृहमंत्री हो, चाहे वह खाद्यमंत्री हो, जब वह खड़े होता है, तो न तो उसको कोई अधिकारी आंख दिखा सकता और न कोई पुलिस का अफसर, न हीं कोई आर्मी का अफसर। ये है संविधान, अनुभव के आधार पर बनाया गया संविधान है। बर्मा में कितने वर्षों तक डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष हुआ। भूटान में राजशाही के बाद वहां डेमोक्रेसी की स्थापना हुई है। तो ये सब चीजें हैं, हमारे ही पड़ोस में डेमोक्रेसी के संविधान है, उसका अच्छा और बुरा असर देखा है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान मजबूत है। हमारे इन महापुरूषों ने इस संविधान को बनाया है। इसकी हिफाजत करना, इसको मानना, इससे डरना, इसके माध्यम से ही शासन-प्रशासन चलाना, यह हम सबका कर्तव्य है। संविधान दिवस मनाने के लिए पहल करने के लिए श्री नरेन्द्र मोदी जी को मैं जरूर बधाई देना चाहता हूं।

समय :
2:33 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक अच्छी पहल करके हमारे उन सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धासुमन अर्पित करने का काम किया। उसी की कड़ी में मैं आज अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने विधान सभा की अन्य परम्परागत कार्यों को रोककर के संविधान दिवस के रूप में हमारे संविधान निर्माताओं को यह कृतज्ञ राष्ट्र, कृतज्ञ छत्तीसगढ़ प्रदेश याद कर रहा है, उसके लिए आपने अवसर दिया, मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय। हम सबको इस बात के लिए कृत संकलिप्त होना पड़ेगा कि हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे, हम अपने देश की एकता औ अखण्डता की रक्षा करेंगे और इस देश पर होने वाले किसी भी खतरे पर पूरा देश एक रहेगा। प्रदेश के किसी भी होनी और अनहोनी की स्थिति में पूरा प्रदेश दलगत राजनीतिक चश्में से हटकर संविधान के दायरे में हम सब मिलकर के काम करके अपने छत्तीसगढ़ को मजबूत रास्ते पर ले जायेंगे। यही कामना करते हुए, अध्यक्ष जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। शैलेश पाण्डे जी।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज इस दिन अपने विधान सभा में गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सबको भी बोलने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष जी, जब हम यह जानते हैं कि जिस प्रकार संविधान का एक संविधान है, जिसमें सूर्य भी है, चन्द्रमा भी है, तारामण्डल भी है, ग्रह नक्षत्र भी हैं, जिसमें दिन और रात भी होते हैं, अयन भी होते हैं, ऋतुएं भी आती हैं, यह जो ब्रम्हाण्ड का संविधान है, इस प्रकार से बना हुआ है, जिसमें

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

सब समय के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उसी प्रकार हमारा जो संविधान है, यह संविधान हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथ है । हमने भगवान को नहीं देखा, हम में से किसी भगवान को नहीं देखा है । हम गीता को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बाईबल को मानते हैं, हम गुरू ग्रंथ को मानने वाले सब लोग हैं । हम में से किसी ने भगवान को नहीं देखा है और हमको अगर कोई बचाता है, हम सबकी रक्षा करता है, इस देश की एक-एक नागरिक की रक्षा करता है, उसको आगे बढ़ाता है तो वह हमारा संविधान ही होता है । मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उन समस्त संविधान निर्माताओं, जो आज इस संसार में नहीं हैं, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको याद करता हूं कि उन्होंने कितनी कठिन तपस्या से इस संविधान का निर्माण किया, जिससे कि भारत देश अखण्ड हो सके, सुरक्षित हो सके, हम सब देशवासी सुरक्षित हो सकें ।

मानननीय अध्यक्ष जी, संविधान में सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि हम भारत के लोग । हम भारत के लोग यानि कि हमारा भारत, हमारी सरकार और सरकार और हमारे देश में रहने वाला एक-एक नागरिक । उन्होंने हमारे देश में रहने वाले एक-एक नागरिक को अपने सरकार से जोड़ा है, मौलिक अधिकार से जोड़ा है, जिस पर हमारे प्रदेश का, देश का नागरिक होता है, वह अच्छे से रह पाता है, अपना काम कर पाता है, स्वतंत्रता से वह घर जा पाता है, सो पाता है और अपनी जीवन-यापन कर पाता है । हम सबको संरक्षण किसने दिया । हम सबको संरक्षण हमारे संविधान ने दिया । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब संविधान बनाया जा रहा था, तब उन सबके सामने यह कठिनाई जरूर रही होगी कि क्या हमारा संविधान एक कठोर संविधान बनें, जिसमें राजतंत्र जैसी सारी चीजें लायी जाए, विशेषता लायी जाये या हमारा संविधान ऐसा बने, जो एक लचीलापन बने, जिसमें लोकतंत्र में लोगों को वह अधिकार दिए जाएं । जब संविधान बनाया जा रहा था, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन, अमेरिका, यू.एस.एस.आर., आस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, आयरलैण्ड इन सभी देशों के जो नियम-कानून है, संविधान है, उनका अध्ययन किया और उनका अध्ययन करने के बाद लगभग दो वर्ष, 11 महीने, 18 दिन में हमारे संविधान को एक मूर्त रूप दिया । मैं उस दिन को भी बहुत मानता हूं, जब 19 अगस्त, 1947 को संविधान समिति की स्थापना की गई, जिसमें डा. भीमराव अम्बेडकर जी को नियुक्त किया गया, यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि उन्हें संविधान बनाना है, लोगों को अधिकार देना है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर यह जरूर कहूंगा कि जिन लोगों ने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों की आहूति दे दी, उन सभी लोग जो आज इस संसार में नहीं हैं, उन सभी लोगों की जो भावनाएं थीं, वह सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने । उनके मन में भी यह बात रही होगी कि हमारा देश किस प्रकार का है और हमारे देश का संविधान किस प्रकार से होना चाहिए । अंग्रेजों की गुलामी के बाद आज उस समय हमारे देश में जो अत्याचार हुए, जिस प्रकार से हम लोग परेशान किए गए, जिस प्रकार से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हमारा धन-सम्पत्ति को लूटा गया, हम लोगों को, हमारे देशवासियों को परेशान किया गया, उसके हिसाब से जो संविधान निर्माता समिति थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा संविधान बनाया, जिसमें धर्म निरपेक्षता पर जोर दिया, जिसमें सभी धर्म और जाति के लोगों का सम्मान किया ।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेष बात पर बहुत जोर दूंगा कि संविधान ने संघवाद और एकात्मवाद दोनों पर जोर दिया है । जिस प्रकार से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारों ही मिलकर इस देश को संचालित कर रही हैं । उसी प्रकार उन्होंने एकात्मवाद का संदेश दिया कि अगर आपालकाल की जरूरत पड़ती है तो केन्द्र उसमें महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है । मैं इस अवसर पर यह अवश्य कहूंगा कि हमारे देश की जो संसदीय प्रणाली है, वह संसदीय प्रणाली भी बहुत खुबसूरत बनाई गई है, बहुत अच्छी बनाई गई है, जिसमें केन्द्र सरकार की जो संरचना बनाई गई है, जो राज्य सरकार की जो संरचना बनाई गई है, जिस प्रकार से राज्य के प्रतिनिधि भी विधान सभा के माध्यम से केन्द्र में जा सकते हैं और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भी लोकसभा में जा सकते हैं । मुझे लगता है कि पूरे विश्व में सबसे सुन्दर संविधान हमारे हिन्दुस्तान में ही का बनाया गया है। मैं एक बार और जरूर कहूंगा कि पिछले 70 वर्षों में हमारे देश को जिस प्रकार की गरीबी से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, स्व. इंदिरा गांधी जी ने, स्व. राजीव गांधी जी ने, इस देश को उबारा है, हमारे देश में एक सुई भी नहीं बनती थी । इस देश को उन्होंने आर्थिक रूप से संपन्न किया । मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा होऊंगा, सरकार ने ही बनाया था । उन्हीं लोगों ने ही बनाया था । आज पढ़ लिखकर आपके सामने यहां उपस्थित हूँ। हमारे देश में जिस प्रकार से 70 वर्षों में जो जनप्रतिनिधि रहे, जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इस संविधान की रक्षा करते हुये, एक-एक देशवासियों की रक्षा करते हुये, आज यहां पर 70 वर्षों में हिन्दुस्तान को एक ऊंचाई पर, शीर्ष में पहुंचाया है । आज हमारा देश पूरे विश्व में धर्म गुरू के नाम से जाना जाता है । यह यहां की संस्कृति थी, जो हमारे यहां की इस संविधान की जो खूबसूरती है, यह अधिकार भी देती है, कर्त्तव्य भी देती है, संस्कृति को भी मजबूत करती है । न हमने अपनी संस्कृति खोई, आज जिस भी जाति, धर्म के लोग हैं, अपनी संस्कृति के साथ मजबूत खड़े हुये हैं, मैं अपने घर में मजबूत खड़ा हुआ हूँ । सब लोग अपने घर में मजबूत खड़े हुये हैं। यह हमारे संविधान की व्यापकता है । यह हमारे संविधान का लचीलापन है । इसके कारण हम सब को अधिकार मिले हैं । आज मैं इस अवसर पर आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन इस बात को भी कहूंगा कि यह पीड़ा मेरी भी है, आज हम सब लोग जो अधिकार मिला है, अधिकारों का उपयोग करना ही केवल संविधान का उद्येश्य नहीं था । हमारे कर्त्तव्य भी हैं । एक-दूसरे के प्रति कर्त्तव्य है । पास-पड़ोस के लिए कर्त्तव्य है । हम सब के लिए कर्त्तव्य है । उन कर्त्तव्यों का भी पालन हम सभी देशवासियों को करना चाहिये, जिससे हमारा देश उत्तरोत्तर प्रगति करता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । आपका आभार व्यक्त करता हूँ ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती इंदू बंजारे । श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय (बिलाईगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज आपका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस संविधान दिवस के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़वासियों के लिए और इस सदन के लिए एक नया दिन संविधान दिवस के रूप में हम सब मनाने जा रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं बाबा साहब डॉ. भीमराव आम्बेडकर को नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही कड़ा संघर्ष जीवन-यापन करने के बाद, कड़ी मेंहनत करने के बाद, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कड़ी संघर्ष के बाद संविधान को एक नया ढांचा दे पाया । इतना ही नहीं, आज पूरा विश्व आज भारत की संविधान का, भारत की कामयाबी का, भारत की उपलब्धि का, आज गाथा विश्व में गा रहे हैं । मैं भारत के इस संविधान के बारे में जितना भी कहूं, कम है । एक बात जरूर कहूंगा, आज विश्व में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारत के संविधान निर्माता बाबा भीमराव आम्बेडकर के जीवन गाथा पर यूनिवर्सिटी की पाठ पढाई जा रही है । जिस देश ने उस महान सख्शियत ऐसे संविधान निर्माता को दिया, महापुरूष डॉ. भीमराव आम्बेडकर साहब के जिनके बारे में हिन्दुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में एक लाईन भी नहीं पढ़ाया जाता, यह दु:ख का विषय है । मैं आपके माध्यम से सदन से मांग करता हूँ कि हिन्दुस्तान की यूनिवर्सिटी में, छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी में बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर का जीवन गाथा पढ़ाया जाये, उनके विद्वता के बारे में बताया जाये, संविधान के बारे में बताया जाये, यहां के लोगों के बारे में बताया जाये, कितने दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित लोग आज हिन्दुस्तान में खुली रूप से सांस ले रहे हैं । इस स्वतंत्र भारत में अपनी समानता को लेकर, अपने मौलिक अधिकारों को लेकर, खुले रूप से सांस ले रहे हैं, हिन्दुस्तान की इस खूबसूरती को आज संविधान में देखा गया है । बहुत लोगों ने, बहुत तरीके से, अपने-अपने ढंग से बात कही है । हमने सुना भी है, आरक्षण के बारे में बहुत लोगों ने कहा, हमने देखा, उस परिदृश्य को भी हमने देखा, जब वर्ष 1882 में पहली बार महात्मा ज्योतिबाराव फूले ने इस देश में आरक्षण की बात की । पढ़ाई में, शिक्षा में पहली बार आरक्षण की व्यवस्था की। हिन्दुस्तान को एकता, अखंडता और भाईचारे के एकसूत्र में पिरोने का काम किया। निश्चित ही आज हिन्दुस्तान की खूबसूरती है कि यहां के सारे लोग आज एकत्रित हैं, एकजुटता के साथ बंधे हुए हैं, भाईचारे के साथ हम सब लोग भारत का गुणगान कर रहे हैं। आज विश्व के पटल पर बाबा साहब के बनाये कानून के कारण आज सारे लोग हिन्दुस्तान के लोग अमन चैन और खुशहाली के साथ जीवनयापन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बातें बहुत हैं, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सच्चे मायने में संविधान दिवस तभी सार्थक होगा जब छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों गुरूघासीदास विश्वविद्यालय, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जीवनगाथा पढ़ाया जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आप मोला महामानव और पूरा विश्व ह जेन संविधान के तारीफ करथे, प्रशंसा करथे ओखर विषय में दो शब्द बोले बर समय दे हव। आप सबो मन भूरी-भूरी प्रशंसा करे हो। मैं बहुत नया हो, सुनत रहेंव, सीखत रहेंव। मैं इस अवसर पर कहूं कि 1947 में देश ह आजाद होईस। 1947 के पहले ये देश एक राजपरिवार या कोई कानून नई बने रहिस त अईसे ही चलत रहिस लेकिन 1947 के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ह जब कानून बनाईस, त कानून बनाये के जब ओला मौका मिलिस त हजारों साल पहले के तमाम महापुरूष चाहे वह गौतम बुद्ध हो, चाहे रविदास साहेब हो, कबीर साहेब जी हो चाहे हमर छत्तीसगढ़ के पावन धरती में जन्म लेने वाले गुरूघासीदास जी हो, जईसे गुरूघासीदास जी ह कहे रहिस कि मनखे-मनखे एक बरोबर। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ला संविधान लिखे के मौका मिलिस तो जो मनखे-मनखे एक बरोबर कहे रहिस ओला लिख दीस चाहे वह छत्तीसगढ़ के जंगल में रहने वाला गरीब आदिवासी क्यों न हो और राजमहल में रहने वाला राजा क्यों न हो, सबला एक बरोबर अधिकार हे, ऐला कानून में लिखे के काम करे रहिस। आज मैं कहना चाहत हों कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी और जतका जो कमेटी रहिस आज हर प्रकार के यहां पर मौलिक अधिकार हमन ल देकर गये हे। आज मैं जीता-जागता उदाहरण हों। जब मैं विधानसभा चुनाव बर फारम भरेंव तो आप सबो मन नेट में खोलकर देख सकत हो सब मोर जीरो हे। आज न एक तोला चांदी नहीं है, एक तोला सोना नहीं हे, एक डिसमिल जमीन नहीं है। न मोर हे न मोर ददा के हे। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी शायद ये संविधान ला नई लिखे रतिस तो रामकुमार यादव छाये के मसाला जम्मू-कश्मीर में बनात रतिस। मैं आज इस संविधान ला प्रणाम करत हों और मैं सदन से निवेदन करत हों, सदन के माध्यम से पूरा देश ला निवेदन और प्रार्थना करना चाहत हों, जिस प्रकार से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जो कानून बनाये हे ओला हूबहू रखना है, किसी प्रकार से ओमा छेड़खानी नहीं होना चाहिए। हम देखे हन। आज मैं सदन के माध्यम से मोर सदन के नेतामन ला धन्यवाद दिहं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद दिहं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी कहे रहिस कि जिसका जितना संख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी एखर आधार पर हमर माननीय भूपेश बघेल जी आज मंडल कमीशन ला जो लागू करके छोड़ दे रहिस वह लागू नई होए रहिस लेकिन मैं धन्यवाद दिहं, सही में कहिहं कि ज्ञान होना अलग बात हे लेकिन ओला मांनना अलग बात होथे। हम सदन में देखत रहेन कि नाना प्रकार के बड़े-बड़े पुस्तक ला धरके बाचत रहिने, हम तो भई पढ़े-लिखे नई हों, हमन सुनत रहेन देखत रहेन लेकिन आज मैं इस सदन में कहना चाहत हों कि मैं माननीय भूपेश बघेल जी ला धन्यवाद दुहूं कि यहां पिछड़ा वर्ग 48 प्रतिशत जेला बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी कहके गे रहिस ओला 27 प्रतिशत आरक्षण देके काम ला, अगर बाबा साहेब के बात ला, संविधान के बात ला मानने वाला कोई मुख्यमंत्री हे तो माननीय भूपेश बघेल जी हे। मैं निवेदन अऊं प्रार्थना करत हो कि इसी प्रकार से बाबा साहब के बात में आगे बढ़ते रहे। मैं आज ये अवसर पर अऊं

अनसंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कहना चाहूं कि हमर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हा डायरेक्ट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के डायरेक्ट आरक्षण के बार करे रिहिस हे। आज आरक्षण में प्रमोशन के भी बात करे रिहिस हे। लेकिन कुछ दिन से ये सदन में छत्तीसगढ़ में वोला रोक लगा देगे रिहिस हावय। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री ला धन्यवाद देहूं कि फिर से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग ला जो हे आरक्षण ला, प्रमोशन में आरक्षण दिस हे। येखरो लिये मैं धन्यवाद देना चाहथों। आज इस अवसर पर एक बात और कहना चाहूं ये मोर अंतिम शब्द रही, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हा जब संविधान बनाईस ता सोचिस कि यहां पर अगर पढ़े-लिखे ला अनिवार्य कर दीही, कतको आदमी बोलथे कि पढे-लिखें ला ही विधानसभा में जाना चाहिए। पढ़े-लिखे ला ही संसद में जाना चाहिए। लेकिन वो समय जब तमाम महापुरूष मन जब येला लिखिस तो वोला बहुत गहन चिंतन करके लिखे रिहिस। वो चिंतन में आज में इस अवसर पर कहना चाहथों कि चाहे वो हा अनपढ़, ये जो पढ़े-लिखे नई रहाय वहू मन ला संसद अऊ विधानसभा में जाये के मौका मिलथे। लेकिन कुछ दिन से ये विधानसभा में यहां पे एक संशोधन लावत रिहिस हावय जेमा पंच, सरपंच, जिला पंचायत के लिये पांचवीं, आठवीं, ला अनिवार्य कर दे रिहिस हे। मैं मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद देना चाहथों, मोर पार्टी के नेता मन ला, वहू ला संशोधन करते हुए माननीय अंबेडकर साहब हा संविधान ला फिर से हूबहु लागू करीस अऊ ओला संशोधन करे हे। ऊहू ला मैं धन्यवाद देहव। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हमर छत्तीसगढ़ अऊ पूरा भारत हमर जे महामानव संविधान निर्माता मन के बात ला मानते हुए समतामूलक, भाईचारा, आपसी समन्वय बना करके देश अऊ प्रदेश के लिए आगे बढ़ते रबो। इसी आशा अऊ विश्वास के साथ मोला बोला के मौका देव, आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के 70 वीं वर्षगांठ पर आज संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान के बारे में सदन में बोलना प्रतिष्ठापूर्ण एवं गरिमामयी बात है। इस सदन में आज संविधान की प्रस्तावना पर सदस्यों ने अपनी-अपनी राय, अपना-अपना अभिमत दिया है। अवधारणा की व्यवस्था है, मुझे भी बोलने का अवसर मिला है इसके लिये मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं। साथ ही छत्तीसगढ़ के उन पांच विभितियों को भी मैं सादन नमन और प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस संविधान की अवधारणा में, प्रस्तावना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत राज्यों का संघ है। यह संसदीय प्रणाली है। सरकार वाली एक संपूर्ण सम्प्रभूता, संपन्न, समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है। जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे, वर्तमान में बढ़कर संशोधन के बाद 48 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गये हैं। संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करती है। इसी कारण यह हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रांरभ होती है। सभी माननीय सदस्यों ने संविधान की उद्देशिका पर भी अपनी बातें कही है। संविधान के शिल्पकार डॉ. बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि संविधान क्या है- संविधान किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किये गये वह नियम जिसके माध्यम से उस देश का संस्था का सुचारू रूप से संचालन होता है। उसे देश का संस्था का संविधान कहा जाता है। जात-पात ऊंच निच के भेदभाव से खत्म होकर हम देश की...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री या विधि विभाग इससे संबंधित कोई भी आदमी न दीर्घा में मौजूद है न इधर है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जात-पात नेतृत्व के भेदभाव को खत्म करना संविधान का मूल उद्देश्य है। हम वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में देखते हैं। आज भी जो विभिन्नताएं हैं, जो वैचारिक मतभेद हैं जो संविधान की मूल अवधारणा और प्रस्तावना में थी, उनको हम यदि याद करें, उन मूल भावनाओं को याद करें तो यह हमारे संविधान के प्रति और महान शिल्पकार डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इतना कहना चाहूंगा कि केवल दो शब्द कहकर अपनी बातें खत्म करूंगा :-

''हर देश की धरती प्यारी है और देश की धरती न्यारी है
हर देश का अंबर नीला है हर आंख का आंसू गीला है
हर धर्म में नेकी बसती है हर धर्म में धंधे होते हैं
जो धर्म बुरा हो मेरे भाई, कुछ लोग ही गंदे होते हैं।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद्। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद्। आज संविधान का आत्मर्पित करने की 70 वीं वर्षगांठ पर विधान सभा में विशेष चर्चा हुई, इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूँ और मैं चाहूंगा कि आज इस अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि संविधान की उद्देशिका एवं अनुच्छेद 51-क में वर्णित मूल कर्त्तव्यों का पालन करें तथा देश के निर्माण एवं विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद्। माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अंगीकरण की 70 वीं वर्षगांठ पर आपने यहां पर चर्चा करवाकर एक अनुकरणीय काम किया है अद्भुत काम किया है और छत्तीसगढ़ की विधान सभा की चर्चा पूरे देश में इसके लिए होगी। मैं पूरे सम्वेत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सदन की तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और सभी सदस्यों ने सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष सबने इसमें सहमति दी। हम सब लोगों ने बैठकर और कार्यमंत्रणा समिति में इस पर अच्छी चर्चा हुई। हमारे नये सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया। यह एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने संविधान को पढ़ने की कोशिश की और उसके आधार पर अपने आप को बनाने की कोशिश की। मैं आपके प्रति और पूरे सदन के प्रति एक उच्च परम्परा और एक उच्च संविधान के ऊपर हमने चर्चा की और मैं सबसे जयादा धन्यवाद् तो अजय चंद्राकर जी को देना चाहता हूँ जिन्होंने हम सब सदस्यों के लिए एक अद्भुत परिचर्चा यहां पर की और उन्होंने जिस प्रकार का ज्ञान का, बाकी नये सदस्यों को भी अगर हम इस प्रकार से पढ़कर यहां पर चर्चा करेंगे तो हम इस सदन के लिए एक बहुत बड़ी एक ताकत बन सकते हैं। मैं सबके प्रति और आपके प्रति इस भारतीय संविधान की 70 वीं वर्षगांठ पर आपने जो चर्चा यहां पर करवाई, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मना किया था इसलिए मैं नहीं बोल रहा था और कोई बात नहीं है। काट दिया था।

श्री सत्यनाराण शर्मा :- अब इसमें क्या बचा है।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं। बचा कुछ नहीं है। मैं बैठ जाता हूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है। माननीय चंदेल जी को आपका संरक्षण चाहिए, उनको दो दिन से संरक्षण नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने तो दिया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्या पहली बार होगा। हम लोग सब जानते हैं माननीय अध्यक्ष जी आपका, आदरणीय नारायण चंदेल जी को हमेशा संरक्षण रहता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- दो दिन से नहीं मिल रहा है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आपने जो यह अनूठी पहल की है। 2 अक्टूबर को भी कार्यक्रम हुआ और आज भी 26 नवम्बर को संविधान की 70 वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम आपने किया है। ये पूरे हिन्दुस्तान की विधान सभाओं के लिए नजीर है। केन्द्र ने इसकी पहल की है मेरा आपसे अनुरोध है आपको धन्यवाद् देते हुए कि बजट सत्र के पहले हमने जब विधान सभा गठित हुई तो नये विधायकों के लिए कार्यशाला रखी थी, प्रबोधन का कार्यक्रम रखा था बजट सत्र के पहले विधायकों को संविधान के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। कोई न कोई ऐसी कार्यशाला हो, घण्टा दो घण्टा, 4 घण्टे का, जो विशेषज्ञ आयें और संविधान के बारे में बतायें और बजट हम कैसे बनाते हैं बजट के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं कैसे हम हाऊस के अंदर किस-किस बजट पर, किस-किस

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विषय पर कैसे बात करें। इस पर भी कार्यशाला हो। आज आपने हम सब लोगों को बुलाया, इस पर चर्चा करवाई बहुत-बहुत धन्यवाद्।

समय :

3:00 बजे **वित्तीय वर्ष 2019-2020 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा**

अध्यक्ष महोदय :- अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। परम्परानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि - दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 41, 43, 44, 45, 47, 55, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 79, 80 एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर चार हजार, पांच सौ छियालीस करोड़, इक्यासी लाख, इकसठ हजार, पांच सौ इक्कीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री अजय चन्द्राकर।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- संविधान में आज आपकी बड़ी तारीफ हुई है, आपको आसंदी ने भी विशेषज्ञ कहा है। आज शुरूआत भाषण दे रहे हैं, उसको थोड़ा बरकरार रखना। बहुत उत्तेजित भाषण नहीं होना चाहिए। शालीनता से अच्छे सुझाव आने चाहिए। आज संविधान दिवस का दिवस है, इसलिए आप सुन्दर भाषण देना।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- चौबे जी, आप यह नहीं बताये कि किस चीज के विशेषज्ञ हैं।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- मैं आपके जाल में फंसने वाला नहीं हूं। आप बहुत तेजतर्रार संसदीय कार्य मंत्री हैं, इसको तो मैं शुरू से स्वीकार करता हूं। सब चीज से मैंने आज कुछ लाईनें आपको, मुख्यमंत्री जी को, अध्यक्ष जी को, माननीय रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष जी सबको समर्पित की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम निर्वाचित सरकार का द्वितीय अनुपूरक आया। द्वितीय अनुपूरक आने के बाद लगभग मूल बजट का साईज 90,909 करोड़ रुपये था, दोनों अनुपूरक का 8 हजार करोड़ रुपये और जोड़ दें, वह बढ़कर 98 हजार, 99 हजार करोड़ रुपये के आसपास, मतलब हम 1 लाख करोड़

असंपादित/प्रकाशन के लिये नहीं

रुपये को छू लेंगे। प्रथम अनुपूरक में लगभग 4341 करोड़ रुपये टोटल आयोजन था, उसमें राजस्व व्यय 4132 करोड़ रुपये के आसपास था, पूंजीगत व्यय लगभग 209 करोड़ रुपये था। द्वितीय अनुपूरक में 4546 करोड़ रुपये लगभग हैं, उसमें राजस्व व्यय 3921 करोड़ रुपये के आसपास हैं, पूंजीगत व्यय 625 करोड़ रुपये के आसपास है। यदि हम साल भर के टोटल बजट को देखते हैं तो पूंजीगत व्यय में जो अब तक दिख रहा है, वह 834 करोड़ रुपये के आसपास दिख रहा है और बजट की साईज का पूंजीगत व्यय लगभग 10 प्रतिशत दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य, माननीय विधायकगण सारे लोग आज हम विधानसभा में संविधान के प्रति बातचीत किये। मैंने कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य पर ये बात कही, हमेंशा ये बात बोलते हैं, तीन महीने से सुन रहे हैं कि देश में मंदी हैं और एक बात गिनाते हैं कि छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाईल सेक्टर 19 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं हमेशा कहता हूं, ये माननीय सामने बैठे हैं, ये माननीय सामने बैठे हैं, वो खुद भी बैठे हैं, इन्हीं लोगों से थोड़ा-थोड़ा बोलना सीखा। जिस राज्य का राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है, राज्य के खजाने को छूट में लूटा रहे हैं और कहते हैं कि वह मंदी नहीं है, मैं 100 रुपये दे देता हूं, आप खर्चा कीजिए। आप ऐसी कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं जिससे छत्तीसगढ़ की उद्यमिता बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ की कृषि में पूंजी निवेश हो रहा है। किसानों की बात करते हैं, मैंने कल कहा था कि कि आप धान खरीदी करते हैं या दूसरी चीजें आप देते हैं। आपको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में धान की क्या स्थिति है? बिल्कुल 100 प्रतिशत मालूम है, उनके सचिव को मालूम है, उनके ए.पी.सी. को मालूम है वैश्विक मार्केट में धान की क्या स्थिति है। इस सरकार ने जान-बूझकर इस विनियोग के माध्यम से हस्ताक्षर कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख नोट कर लीजिए। जिस राज्य में पूंजीगत व्यय घटता है वह बर्बाद होता है । आपने जनता के टैक्स को अपने लोक वित्त को निहित राजनीतिक स्वार्थों की इच्छापूर्ति का माध्यम बनाया । यह कभी क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है । लोक वित्त का ऐसा दुरूपयोग आजाद हिंदुस्तान में किसी सरकार ने नहीं किया है ।

श्री अमरजीत भगत :- छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कर रहे हैं तो आपको कहां से पचेगा । उद्योगपतियों के एजेंटों के रूप में काम करने वाली पिछली सरकार किसानों के बारे में कहां से सोचेगी ?

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने किसानों को पैसे देने जैसी बात को, लुटाने जैसा क्यों कहा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- घोटाला कहां कहा मैंने ?

श्री रविन्द्र चौबे :- लुटाने । किसानों को पैसा देना लुटाने की बात है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह अपनी-अपनी दृष्टि है । मैं भी किसानों को पैसा देना चाहता हूं । जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं वह कहते हैं मैं किसान हूं । मैं भी कहता हूं मैं किसान हूं । किसानों के नाम पर राजनीति करना यह फैशन है, फैशन की जगह पैशन बोल देता हूं । दुर्ग जिले में 44 इंच पानी में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वही खेत सबसे ज्यादा कैश क्रॉप होता है, वह कैसे होता है । क्यों जरूरी है धान की खेती ? मैं भी किसानों को पैसा देना चाहता हूं । पुराना दुर्ग जिला जो कि बेरला या खारून के उस पार तक है ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, किसान का बेटा किसान बोलता है । मोदी जी तो साहू के पास जाते हैं तो अपने आप को साहू बोलते हैं, मोदी लोगों के पास जाते हैं तो मोदी बोलते हैं । व्यापारियों के पास जाते हैं तो अपने को व्यापारी बोलते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं अब उन सदस्यों के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय भइया, मोदी जी ने उद्योगपतियों को 1 लाख 40 हजार करोड़ की छूट दी है, वह क्या है बताओ ? हम तो किसानों के लिए दे रहे हैं ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सम्मान करता हूं । हम लोग पहली बार विधायक बने लखमा जी के साथ । लेकिन जब माननीय सदस्य ने आज कहा तो वह जाति से जुड़ गया । मुझे आज कहा गया उस सीट से कि कुछ खा पीकर आते हैं, उसकी जांच कराई जाए । मैंने उस पर आपत्ति नहीं ली । जानबूझकर नहीं ली । क्योंकि हम एक-दूसरे से किसी तरह की बात करते हैं । हम संविधान दिवस पर बात कर रहे थे । मैं प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने तत्काल खेद व्यक्त किया। अब अगर मैं किसी का उत्तर दूंगा तो मैंने चयन किया है इनका उत्तर दूंगा, अगर अधिकारपूर्वक किसी पर टिप्पणी करूंगा तो माननीय मुख्यमंत्री पर करूंगा । वो गरिमा अगर आपको आगे बढ़ाने है कि मैं आपका उत्तर दूं तो उसके लिए विशाल हृदय, विशाल मानसिकता बनानी होगी । अन्यथा आपकी टिप्पणियां आपको ही समर्पित करता हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा, चन्द्राकर जी इतना ही बता दीजिए कि जब हम लोग किसानों को बोनस देने की बात कर रहे थे तो आपने एक दावा किया था कि अगर हम किसानों को बोनस दे देंगे तो आप इस्तीफा दे देंगे । यह बात सही है क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इनको मान्यता दे दीजिए कि ये मेरी हर बात का खंडन करें । इनके पास वक्ता कहां हैं, दो दिन के गांधीवादी ।

श्री अमरजीत भगत :- हम पूछना चाह रहे थे कि यह बात सही है क्या ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय चन्द्राकर जी अपनी बात से मुकर गए हैं । इस्तीफा तो पहले ही देना था, उन्होंने दिया ही कहां है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- बजट में 10 प्रतिशत पूंजीगत व्यय है, इसमें मैं क्या बहस करूंगा । मैं तो आपसे विनियोग पर ही बात करूंगा । यह विनियोग मैं हाथ में रखा हूं । छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में प्रतिगामी विकास हो रहा है । बैकवर्ड डेव्हलपमेंट । नरवा, गरवा, घुरूवा, बारी, चार चिन्हारी बचाना है । एक साल में आपने जितना कुछ किया है । मैं जब मंत्री था तो मनरेगा से थर्ड पार्टी असेसमेंट करवाता था, यह बात आपके आज के मुख्य सचिव बता देंगे कि उस योजना से कितना लाभ

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

हुआ । किसी थर्ड पार्टी से असेसमेंट करवाइए । अब प्रतिगामी विकास के बाद जो नया छत्तीसगढ़ उभरा है उसकी भी चिन्हारियां निकली है । सिर्फ चार चिन्हारी नहीं हैं । प्रतिगामी विकास के बाद जो चिन्हारी उभरी है, बताता हूं-एक्सटर्शन । मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा मेरा स्थगन है कल लगाउंगा । जिसको आपने टेंडर दिया है उसको एनओसी नहीं मिल रही है । ये विधायक महोदया बैठी हैं। आपके वक्तव्य मैंने सुने हैं आपके वक्तव्य मैंने पढ़े हैं कि एक्सटर्शन कैसे हो रहा है। शराब ज्यादा कीमत पर बेची जा रही है, आज इनका प्रश्न था 2800 करोड़ का कोई हिसाब किताब नही है, यह कोई नियम है क्या ? कि मैं सीधे हिसाब कर दूं । कोषालय में जमा नहीं होगा, खजाने में जमा नहीं होगा । वह किसी के घर का पैसा नहीं है। वह राज्य की संचित निधि का पैसा है। एक-एक रूपये की अनुमति होती है। भारी तेजी है। वाहन बिक रहे हैं। सबसे ज्यादा शराब छत्तीसगढ़ में पी जा रही है। पूरे देश में यह पहचान उभरी है। उड़ता पंजाब बनता था, यह पिक्चर बनी है। मैं संस्कृति मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उड़ता पंजाब नहीं अब उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने के लिए संस्कृति विभाग से सब्सिडी दीजिए। छत्तीसगढ़ के लोग कैसे पी रहे हैं, यह पूरा हिन्दुस्तान जाने। यह जाने हिन्दुस्तान।

श्री अमरजीत भगत :- अब हमारी संस्कृति छत्तीसगढ़ियों को उपकृत करने की चल रही है।

श्री रामकुमार यादव :- अजय भैय्या, आप बुलाते थे बाहर से कलाकारों को। हम तो यही के कलाकारों को बुलाते हैं। एक ठन चिरहा पेंट ला पहने बर सलमान खान ला 2 करोड़ दे हो तुमन हा।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- अजय भैय्या, आप तेन्दूपत्ता बोनस के नाम में लाखों-करोड़ों रूपया खर्च कर देते थे। जो उनके हाथ में पैसा था, वह पैसा कहां से आता था? बोनस के नाम पर करोड़ों रूपया खर्च करते थे, वह पैसा किसका था?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका बोलने में नाम है या नहीं है?

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- दे दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- पार्टी इस लायक नहीं समझती।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- पार्टी तो समझती है, पर हम आप ही लोगों से सीख रहे हैं। जब आप बोलते हैं तो आपके सर्पोट में चार लोग और खड़े होते हैं, वैसा ही हम लोग भी बोल रहे हैं। आप लोग यदि 15 साल तक पैसा बचाकर रखते तो यह स्थिति नहीं आती।

श्री अजय चन्द्राकर :- तबादला। संस्थागत स्वरूप। आज भी सूची निकली है। आई.ए.एस. उधर बैठे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। छत्तीसगढ़ में और एक क्षेत्र में तेजी है। मोटरसाइकिल के अतिरिक्त अटैची में सूटकेश में होल डाल दे। कब किसका तबादला आदेश आ जाये। नौकरशाही का इतना मनोबल नहीं गिरा। संस्थागत रूप से इतना आकार नहीं लिया। कहां है शिक्षा मंत्री जी। मैं तो एस.आई.टी. जांच की मांग करता हूं। एस.आई.टी. जांच कराना माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा प्रिय विषय है। विधि सचिव बैठे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं। एक एस.आई.टी. को छोड़कर बाकी कोई एस.आई.टी. हाईकोर्ट में नहीं टिकी, लेकिन यह तबादला की जांच वाली जरूर टिकेगी। एक साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के दो एस.डी.ओ. हटाये गये। तीन मंत्रियों के ओ.एस.डी. हटाये गये। तबादले की जांच हुई। मुझे तो लगता है कि यह आरोप नहीं है। वह डायरी इधर से उधर हो गई, पर शिक्षा विभाग का ट्रांसफर आज तक नहीं सुधरा। लोग परेशान हैं। कांग्रेस के लोग परेशान हैं। हमारे पास उधर बैठते हैं तो बताते हैं। ये ओ.एस.डी. क्यों हटाये गये ? यदि मुख्यमंत्री जी के ओ.एस.डी. हैं। मुख्यमंत्री जी एक इंस्टीट्यूशन है। मेरा मुख्यमंत्री है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। यदि वह थाने में जाकर किसी का पक्ष ले, धरना देता है तो उसकी निष्पक्षता बाकी रहेगी। मैं मुख्यमंत्री से ऐसे न्याय की अपेक्षा करूंगा और आपकी पूरी कैबिनेट अवैधानिक है।

श्री अमरजीत भगत :- यह गलत बात है, क्या बात कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- यह अवरोध क्यों पैदा करते हो आप ? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सुनिए तो। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- हमें आपत्ति है। (व्यवधान)

श्री ननकीराम कंवर :- क्या आपत्ति है ? (व्यवधान)

श्री कृष्णमूर्ति बांधी :- धान को पचाना सीखिए। (व्यवधान)

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- घोर आपत्तिजनक बात है। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- किसानों के लिए कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- यह तो पागलपंती है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी, यह तो पागलपंती है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पागलपन की पराकाष्ठा है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बृहस्पत सिंह जी जो बोल रहे थे न, उस मामले में जांच करा ली जाए।

श्री बृहस्पत सिंह :- अमरजीत भाई, ये तो ठीक हो ही नहीं सकता।

श्री अमरजीत भगत :- इनको दंडित करिए। नहीं तो अपना शब्द वापस लें। (व्यवधान)

श्री कृष्णमूर्ति बांधी :- आप धान को पचा नहीं पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- पूरे प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- अध्यक्ष महोदय, इस तरह से यदि पूर्व संसदीय कार्यमंत्री...।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं साबित करूंगा

श्री अमरजीत भगत :- क्या साबित करोगे ? सही इलाज कराओ।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- पागलपंथी का दौर पड़ता है, यह साबित करोगे।

श्री अमरजीत भगत :- पागलपन का किसी को भी दौरा आ सकता है, हम इस बात को मानते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एक माननीय सदस्य :- इसीलिए ईलाज कराना जरूरी है।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन कोई सरकार को अवैधानिक कह दे, कैबिनेट को अवैधानिक कह दे।

श्री रामकुमार यादव :- आप 2 करोड़ 75 लाख वोटरों का अपमान कर रहे हैं। आप बहुमत का अपमान कर रहे हो।

डॉ0 (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- जानबूझकर ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं । ...(व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आपने अवैधानिक कैसे कहा ? आप भाषण देते देते कुछ भी बोल देंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, तीन चौथाई से अधिक की बहुमत से इस प्रदेश की जनता ने जिस सरकार को निर्वाचित किया है, उसको आप अवैधानिक बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :-मेरी पूरी बात सुन लीजिये। फिर मैं उसको वापिस ले लूंगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- मेरी बात सुन लीजिये, मेरी बात हो जाये। आप हर लाईन में क्यों उत्तर देंगे। आप इसको अवैधानिक बोल दिए। जिसके पास बहुमत नहीं है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, वह संवैधानिक है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- संसदीय कार्यमंत्री जी, जब आप छत्तीसगढ़ में दल-बदल कराते थे तो वह वैधानिक था क्या ? आप ही उस समय संसदीय कार्यमंत्री थे और आदरणीय आप उस सरकार में मंत्री थे। (मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की ओर संकेत करते हुए)

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रमुख वार्ताकार थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- वह वैधानिक था क्या, वह बता दो ?

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं बता देता हूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हो तो पहले छत्तीसगढ़ का हिसाब-किताब बताओ न। जब दल-बदल करा रहे थे तो वह वैधानिक था क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, अगर विनियोग में कभी भी सरकार के ऊपर किसी बिन्दु पर आरोप लगाना है, तो लिखित में पूर्व सूचना होना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया हूँ। जिसके लिए लिखित में दूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- सरकार पर।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं सरकार पर बोल सकता हूँ। यदि मैं व्यक्ति आरोप लगाऊंगा तो लिखकर दूंगा। व्यक्तिगत आरोप लगाना मेरा स्वाभाव नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप विद्वान हैं, बहुत सीनियर भी हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना है, तो हमें लिखित में देने की आवश्यकता है। हमें सरकार के विरूद्ध बोलने का अधिकार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है और आपको भी बड़ा मन करके सुनना चाहिए। अभी तो उन्होंने बात पूरी नहीं की है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र के ऊपर हम यहां चर्चा नहीं कर सकते।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय शिक्षा मंत्री के ऊपर कहा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर महाराष्ट्र के निर्णय के बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई कमेन्ट किया है तो आप उसको विलोपित करिये। माननीय अजय चन्द्राकर जी जिस बात को कह रहे हैं, उसको सुनिये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय बृजमोहन जी, चन्द्राकर जी ने चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री जी का नाम लिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आरोप नहीं लगाया हूँ।

श्री अमरजीत भगत :- लगाया है, लगाया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आरोप नहीं लगाया है।

श्री अमरजीत भगत :- आपने यहां तक कहा, आपने सरकार को अवैधानिक कहा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या आरोप लगाया, बताओ तो ? क्या आरोप लगाया है ?

श्री अमरजीत भगत :- ओ0एस0डी0 को हटाने का, और क्या-क्या।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह आरोप नहीं है। प्रशासनिक प्रक्रिया का एक सिस्टम है।

श्री अमरजीत भगत :- ट्रांसफर और पोस्टिंग तो सतत प्रक्रिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अच्छा बताओ कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाया क्या ? पैसा खाने का आरोप लगाया क्या ? पैसा लेने का आरोप लगाया क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- आपने इस सन्दर्भ में कहा।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- आप जो करते रहे हो, आप उसके बारे में चर्चा कर रहे हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- उनके ओ0एस0डी0 पर इस सदन के आदरणीय सदस्य बृहस्पत सिंह जी ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है। उसका हिसाब-किताब आप लोग दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा क्या, अमरजीत जी, आप चर्चा चाहते हो क्या जिन पर आरोप लगे हैं ? हमें मालूम है कि आप लोगों की सरगुजा में क्या मिशन है ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, छोड़िये। माननीय चौबे जी बोल रहे है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि अभी हम लोगों ने दो मिनट पहले कह दिया कि आप विद्वान सदस्य है, आपको गलतफहमी हो गई। तो थोड़ा सा अपनी सीमाओं में रहकर बात होनी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरी पूरी बात सुन लीजिये। यदि गलत होगा तो मैं वापिस ले लूंगा। मैं प्रतिष्ठा पालता ही नहीं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि भूपेश बघेल जी प्रमाणिकता से प्रदेश की जनता की

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

सेवा करें। मैं कभी व्यक्ति आरोप नहीं लगाता। मैं विषय पर अपनी बात जरूर रखूंगा। मेरा व्यक्तिगत आरोप लगाना कभी भी नहीं रहा है। आप हाऊस रिकार्ड देख लीजिये। मैं कभी भी किसी के ऊपर व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट अवैधानिक है, मैंने इसलिए कहा। विधि सचिव मौजूद हैं, आप पांच मिनट सदन की कार्यवाही स्थगित कर लीजिये और कक्ष में पूछ लीजिये कि क्या सी0एम0 का ओ0एस0डी0 कैबिनेट में बैठ सकता है क्या ? कैबिनेट में कौन-कौन बैठते हैं ? सी0एम0 साहब के ओ0एस0डी0 कैबिनेट में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं ? यह संसदीय कार्यमंत्री जी बतायें। यदि अवांछित व्यक्ति कैबिनेट में है तो उस कैबिनेट की वैधानिकता है या नहीं है, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं वापस ले लेता हूं, वैधानिक नहीं है, पूरी वैधानिक सरकार है, पर उस गरिमा को पद और गोपनीयता की शपथ, जहां बड़े-बड़े निर्णय होते हैं, लाखों-करोड़ों के निर्णय होते हैं, जिसकी उपादेयता नहीं है, जिसकी संवैधानिक अर्हता नहीं है, यदि वह कैबिनेट में है तो उसकी वैधानिकता पर एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे बोलने का अधिकार है ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, हमारे कैबिनेट की बैठक के बारे में आपको कहां से जानकारी लगी कि अंदर क्या-क्या चर्चा होती है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, अब आप कुछ बोलना चाहेंगे तो मैं रूक जाता हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- आप कुछ भी बोलेंगे तो हम थोड़ी न सुनेंगे ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, हमने इस प्रदेश में 15 साल भी संवैधानैत्तर सत्ता को कैबिनेट के अंदर जाते देखा है, तब आप कभी कुछ नहीं बोले ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कभी नहीं, कभी नहीं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- तब आप कुछ नहीं बोले, मैं जो बोल रहा हूं, उसका उत्तर आना चाहिए न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने जो विषय उठाया है, उसमें आपको कुछ बोलना है या नहीं, यह बताईए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हमने देखा है, प्रदेश में महसूस किया है, ऐसी भी ताकतें थीं, जो कैबिनेट को संचालित करता था, निर्णय प्रभावित करता था।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कोई उदाहरण बताईए ।

श्री ननकीराम कंवर :- ऐसा कुछ नहीं होता था, कोई उदाहरण बता दो।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय ननकीराम जी, आपकी तो कुछ चलती ही नहीं थी । आप क्या बात करते हो ?

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

डा. शिवकुमार डहरिया :- आपला तो पूछते ही नहीं रिहीसे । आदरणीय कंवर साहब, आपके तो कुछ चलबे ही नहीं करत रिहिसे ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय जी, आप बहुत ओजपूर्ण भाषण और उससे भी आगे बढ़कर आप भाषण दे रहे हैं, लेकिन कभी आपने अपने मुख्यमंत्री से पूछा कि मुख्यमंत्री सचिवालय में एक भी शासकीय कर्मचारी क्यों नहीं है, एक भी शासकीय अधिकारी क्यों नहीं है, सारे लोग प्रतिनियुक्ति पर क्यों हैं ? कभी आपने पूछा ? वह सारी नियुक्ति हुई, वह कहां है । सरकार बदलते ही वे लोग कहां चले गए, उनके बारे में आपने कभी पूछा है, जो आज सवाल पूछ रहे हैं ।

डा. शिवकुमार डहरिया :- अजय भैया, आपके यहां प्रतिनियुक्ति में एक अधिकारी था, वह चीफ सेक्रेटरी से ज्यादा ऊपर में रहता था । उसका क्या नाम है, वे वहां बैठकर क्या करते थे और प्रदेश से भाग क्यों गए, वह भी बताओ ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, नरसों क्या हुआ, ये मेरा विषय नहीं है । मेरा विषय दो था । एक विषय यह था..

डा. शिवकुमार डहरिया :- मुख्यमंत्री का पूरा सचिवालय संविदा में चलता था । एक भी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी नहीं थे । आपका मंत्रालय को पूरा संविदा में चलता था । मुख्यमंत्री का सचिवालय चलता था, पूरी सरकार संविदा में चलती थी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ दो विषय था, वह मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं । मैं एक निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन मुख्यमंत्री जी को मानता हूं, मैं उसके ओ.एस.डी. को अपने न्याय की फरियाद कर सकता हूं । वे किसी के पक्ष में यदि थाने में जाकर धरना देते हैं तो निष्पक्षता कटघरे में खड़ी होती है-एक, मेरा दूसरा विषय यह था कि मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, विधि सचिव बैठे हैं । ओ.एस.डी. को मैंने पेपर में देखा, टी.व्ही. न्यूज़ चैनल में यह आया, उसके फोटो आये कि उसको केबिनेट में बैठने की अर्हता है या नहीं है । यदि केबिनेट में ऐसे लोग रहते हैं, उस केबिनेट की वैधानिकता पर तो प्रश्न-चिह्न लगेगा । यदि वह बात अप्रिय है तो आप जैसा कहेंगे, दंडवत होकर माफी मांग लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती और व्यक्तिगत आरोप मैं जीवन में किसी के ऊपर नहीं लगाता हूं । एक बार लगाया हूं, लिखकर लगाया हूं और उसमें चर्चा हुई है, माननीय राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल जी ने कहा कि आपके आरोप और अविश्वास प्रस्ताव पर साथ-साथ चर्चा होगी, आप गवाही हैं । वह मेरे स्वभाव में नहीं है । मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं दी हैं कि आपको जनादेश मिला है, आप अच्छा काम कीजिए । यदि किसी ने गलत किया, उसको आप क्यों उदाहरण बनाते हो । आशा यह है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिगामी विकास की बात कर रहा था। माननीय खाद्यमंत्री जी बहुत तेज आवाज में खड़े हो रहे हैं तो प्रतिगामी विकास में यह है कि आज की तारीख तक तो मिल का पंजीयन नहीं हुआ है, बोनस का निर्णय नहीं हुआ, पिछले धान का क्या होगा, उसका निर्णय नहीं हुआ, परिवहन के ब्याज का पैसा किसको मिलेगा, यह निर्णय नहीं हुआ, लेकिन उनके बीच में खाद्यमंत्री बहुत लोकप्रिय हो गए हैं-एक और दूसरा, इस सरकार का पहला घोटाला अभी आरोप नहीं लगा रहा हूं, वह संस्कृति राज्य उत्सव का टेण्डर घोटाला ही सामने आने वाला है । मैं अभी आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वे लोकप्रियता में भी और कार्यवाही में भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं । मैंने उसके लिए एक शब्द निकाला था, जितना आप चबा रहे हैं, उतना काट नहीं सकता, आप उतना चबा रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सब निष्पक्षता से होता है । वह समय आपका था, जो आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार और क्या-क्या बोल रहे हो । हमारे यहां नहीं है । हम तो छत्तीसगढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं। यहां की संस्कृति और यहां के कलाकारों के लिए काम कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप क्या करेंगे, आप जाने। दूसरी जो बात, जो सबसे गंभीर है । मैं उमेंश पटेल जी को यह शब्द समर्पित कर देता हूँ । मैं गृह मंत्री भी तीन महीने तक थोड़े दिन था । माननीय रमन सिंह जी ने कहा, सी.बी.आई. जांच की घोषणा की । एन.आई.ए. जांच चलती रही । न्यायालयीन जांच चलती रही । जितने प्रकार की जांच झीरम घाटी में कही गई, भीमा मण्डावी की शहादत पर आप कोर्ट में क्यों जा रहे हैं, एन.आई.ए. जांच से आपको डर किस बात का है माननीय अध्यक्ष महोदय । क्या चीज आप छिपाना चाहते हैं ? क्यों घबरा रहे हैं, जनता जानना चाहती है । हर जांच में आप संदेह उठाते थे, सिर्फ एक जांच है, जिसमें आप हाई कोर्ट में हारे और सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी है । वह भी विधायक था, वह भी किसी मां का बेटा था, वह भी किसी का पति था, उसका भी परिवार था ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय चन्द्राकर जी कुछ दिनों के लिए गृह मंत्री थे । सी.बी.आई. जांच के लिए यहीं पर घोषणा किये थे । तेरे ढ़ाल का तीन पात, क्या हुआ उसका बता ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अब आप सरकार में है । आपके जिम्मे है । मैं खिलाड़ी भावना स्वीकार करता हूँ, हमने गलत किया होगा, इसलिए इधर बैठे हैं । अब आपकी इगो मसाजिंग हो गई ना ? चलिये, आगे बढ़ें । माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन आप बहुत भाव से गांधी जी की 150 वीं वर्षगांठ पर जन्म शताब्दी बुलाई। चर्चा का स्तर, आज संविधान में किसी ने इधर-उधर की बात नहीं कही । मुझे भी थोड़े दिन मुख्यमंत्री के साथ कदम चलने को मिले । मेंरे सामने नारा लगता था, हम शर्मिन्दा है,

अशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

गोंडसे जिन्दा है । महात्मा गांधी जी पर उस सत्र में चर्चा हुई, गोंडसे और वीरसावरकर पर चर्चा हुई, मैं नहीं जानता । दो दिन में इतने टोपी वाले दिखे, वह टोपी अर्थ खो दिया ।

श्री देवेन्द्र यादव :- उस दिन माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि वह किस विचारधारा को मानते हैं । गोंडसे के विचारधारा को मानते हैं कि गांधी जी के विचारधारा को मानते हैं । दो दिन के सेशन में उस दिन भी क्लियर नहीं किया । आखिरी तक गोंडसे मुर्दाबाद कहने की हिम्मत नहीं किये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- दो चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणा की है कि हम दिव्यांगों को एल्डरमेन बनायेंगे । मैं नहीं जानता कि मेरे तीन चार नगर पंचायत है, उसमें एक भी दिव्यांग एल्डरमेन बने होंगे । [XX][8] माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं किस विचारधारा का ...।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भिलाई में प्रस्तावित है और सम्माननीय मंत्री जी विकलांग ....।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- सम्मान देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। तुम्हारे यहां तो कुछ नहीं होता, दिव्यांगों का सम्मान नहीं कर पाये और यहां बात करते हो । अधिकांश जगह दिव्यांगों को दिया गया है ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी घोर आपत्ति है । कांग्रेस विकलांग हैं बोलते हैं आप ? आपको शर्म आनी चाहिये । सदस्य को माफी मांगनी चाहिये । (शेम-शेम की आवाज) कांग्रेस विकलांग कैसे हो सकता है ? आपको बोलने की छूट है, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को कुछ भी बोल दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज जिस चीज के लिए मुझे मांफी मांगने कह रहे हैं, आसंदी कहेगी तो मैं मांग लूंगा ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये माफी मांगे । आप माफी मंगवाईये । कांग्रेस कैसे विकलांग हो सकती है । (व्यवधान) इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- उनके क्षेत्र में एक भी दिव्यांगों के लिए नहीं किये हैं, आखिर किसके लिए किये हैं । जो किये हैं, वह हैं, उस आधार पर उन्होंने दिया । इसलिए उनको निर्देशित करने का अधिकार है । व्यवधान हम अध्यक्ष जी को निर्देशित नहीं कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं । (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी से मांग ही कर रहे हैं।

---

[8] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल:-हमें भी संसदीय ज्ञान है और हमने भी आसंदी से आग्रह किया है आपसे नहीं किया है। हमने आसंदी से आग्रह किया है कि इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का नाम लिया गया है उन्हें प्रताड़ित करिये। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- इस प्रकार की बात मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति ही बोल सकता है। विकलांगों के प्रति इनके मन में इस प्रकार की भावना, सीधा-सीधा उनका उपहाश और इस प्रकार की बात को केवल और केवल मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति ही बोल सकता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम माननीय अध्यक्ष के निर्देश को मानने के लिए बाध्य हैं उसका पालन करेंगे परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इतना उत्तेजित होकर रहना..। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- आपको बोलने की स्वतंत्रता है इसका मकसद ये थोड़ी है कि कुछ भी बोलें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्योंकि इस सदन में आज ही हम सबने संविधान की चर्चा की है और आज अगर हम सीधे इस प्रकार से वार्तालाप करेंगे तो ये सदन नहीं चल पायेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामले में संयम बरतना चाहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बोलने में संयम बरतना चाहिए। माननीय बृजमोहन जी, आप अपने नेता को समझाईये।

श्री भूपेश बघेल :- बृजमोहन जी, मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन किया, मेरी आपत्ति अध्यक्ष महोदय से है। आरोप की भाषा क्या है? आप किसी को विकलांग बोल सकते हैं क्या? मैंने कहा है कि ये बहुत आपत्तिजनक है अध्यक्ष महोदय। आप बिल्कुल बहस बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने निर्देशित करने वाली भाषा में कहा है।

श्री अमरजीत भगत :- इस सदन में अध्यक्ष महोदय को कोई निर्देशित कर ही नहीं सकता। हम तो अध्यक्ष के निर्देश से ही चलते हैं। आपने जिस ढ़ंग से विकलांगों का उपहास किया है, जिस प्रकार से आपने कांग्रेस को विकलांग कहा है यह एक मानसिक विकलांगता है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपने अध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन किया है। अध्यक्ष जी, इनसे माफी मंगवाईये।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- आपने कहा कि विकलांगों को एल्डरमैन बनायेंगे और एल्डरमैन बनाये नहीं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- विकलांगों और दिव्यांगों से भी गई बीती है ये अमरजीत जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घोर आपत्तिजनक है।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, जो असंसदीय बात बोल रहे थे, जिस पर आप आपत्ति ले रहे थे, उस चीज को आप प्रूफ कर रहे हैं।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैंने माननीय सदस्यों से बार-बार अनुरोध किया है कि शालीन भाषा का प्रयोग करें। आपको अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है मगर ऐसी किसी अभिव्यक्ति को यहां उजागर न करें जो दूसरे को चोट पहुंचाती हो। मैं चाहूंगा- आप अच्छे वक्ता हैं, वापस ले लीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह अच्छे वक्ता हो ही नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अच्छे वक्ता कहां हैं? जो अनर्गल बात कर रहे हैं वह अच्छे वक्ता कैसे हो सकते हैं?

श्री मनोज मंडावी :- ये स्तरहीन बात करते हैं, इसमें घोर आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी उत्तेजना से कई लोगों को कष्ट है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, इनको प्रताड़ित करिये, इनको टेबल पर खड़ा करिये। इनसे माफी मंगवाईये।

अध्यक्ष महोदय :- वह अपने कहे पर खेद व्यक्त कर रहे हैं आप सुनेंगे तब ना।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे शब्दों से सदन के नेता, आपको या किसी की भी भावना को यदि ठेस पहुंची है, तो उसे वापस भी लेता हूं और 100 बार भी क्षमा मांग लेता हूं। मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। अब मैं इसी स्वर में बोलता हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :-माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार गलत बोलते हैं, उसके बाद माफी मांगते हैं। ऐसा कैसे चलेगा?

अध्यक्ष महोदय :- आप केवल अपने विनियोग विधेयक तक सीमित रहें।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जो करें, जैसा करें सब फ्री है इसलिए कि जिस सदन में यदि नेता उत्तेजित होता है तो उस सदन के अंदर।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप कुछ भी बोलते रहेंगे और नेता सुनते रहेंगे ?

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से इनकी मानसिकता इनकी बातों से पता चलता है। ये जिस तरह से गुमराह और आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं यह ठीक नहीं है, निंदनीय है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, तो बोलने का फिर मेरे विरोध का समर्थन का कोई अर्थ नहीं है। वह औपचारिकताएं रह जाती है जो बोलते हैं। यह विश्वास होता है कि हम अपने सदन के नेता के सामने सब कुछ कह सकते हैं। ठीक है कि मेरी आशय शब्दों में ऊपर नीचे हो सकती है पर मेरी भावनाएं अपमान की कभी नहीं रही। मेरी वह शैली नहीं रही। मैं अपनी बात को कहते हुए...।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी भावनाएं अपमान की है। बार-बार गुमराह करते हुए सदन को गलत तथ्यों का प्रयोग करते हैं, गलत तरीके से बातें करते हैं। सब लोगों को उत्तेजित करने का प्रयास करते है और निरंतर इस तरह का प्रयास सदस्य द्वारा किया जा रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चंद्राकर जी ने माफी मांग ली, खेद व्यक्त किया। उसके बाद ये नये सदस्य खड़े होकर इस प्रकार से बोल रहे हैं।(व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- जब तक इस सदन की गरिमा का ख्याल नहीं रखा जायेगा, सम्मानित नये सदस्य नहीं रखेंगे तो हम नये सदस्यों को बताना पड़ेगा कि इस सदन की गरिमा को रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर कोई सीनियर सदस्य बोलते हैं तो उनके बोलने के मामले को लेकर बाकी नये सदस्यों को सुनना चाहिए। आप निर्णय लेंगे, सीनियर मेंबर निर्णय लेंगे, संसदीय कार्य मंत्री निर्णय लेंगे। नये सदस्य इस प्रकार से बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा भी अधिकार है कि हम लोग अपनी बातों को रख सकें और इस सदन के सम्मान को, इस सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए, बचाए रखने का जितना सम्मान वरिष्ठ सदस्यों का कर्तव्य होता है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कल हमें भी बोलना पड़ेगा। (व्यवधान) आने वाले समय में हम लोगों का (व्यवधान) चलिये सदन से हम बहिर्गमन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये-बैठिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे इनकी भावना प्रकट होती है, ये छत्तीसगढ़ के हित में छत्तीसगढ़ की जनता के हित में कोई भी काम करना नहीं चाहते। केवल और केवल राजनीतिक भावना और दुर्भावना के रूप में यहां पर बात करने आते हैं।

समय :
3:37 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।</u>

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, आपसे एक छोटा सा आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- इसलिए आपको बुला रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपसे एक विनती करना चाह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको बुला रहा हूं।

धर्मजीत सिंह :- नहीं, मैं तो बोलूंगा। आपने कहा है तो आपका आदेश मानूंगा। आप कृपा करके बुलवाईये, सब कोई बैठकर चर्चा करेंगे तो अच्छी चर्चा होती है। आप आपस में चर्चा करके संसदीय कार्य मंत्री जी से बोलकर बुलवा लीजिए। सब कोई बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत सी बातें आती है। अब ठीक है, भाषा में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे का आपने निर्देशन दे दिया है, उसको मानेंगे। अब मैं आपके आदेश का पालन कर रहा हूं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुपूरक बजट को विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आखिर इस सरकार को पैसा क्यों दिया जाना चाहिए ? पिछले दस सालों से जिसमें भाजपा की भी सरकार थी, सड़कों का निर्माण हो रहा है। बिलासपुर से रायपुर तक सड़क बन रही है। बिलासपुर से कटघोरा और कोरबा आपके शहर जाने के लिए सड़क बन रही है। बिलासपुर के अकलतरा की तरफ जाने वाली यह नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूं। नेशनल हाईवे का इतना बुरा हाल है कि बिलासपुर से रायपुर के बीच जाने में आप तो मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी आप लोग पिछले 11 महीने से हेलीकाफ्टर में जाते हैं। जरा कृपा करके गाड़ी से जाईये, उसके बाद फिर अगर आपको पता नहीं चला है तो और ज्यादा आपत्तिजनक है। सरगांव के पास इतना बड़ा जर्क है कि किसी को भी न्यूरो प्राब्लम हो सकता है। उसकी नसे रीढ़ की हड्डी की टूट सकती है। सिमगा के पास इतना बड़ा जर्क है कि वह वहां पर टूटता है, गिरता है। एक हजार से ज्यादा क्रेक आपके नेशनल हाईवे में बिलासपुर से रायपुर के बीच में है। सड़कों का निर्माण बहुत धीमी गति से हो रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी आपके ठेकेदारों ने हाईकोर्ट के कारण इतना जल्दी-जल्दी बनाया है कि बहुत ही घटिया, लचर, भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना बिलासपुर से रायपुर रोड है, एक। अब मैं आना चाहता हूँ बिलासपुर से अकलतरा की तरफ जाने वाली 4 लेन नेशनल हाईवे सड़क, उस नेशनल हाईवे सड़क पर लाफार्ज सीमेंट के रेल्वे पटरी के ऊपर और के.एस.के. पावर प्लांट का जो रेल्वे पटरी जाती है के.एस.के. पॉवर की जो रेल्वे पटरी जाती है उसके बाद उसके ऊपर में रेल्वे ओव्हर ब्रीज बना है संसदीय कार्यमंत्री जी, माननीय चौबे जी आपसे भी विनती है कि थोड़ा सुनेंगे। मंत्री जी आप दोनों वरिष्ठ है थोड़ा सुन लीजिए। बाकी के बारे में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये दोनों के ऊपर में एक ओव्हर ब्रीज बना है और उस ओव्हर ब्रीज का जो आरीवॉल है वह 7 किलोमीटर लम्बा है मैं वहां खुद जाकर देखा हूँ वह पत्थर किसी भी वक्त गिरने वाला है। मैं मंत्री जी को चुनौती के साथ कहता हूँ कि आपके अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा जो-जो इंजीनियर उसमें लगे हुए थे कि उस पुल के नीचे अगर आप आधे घण्टे भी खड़े हो जाएंगे तो मैं आपको बहादुरी का तगमा देने के लिए भी जहां बोलेंगे वहां सिफारिश करूंगा। क्योंकि वह दैत्य के समान मुंह फाड़ता हुआ पत्थर गिर रहा है, अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, उसका रनिंग बिल बन गया है उसमें इंजीनियर ने एम.बी. कर दिया है सब कुछ कर दिया। 7 किलोमीटर वहां पर पहले जनता देख न सके, आपने गैर कानूनी तरीके से वहां पर मिट्टी का रास्ता बंद कर दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कल आप 11.00 बजे हेलीकॉप्टर लीजिए और यहां से चलिये उस ब्रीज की नीचे जहां पर मैं बोल रहा हूँ। आप अपने अधिकारियों को खड़ा कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा भ्रष्टाचार देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसको तत्काल जेल भेज देना चाहिए। लेकिन हम कोशिश भी करेंगे तो नहीं भेज सकते हैं। क्योंकि वह ठेकेदार कहता है कि एक मंत्री मेरे जेब में है अधिकारी मेरे दूसरे जेब में है तीसरा मेरे पीछे जेब में है एक ठेकेदार जो भ्रष्टाचार का चर्मोत्कर्ष कर दिया हो, उसको संरक्षण देने का आखिर आपकी क्या रूचि है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

और अगर नहीं है तो आप आज ही स्पष्ट रूप से उसका एफ.आई.आर. दर्ज करवाईये और उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही करिये। जब तक एक कौवा नहीं मारेंगे। इस प्रदेश में जो लोग पिछली सरकार में भ्रष्टाचार करते थे वही लोग आज ड्रेस बदलकर, नये कलेवर में मेकअप बदलकर वही लोग काम कर रहे हैं, वही लोग भ्रष्टाचार को शय दे रहे हैं, वही भ्रष्टाचार की नींव बना रहे हैं वही भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। उस ठेकेदार को जो अकलतरा वाला है उसको जेल के शिकचों के अंदर भेजिए। अगर आप इनकी आलोचना करते हैं तो तुर्काडीह पुल में जो ठेकेदार 6 साल बाद भी गड़बड़ी किया था उसको डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने उस ठेकेदार को 6 साल बाद एफ.आई.आर. करके अधिकारियों के संग जेल भेजा। आखिर इतना बड़ा ऐसा लगता है एशिया, छत्तीसगढ़ में तो इतना बड़ा ऊंचा पुल बन ही नहीं सकता या बना भी नहीं होगा। लेकिन उसके पास जाओ तो ऐसा लगता है कि वह एक गांव है उस पुल के पास एक गांव है वहां के लद्दी को लाकर उसमें पाट दिया जो उसके ऊपर स्लैब पड़ा है। एक अच्छे ठेकेदार ने मुझे बताया कि स्लैब का मतलब होता है कांच और कांच के नीचे में अगर वह पोल रहा तो वह कांच टूट के चूर-चूर हो जाएगा। इतना सब होता रहा आपके अधिकारी के नाक के नीचे और आपने नहीं देखा। क्या है कटघोरा जाने के लिए आदमी परेशान है पाली के जाते तक दम निकल जाता है पाली के आपके कार्यकर्त्ता के पिता को लाने में 6 घण्टे की देरी हुई तो उसकी वहां पर मौत हो गई, आखिर ये किस प्रकार का निर्माण है। देरी क्यों ? जब पैसा है दिल्ली का पैसा है प्रशासनिक मशीनरी आपकी है, अधिकारी आपके है तो आपको निलंबित करने में क्या तकलीफ है? ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने में क्या तकलीफ है? 10 साल बाद हम बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे कि हम बिलासपुर से रायपुर अच्छे रोड में जाएंगे, बैल्ट लगाना पड़ता है और पीछे स्पंज का इतना बड़ा गद्दा लेकर रखे हैं कि अचानक जर्क पड़ता है तो हमारी पीठ और रीढ़ की हड्डी में झटका लगता है और बाकी बातों के बारे में बोलूंगा तो ठीक नहीं है। आपके विभाग की कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? रायपुर में कलेक्टर के बंगले में चोरी हो गई। आप जब अपने उच्चाधिकारियों के संग मीटिंग ले रहे थे तो बाहर एक ठग 25-30 लाख रुपये लूट कर भग गया। बच्चों का अपहरण हो रहा है। ए.टी.एम. में पैसा जमा करने के लिए जब बैंक का कर्मचारी जा रहा था तो बेमेतरा में आपके ही पडोस के जिले में, संसदीय कार्य मंत्री जी के गृह जिले में ए.टी.एम. का पैसा लूट लिये। उस चोर को पुलिस ने नहीं पकड़ा, जनता ने पकड़ा। सूदखोरों के आंतक से बिलासपुर में मुंगेली में कई बेचारे आत्महत्या करने को मजबूर हो गये। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आप मुंगेली के दौरे में थे, आपने कार्यवाही करने का निर्देश दिया, उसमें कार्यवाही भी हुई। अध्यक्ष महोदय, पुलिस कोई घर के दरवाजे में खड़ी नही होती है। पुलिस का डर पैदा करिये न, पुलिसिंग करिये न। आखिर ये कौन लोग हैं जो ए.टी.एम. लूट रहे हैं, बच्चों का अपहरण कर रहे हैं, जो सूदखोरी का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपकी पार्टी का उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बिलासपुर का एक युवा लड़का सी.एम.डी. कालेज का नेता

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आशीष यादव ने कुछ इवेन्ट किया, उस इवेन्ट में कांग्रेस के बिलासपुर के लोकप्रिय विधायक श्री शैलेश पाण्डेय जी को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया। यही उसका जुर्म हो गया कि उसने शैलेश पाण्डेय को मुख्य अतिथि बनाकर क्यों बुलाया? उसके बाद आगे का रास्ता होता है कि उस लड़के को रात को पुलिस पकड़कर धारा 307 में बंद कर दी। उसका नाम भी नहीं था, पुराने किसी एफ.आई.आर. का सहारा लेकर बंद कर दी। उसको दूसरे दिन कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन ये क्यों हुआ ? क्योंकि एक तरफ शैलेश पाण्डेय हैं, आपकी पार्टी में अंतरद्वन्द बहुत है। वहां एक और सत्ता का केन्द्र है। वहां से एस.पी. को निर्देश हुआ कि इसको बंद कर दिया जाये और वह बंद हो गया। उस नये लड़के का जुर्म ये था कि वह कालेज में एक इवेन्ट करा रहा था, वह इतने राजनीतिक दांव-पेंच को नहीं समझता था। आपके ही विधायक को मुख्य अतिथि बनाया था, उसकी सजा उसको रात भर जेल में रहने की मिली। माननीय मंत्री जी आप कानून व्यवस्था में कहां हैं? पूरे देश में जो लिस्टिंग हुई है, उसमें कानून व्यवस्था में आप 17वें नंबर पर हैं। 20 प्रदेशों की लिस्टिंग हुई है, उसमें आप पर्यटन में 20वें नंबर पर हैं, 20 तो प्रदेश ही थे। उसमें आप एक, दो, तीन को छोड़िये, आप 20 के 20 नंबर में ही हैं। इसमें आपको सोचना है। इस बजट का इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं कि इसको आप सोचिये। हमारी राजनीति का शिकार कोई निरीह और निर्दोष आदमी नहीं बनना चाहिए। आप हमें बंद कर सकते हैं, आप हमको जुर्म में फंसा सकते हैं। आपको हम अच्छा नहीं लगते हैं तो कोई भी एक ऐफिडेविट करा लीजिए, दरोगा भेज दीजिए, हम जेल जा सकते हैं। कोई लड़के को, बच्चे को, पढ़ने वाले को इस तरीके के स्तर तक जाकर राजनीति करेंगे तो ये एस.आई.टी, कमेटी से सरकार नहीं चल सकती। धान के लिए भी कमेटी बन गई, उसके पहले शराब के लिए कमेटी बनी है और ये कमेटी यहां के बेन्च से उठ करके अभी तक के बरामदे में नहीं पहुंची है, 11 महीने से आप बरामदे के बाहर नहीं निकल पाये हैं। धान वाली कमेटी कब बाहर जायेगी, मेरे को मालूम नहीं है। एस.आई.टी. का हाल वही है। कभी हाईकोर्ट बोलता है, कभी सुप्रीम कोर्ट बोलता है। जो करना है करिये, जिसको जेल भेजना है, भेजिये, जिसको जैसे निपटाना है, निपटाईये, पर कृपा करके थोड़ा गुण-दोष के आधार पर करिये, ये आपसे आग्रह है।

पर्यटन में आपके कितने मोटल बने हुए हैं, ये लोग बना कर रखे थे। आज भी सरगांव के पास ताला का मोटल गौंहा, डौमी, अजगर जैसे बडे-बड़े जहरीले सॉप वहां पर हैं। आप उसको किसी वहां के स्थानीय 5 लड़कों को क्यों नहीं दे देते? आप वहां की हमारी महिला बहनों को स्वसहायता समूह को संचालित करने के लिए क्यों नहीं देते? वहीं से तो ताला जाते हैं। वहीं से तो ताला जाते हैं, वहीं तो ताला में ऐतिहासिक धरोहर है, जहां पर लोग जाते हैं । उसको खंडहर बनाने से आपको क्या फायदा है ? आप निर्णय करिये । आप चाहें तो पर्यटन में बहुत सा काम दे सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार ऊटी गया था, ऊटी से जब मैं आ रहा था तो एक पहाड़ी के बहुत बड़ी जगह में 10-5 घोड़े खड़े थे, 10-5 आदमी थे । कुछ चाट पकौड़े की दुकानें थीं तो मैंने पूछा कि यह क्या है ? उन्होंने कहा कि यहां फिल्म

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की शूटिंग होती है । मैंने भी उतरकर देखा कि किस टाइप की शूटिंग होती है । वैसा-वैसा शूटिंग स्थल अकबर भाई और हमारे क्षेत्र में कम से कम 200 होगा । 200 शूटिंग स्थल हम आपको यहां से बैठे-बैठे भेज देंगे, आप जाकर शूटिंग कर लेना । चाहे वह रूखमी दादर का पहाड़ हो, चाहे वह सेंदूर खार का पहाड़ हो, चाहे चांड़ा का हो । अध्यक्ष महोदय, चांड़ा के पास तो एक ऐसी नदी है, नदी के अंदर नदी है, पत्थर फोड़कर नीचे घुसी हुई है । आप देखेंगे, जानेंगे, तब तो लोगों को बताएंगे । सरगांव की जो बिल्डिंग बनी है, वह रूकी हुई है । आप ऐसी जगहों पर 10-5 घोड़े दे दीजिए, 10-5 वहां के स्थानीय बच्चों को रोजगार दीजिए । उसको डेवलप कीजिए, सड़क बनाइए । अध्यक्ष महोदय, इससे रोजगार बढ़ेगा। कुल मिलाकर मंत्री जी मैं आपकी बात तो कह लिया । माननीय पंचायत मंत्री आज हैं नहीं । धान वाली कमेटी में भी आपने उनको नहीं रखा है । मुझे ऐसा लगता है कि उनके घोषणा पत्र से अब आप लोग तकलीफ पा रहे हैं । आपने उनसे लम्बी लम्बी घोषणाएं करवा ली है । अब उसको क्रियान्वित करने में दिक्कत हो रही हो तो बोले कि उनको दूर ही रखो । तो वो भी अभी नर्वस ब्रेक डाउन में चल रहे हैं । मनरेगा का करोड़ो रूपए का भुगतान लंबित है । गौठान बनाना अच्छी बात है, मैं खुद गौठान का उद्‌घाटन करने गया था । मैंने अपने भाषण में कलेक्टर के सामने बोला कि हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार की रक्षा के लिए ये कार्य कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, इसमें हम सबको मदद् करनी चाहिए । गौठान बने, गरूवा, बारी हम सब देखे हुए हैं, कोई नई चीज थोड़े ही देख रहे हैं । लेकिन जिन सरपंचों से आपने बनवाया है, उनका क्या होगा ? मेरे पास कागज लग गया है । सरपंच ये बोल रहे हैं कि हमारा 25 लाख, 30 लाख का भुगतान नहीं हुआ है । चुनाव आने वाले हैं चुनाव के बाद उन सरपंचों को 2 रूपया नहीं मिलेगा । वह मुझसे कहकर गया है कि मैं पंचायत मंत्री और सरकार के नाम से चिट्‌ठी लिखकर आत्महत्या करूंगा । अब आपको उसको संभालकर रखना पड़ेगा कि वह आत्महत्या न करे । उसने आपके भरोसे काम किया है, उसका भुगतान होना चाहिए ।

आपके यहां कसडोल में, मस्तूरी में, रतनपुर में गायें पटापट, पटापट मर रही हैं । मैंने एक कलेक्टर साहब का बयान पेपर में पढ़ा, सही गलत मैं नही जानता । जो भी धान बेचने आएगा उसको पैरा लेकर आना पड़ेगा । अब कौन समझाए कि किसान पैरा कैसे लाए ? आजकल हार्वेस्टर से खेती होती है, मिसाई हार्वेस्टर से होती है, उसका पैरा इतना बड़ा बड़ा तिनका हो जाता है । वह तिनके को भी किसान सरकार के फरमान के डर में ले भी आए तो उसको कोई खाता नहीं, क्योंकि वह प्लास्टिक सरीखा चिकना हो जाता है । गाय सूंघकर ही मुंह हटा लेती है । अब इस तरह का तुगलकी फरमान जारी होगा तो क्या होगा गरूवा का और क्या होगा गौठान का ? गाय तो मर ही रही है । ईश्वर आप सबको सद्‌बुद्‌ध दे, इस पर विचार करिये और ऐसे बेतुके फरमान जारी करने से आप बचाइए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक सलाह और देना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी आप कृषि मंत्री हैं । मैं माननीय प्रमुख सचिव जी से कल पूछने गया था कि अगर उनकी अनुमति हो तो मैं आपको इसी सदन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में एक बहुत बड़ा सीताफल देने वाला था, लेकिन नहीं दे पाया, क्योंकि उन्होंने अनुमति नहीं दी, उन्होंने कहा कि यह परम्परा में नहीं है । लेकिन मैं वह सीताफल बाहर रखा हूं, आपके घर आउंगा । वह सीताफल छोटा-मोटा फुटबॉल जैसा है । उस सीताफल की खेती यहीं होती है । आप हर बाड़ी में 2-4 लाख पेड़ लगवा दीजिए, सीताफल स्टेट हो जाएगा । हर गांव, हर घर की बाड़ी से 4-5 हजार का फल निकलेगा और लोगों को उपलबध होगा । थोड़ा प्रोक्टिल होइए। स्कीम बनाते समय अच्छा लगता है कि गाय यहां से आ जाएगी । जैसे कि अचानकमार अभ्यारण्य के एक अधिकारी ने स्कीम बनाई कि बीट नम्बर 19 में अगर गाय जायेगी और उसे शेर मारेगा तो मुआवजा मिलेगा। अब बताओ न शेर पढ़ा-लिखा है और न गाय पढ़ा-लिखा। (हंसी) तो भैय्या, ऐसा नियम आप क्यों बनाते हो? ऐसा नियम मत बनाइए। सरल नियम बनाइए। प्रेक्टिकल नियम बनाइए, जिसमें जनता पार्टिसिपेट कर सके। आप कर सकें। हम कर सकें। हम कहां बोल रहे हैं कि आप जो ये नियम बनाये हैं, वह गलत है। इससे प्रदेश बर्बाद हो रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि अच्छी बात है। गाय, गोबर, गोमूत्र और खेती-किसानी, पैरा, कचरा, घास आजकल तो कांदी वाला भी नहीं आता। पहले हम लोग छोटे-छोटे थे तो सिर में कांदी रखकर कांदी बेचने वाले आते थे। तो इन सब परम्परा को इसलिए शुरू करिए, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, उसमें खेती में यह लाभदायक होगा। स्कूल शिक्षा में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। दो-तीन-चार साल पहले 52 मॉडल स्कूल खोले गये थे। इन स्कूलों का क्या हुआ ? डॉ. रमन सिंह की सरकार में उस स्कूल को किसी संस्था को दे दिया गया था। अब वह वहां पर अपने मन से पूरा तानाशाही करता है। अपने मन से भर्ती करता है। अपने मन से भर्ती निकालता है। सरकार की पूरी जमीन जायदाद में कब्जा कर लिया है। अब आप 292 स्कूल और बनाने की 90 करोड़ रूपए की स्कीम बना रहे हैं। ऐसा मत करिए। जो स्कूल आपके पास है, उसकी इमारत ठीक करिए। जो स्कूल आपके पास है, उसमें भर्ती कर दीजिए। दूरस्थ अंचल में गुरू जी लोगों की भर्ती करिए। आप बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी या बड़े-बड़े स्कूल खोलने की बजाय हमारे गांवों का जो स्कूल है, वही हमारे लिए यूनिवर्सिटी है, उसे ठीक से बनवा दीजिए। थोड़ी कृपा करके उसे भी देख लें। अब स्वास्थ्य विभाग। एक सिम्स अस्पताल मेडिकल कॉलेज है। वहां आग भी लग गई। नीचे पेट्रोल भी लगा था। किसी ने नहीं देखा। कैसे-कैसे भगवान भरोसे बूझा। कई लोग जलने से बच गये। उस अस्पताल में मेडिकल कॉलेज है। एम.आर.आई. मशीन नहीं है। सी.टी. स्केन मशीन नहीं है। लैब में जांच करने की व्यवस्था नहीं है। वहां अगर आप जिंदा चले गये तो जिंदा वापस आने की भी व्यवस्था नहीं है। यह मैं आपसे कह सकता हूं, क्योंकि बनारस की गलियों के समान भूलभूलइया है वह अस्पताल। मैंने पिछले सत्र में भी माननीय मंत्री जी से कहा था कि आप बिलासपुर के सिम्स के लिये जगह दीजिए और बिलासपुर में एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बनवाइए, जैसा कि जगदलपुर में बना है। किसी भी सरकार ने इसमें ध्यान नहीं दिया है। वन विभाग में अधिकारियों का बहुत टोटा है। रेंजर नहीं है। एक रेंजर तीन-तीन जगह, दो-दो जगह। एस.डी.ओ. दो-दो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तीन-तीन जगह। तो भैय्या उसको तो भरिए। जहां से भी लाना है, आप लाइए। नहीं तो छोटे कर्मचारियों को प्रभारी बनाइए। उन्हें जिम्मेदार करिए। उड़ीसा के पास कौन सा जंगल है, उसका जवाब आज मैं पढ़ रहा था। जानकारी एकत्रित हो रही है। डेढ़ दो महीने का है। पर मैं आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। माननीय वन मंत्री यहां पर है। मुख्य सचिव भी उधर बैठे हैं और हमारे वरिष्ठ मंत्री और गुरू जी भी बैठे हैं। मैं ए.टी.आर. के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। किसी गांव को हटाने के लिए हम विरोध नहीं करते हैं। ए.टी.आर. से बहुत मोहब्बत है। ए.टी.आर. के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे दो चीज में आपत्ति है। परसों ही आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है कि आपको अभी तक जो सेन्ट्रल वाइल्ड लाइफ है, उससे आपको अभी तक अनुमति नहीं मिली है। आपकी योजना सिर्फ तीन गांवों को हटाने की है। आप कहां हटायेंगे? आप कितना जमीन देंगे? उन गरीब आदिवासियों के लिए मकान देंगे या नहीं देंगे? बिजली देंगे या नहीं देंगे? खेती योग्य जमीन बनायेंगे या नहीं बनायेंगे? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं। लेकिन आपके अधिकारी लोग बार-बार दूसरे पक्ष में दबाव डालते हैं। 10 लाख लो और रवानगी लो। मतलब आप बला टालना चाहते हैं। एक बैगा अगर 10 लाख रूपए लेकर बैंक से निकला तो वह घर तक तक जिंदा नहीं पहुंचेगा। बैंक के सामने में सफेदपोश इतने-इतने डकैत वहां खड़े रहते हैं कि कब उससे किसमें अंगूठा लगवायेंगे या लिखायेंगे कि उसका कपड़ा भी उतरवाकर उसे बिना कपड़े के नि:वस्त्र महावीर स्वामी जैसा भेज देंगे। मैं चाहता हूं कि उनको जमीन मिले। मकान मिले। आप करिए न। लेकिन आपके अफसर जब दौरे में जाते हैं तो एक ठोक शिगूफा छोड़कर आ जाते हैं। शीघ्र ही किया जायेगा। कहां किया जायेगा ? आपके पास पांच रूपया नहीं है, किसी योजना की स्वीकृति है नहीं, आप काहे को हीरो बनने के लिए बयान देते हो। भय व्याप्त मत करिये। जैसे टी0व्ही0 9 चैनल है, मैंने उसमें देखा। उसमें सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान ही दिखाता है। आज बाजवा का ये होगा, इमरान का ये होगा। अरे तू कहां से जान गया भैय्या ? कहां से आ गया ? वहां के बारे में बड़े-बड़े जासूस और सेनाध्यक्ष लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसा सनसनी खेज नहीं बनाना चाहिए। मेरा मतलब है कि माननीय मंत्री जी आप उसमें थोड़ा मानवीय पक्ष में चलिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय प्रशासन शिव डहरिया जी। मैंने आपसे इसी सदन में बात किया था कि स्काई वाक का क्या होगा?

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- मेरे विभाग का नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- किसका है ?

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- इधर वाले का है।

श्री धर्मजीत सिंह :- पी0डब्ल्यू0डी0। अच्छा, चलो उनको इनाम मिल चुका है, उनको अच्छे मंत्री का ईनाम मिला है। अभी इतनी तारीफ किया हूं कि कोरबा जा नहीं सकते, बिलासपुर की सड़क खराब है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

4:01 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, अकलतरा की सड़क खराब है। स्काईवाक है। अच्छा, इसीलिए दिल्ली में प्रथम पुरस्कार मिला है। वैसे अभी मैं एक दौरे में कोरबा गया था तो मैंने वहां के पत्रकारों को बोला कि भाई कौन सी संस्था ने दिया है, उसको मेरी तरफ से इनवाइट कर दो, मैं उनको हवाई जहाज का किराया दूंगा, हवाई जहाज से उतरकर सिर्फ कोरबा जाकर वापिस आ जाये, बस। उसके बाद मैं उसका ओपिनियन पूछ लूंगा।

श्री केशव चन्द्रा :- आप कौन से रास्ते से कोरबा गये थे ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं कोरबा मुख्य मार्ग की बात कर रहा हूँ।

श्री केशव चन्द्रा :- आप चांपा से कोरबा जाकर देखिये।

श्री संतराम नेताम :- 11 महीने पहले बस्तर में भी जाकर देखना था।

श्री केशव चन्द्रा :- चांपा से कोरबा जाकर देखिये, आपको बीच रास्ते में हेलीकाप्टर मंगाना पड़ेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- अस्पताल ही जाना पड़ेगा, बोलो भैय्या। सभापति जी, यहां पर स्काईवाक के बारे में बात हुई थी। आप भी उस कमेटी में हैं। परन्तु आप लोग 11 महीने में भी फैसला नहीं कर पाये हैं। बिलासपुर का सीवरेज है। आप गये थे। आपको डम्पिंग यार्ड में ले गये थे। अखबार में हेडिंग में छपा है कि माननीय शिव डहरिया वहां 5 मिनट से ज्यादा नहीं रूक पाये। नाक में रूमाल रखकर वापस आये। वहां के लोग इतनी दुर्दशा में जी रहे हैं, लेकिन वहां जो श्वास लेने वाले हैं, वे परमानेंट जी रहे हैं।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- निरीक्षण में तो आपको भी चलने को बोले थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- सुनिये भैय्या, आप मुझे खाने में बुलाये थे तो मैं आपके पास खाने के लिए गया था। मैं आपके सम्मान में ऐसा कर भी नहीं सकता, आप हमारे दोस्त हैं।

सभापति महोदय, अब एक अमृत मिशन योजना है। मंत्री जी, आप थोड़ा सुनिये न, आप तो वरिष्ठ मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) हैं। आप हम लोगों की थोड़ी भावना सुन लीजिये। जब निर्णय होता है तब आप उसमें रहते हो तो थोड़ा कभी-कभी बोलने के लिए मिलेगा। एक अमृत मिशन योजना है। अभी सीवरेज मिशन में वहां के भ्रष्टाचारियों का पेट नहीं भरा, अब एक नया अमृत मिशन आ गया। अब यह अमृत मिशन क्या है ? अमृत मिशन मतलब बिलासपुर में जो-जो सड़क थोड़ी बन गई थी, उसको खोद डालो अभियान, जितना दुर्दशा हो सकता है कर दो, जितना पाईप लाईन जहां-जहां गिराना है गिरा दो, कोई लड़का आकर गिरकर अभड़कर मर रहा है तो मरने दो, कोई बच्चा उसमें जाकर ...।

सभापति महोदय :- बस कृपया समाप्त करिये धर्मजीत जी। कृपया समाप्त करिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं इतनी कीमती बात बोल रहा हूँ जीवन मरण का प्रश्न है, थोड़ा टाईम दीजिये। यही तो मौका है। यदि नहीं बोलूंगा तो वहां की जनता तो मेरे को मार डालेगी।

श्री रविन्द्र चौबे :- आखिरी में तो अमृत में आये हैं, अभी तक क्या-क्या बोल रहे थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- लेकिन यह अमृत रूपी जहर है, इसका दंश बिलासपुर के लोग झेल रहे हैं।

सभापति महोदय :- अब आप अमृत मिशन की जगह अमृतवाणी बोलिये न।

श्री धर्मजीत सिंह :- अमृत मिशन उसका नाम है।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन धर्मजीत भैय्या, आपका अमर अग्रवाल जी से बहुत अच्छा सम्बन्ध है, सब जानते हैं। आप एक ही मोहल्ले में रहते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, तो क्या हो गया ?

श्री अमरजीत भगत :- उनको कभी सलाह नहीं दिए क्या ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो उनको यहां पर विधान सभा में सलाह दिया था। नहीं माने तो आपको क्या हो गया है, आप लोग क्यों कार्रवाई नहीं करते ? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि आप लोग जब तक सरकार में नहीं थे, बड़ी-बड़ी बात करते थे। अब आपके तेवर को क्या हो गया ? अब अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बन रहे हो ? बनो अमिताभ बच्चन। आप अमृत मिशन का सुन तो लीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैय्या सुन तो लीजिये। आपने कहा तो मैंने धान केन्द्र खोला या नहीं खोला, बताओ ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं बधाई दे रहा हूँ। मैं अभी खाद्य में कहां आया हूँ।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- भैय्या, आपने कहा कि लोरमी में सब काम सेंग्शन कर दो, किया या नहीं किया ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपको धन्यवाद दूंगा न। पहले दो-चार समस्या तो बता दूं। अमृत मिशन का किस्सा सुन लो, आप ही से संबंधित है। अमृत मिशन की जितनी दुर्दशा करना था, कर लिये। मैंने अधिकारियों से पूछा कि इसमें पानी कहां से आयेगा ? तो वे बोले कि खूटाघाट से आयेगा। मैंने कहा कि खूटाघाट में तो पानी है नहीं तो बोले कि अहिरन नदी का पानी खूटाघाट में आयेगा और वहां से पानी बिलासपुर आयेगा। अभी तालाब खुदा नहीं है, मगरमच्छ पहले हाजिर है। अध्यक्ष महोदय, अभी अहिरन नदी का वाटर क्लीयरेंस वाटर कमीशन से नहीं मिला है, फारेस्ट क्लीयरेंस मिला नहीं है, अभी उसको नहर के लिए उड़ीसा से, दो स्टेट का प्राब्लम है। तो अहिरन से पानी आयेगा, यहां गिरेगा और उसके बाद पानी आयेगा। इसका मतलब मनोराज्यम। मन ही मन में सब सोच लिए, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन ये वाला जो काम है, अर्थवर्क का है, पाईप सप्लाई का है, डालर वाला है । गड्डा खोद-खोदकर ये काम पहले हो गया ।

डा. शिवकुमार डहरिया :- आपके पुराने मित्र का ही काम है, उसको ठीक कर रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- उसको आप आगे बढ़ा रहे हो, रोक देते न । एक मिनट के अंदर प्रशासन चुस्त करना था तो सभी अधिकारियों को बोल देते तो उसको हटवा दो । आपने मुझे लोरमी विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए पैसा दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और मंत्री जी, आपने मुझे विधान सभा क्षेत्र में गरीब आदिवासियों के लिए उप केन्द्र खोला, उसके लिए आभारी हूं और इतना अधिकार तो है कि गरीबों के हित में हम जो बोलेंगे, उसको आप करेंगे ।

माननीय सभापति जी, हवाई सेवा के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा । मंत्री जी, सुनिए, आप ही को बोल रहा हूं । बिलासपुर में 25-30 दिन से वहां के लोग हवाई सेवा के लिए बैठे हैं । मैंने विधान सभा में एक अशासकीय संकल्प भी रखा है । जब यहां प्रतिवेदन पेश हुआ तो उसमें जगदलपुर का हवाई अड्डा था, अंबिकापुर का हवाई अड्डा था, बिलासपुर का नाम नहीं है, अंग्रेजों के जमाने में हमारे यहां ही हवाई अड्डा था । वहां के किसानों ने आर्मी को डेढ़ हजार एकड़ जमीन अपना गांव उजाड़कर दिए हैं और वह आर्मी का है । पुरानी सरकार ने सी-2 लाईसेंस लिया है । सी-2 लाईसेंस का मतलब है कि उसमें 15-20 सीटर प्लेन चलेगा, जो पूरे हिन्दुस्तान के किसी भी एयर लाईंस कम्पनी के पास उतना छोटा प्लेन नहीं है । अगर सी-3 लाईसेंस लेंगे तो कम से कम 40 से 50 या 70 सीटर प्लेन चल सकता है । एयरपोर्ट का रन वे तैयार है । अगर उसमें दो-चार करोड़ रूपए की जरूरत हो तो आपको दे देना चाहिए । बिलासपुर न्यायधानी है, बिलासपुर में कोल इंडिया है, बिलासपुर में रेल्वे जोन है, बिलासपुर में एन.टी.पी.सी. है, बिलासपुर का दोष यह है कि न्यायधानी के माध्यम से लोगों को न्याय मिलता है, बिलासपुर का दोष यह है कि रेल्वे सबसे ज्यादा कमाई देता है । बिलासपुर का जुर्म यह है कि वहां पर एन.टी.पी.सी. से बिजली पैदा होती है और पूरे देश को देता है, बिलासपुर का जुर्म ये है कि हम वहां पर कोयला पैदा करते हैं और पूरे देश को देते हैं। हम पूरे देश की जरूरत की पूर्ति करते हैं और आप एक अदना सा हवाई जहाज बिलासपुर को गिफ्ट नहीं कर सकते । मैं इस बजट में मांग करता हूं कि आप अगली बार प्रावधान करना और सरकार की ओर से दिल्ली की सरकार से बात करना चाहिए और सी-3 लाईसेंस लेकर वहां ए.टी.आर. एयर सर्विस शुरू कराएं और अंतर्राज्यीय नहीं, हमको बड़े-बड़े शहरों से प्लेन सर्विस चाहिए, उसके लिए आप कलेक्टर से बात करिए ।

सभापति महोदय, मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय मंत्री जी, मैं पिछले बार के बजट सत्र में यह बोला था कि हमारे प्रदेश के बड़े-बड़े नेता जो झीरम कांड में दिवंगत हुए थे, उनकी याद को चिर स्थायी बनाए रखने के लिए आप जरूर कोई न कोई काम करिए और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वर्गीय नंदकुमार पटेल के नाम पर एक यूनिसर्विटी की स्थापना की है । उसके लिए मैं आपकी पूरी सरकार को, मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि एक शहीद को आपने सम्मान देने का काम किया । उनका नामकरण किया । अब इसके बाद कर्मा जी, उदय मुदलियार जी, विद्याचरण जी और भी शहीद हैं, उनके लिए भी आप कुछ न कुछ करेंगे । आपके इस काम की मैं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तारीफ करता हूं और मुझे तभी एक आशा की किरण जगी कि अब आपसे अगर मैं कोई मांग करूंगा तो उसे आप जरूर स्वीकार करेंगे ।

माननीय सभापति महोदय, चौबे जी, मैं जानता हूं, सार्वजनिक रूप से इस बात को बोलता हूं कि जब मैं मध्यप्रदेश की विधान सभा में पहली बार विधायक बनकर गया तो सत्यनारायण भैया मंत्री थे, आप भी मंत्री थे, पर वे बहुत सीनियर थे । हम आपसे ही मिलते-जुलते थे । एक प्रकार से आप हमारे वहां राजनीतिक गुरू थे, हम आपका मार्गदर्शन लेते थे । हम लोग पूछते थे, 320 सदस्यों की विधान सभा में पैर कांपता था, तब आप सहारा देते थे तो आपसे अधिकार तो तब से है और अभी भी विनम्रतापूर्वक कृषि मंत्री होने के कारण मैं आपसे मांग करता हूं कि हमारे मुंगेली जिले में जहां पर चाक मिट्टी का कारखाना भी नहीं है, वहां पर शक्कर का भी कारखाना नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों ने 1930 में जो खुड़िया डेम बनाया था, उससे लाखों एकड़ में सिंचाई होती है । मैं आपसे पास निवेदन करने गया था कि मेरे क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोलें । आपने कहा था कि अगर जमीन होगी तो देखेंगे, विचार करेंगे । मैं आज सदन में आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि लोरमी तहसील के ग्राम बठां में 140 एकड़ से ज्यादा जमीन एक साथ एक चक में मैं रखा हुआ हूं, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में भी उनसे भी हाथे जोड़कर विनती करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में भी उनसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हॅू कि हमारे किसानों के हित में वहां पर महाविद्यालय खोलेंगे । आपका नाम भी जीवन भर इस बात के लिए याद किया जायेगा कि आपने किसानों की खुशहाली के लिए काम किया और उसी के माध्यम से मुझे भी खुशी मिल जायेगी । इसलिए जनहित में मैं यह निवेदन कर रहा हॅू कि आप उस पर जरूर विचार करियेगा । जब भी आपको अवसर मिले, बजट सत्र में शामिल करियेगा । मैं आशा करता हॅू कि आपने वहां तक किसानों की बात किया । किसान अगर मुझे विधायक बनाये हैं, सिर्फ मेरे नहीं है । वह पूरे प्रदेश के किसान है, आपके भी हैं, आप भी उनके मंत्री हैं, आप भी उनके मुख्यमंत्री हैं । आपको इस पर विचार करना चाहिये । आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हॅू । सीताफल लेकर कल मैं प्रातःकाल आपके घर पहुंचुंगा । प्रणाम, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री संतराम नेताम ।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अनुपूरक बजट लाया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हॅू।

श्री केशव चन्द्रा :- पीड़ा को अभिव्यक्त करना भई । पांच साल तक बहुत पीड़ा को व्यक्त किये । इस सरकार में भी आप पीड़ित हैं, आप अभिव्यक्त करना ।

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, 4546 करोड़, 81 लाख, 61 हजार 521 रूपये का जो मांग किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हॅू । आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए इस पैसे की मांग की है और मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, किसान के दर्द को समझते हैं, उनका विचार है, उनकी मंशा है कि इस प्रदेश का विकास हो । यहां के किसान खुश रहे, यहां के हमारे भाई-बहन खुश रहें, इसी कारण उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के ठीक दो घण्टे बाद प्रदेश के किसानों को एक सौगात दिया है । हमारे मुख्यमंत्री जी ने 11 हजार करोड़ रूपये का कर्जमाफी करके एक बड़ा दिल दिखाया है । सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारा कोई भी किसान जो है, वह कर्ज में न हो। उसका आशय मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले साल हम लोग सदन में बैठकर लगातार सुनते रहे, तुलनात्मक अगर जानकारी देखें, प्रदेश में 15 वर्षों में 14 हजार किसान आत्महत्या किये हैं । किसान आत्महत्या क्यों करते हैं, क्योंकि वह कर्जा से परेशान है । ग्रामीण बैंकों में, सहकारिता में, लैम्प्सों में कर्जा पटा नहीं पा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि हम किसानों को 2100 रूपये समर्थन मूल्य देंगे, 300 रूपये बोनस देंगे, लेकिन उन्होंने किसानों की दर्द को नहीं समझा । हमने वर्ष 2013 के घोषणा पत्र में देखा था कि हम किसानों के एक-एक दाना धान खरीदेंगे, लेकिन उनके धान को नहीं खरीदा गया । माननीय सभापति महोदय, 11 क्विंटल खरीदा जा रहा था, हमने जाकर सी.एस. साहब से मिले, इस सदन में मंत्री जी से अवगत कराये, तब 11 क्विंटल को जाकर 15 क्विंटल किया गया । अभी जो यह घड़ियाली ऑसू रो रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 25 सौ रूपये में धान खरीदने का वायदा किया था, उसके लिए भी केन्द्र से मांग की जा रही है, चावल की अनुमति नहीं दे रहे हैं । आज कहते हैं कि सांसद के यहां नंगाड़ा नहीं बजाना चाहिये, उनका दायित्व बनता है, जनता ने चुना है, किसान घर का बेटा है, उनका फर्ज बनता है, वह जाकर केन्द्र में केवल निवेदन तो कर ही सकते हैं मोदी जी से कि हमारे छत्तीसगढ़ में 80 प्रतिशत लोग किसान है, उनके दर्द को समझना है, वह आत्म हत्या न करें, इसलिए यह पैसा उनको मिलना चाहिये । सभापति महोदय, आर्थिक रूप से हमारा प्रदेश सक्षम होगा,इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनुपूरक बजट का मांग किया है । अभी हमारे माननीय धर्मजीत सिंह जी बोल रहे थे, बिलासपुर और कहां-कहां सड़क की व्यथा बता रहे थे, केशव चन्द्रा भईया भी बता रहे थे, लेकिन 11 महीने के ठीक पहले आप बस्तर की ओर जाओ, भोपालपटनम से लेकर आप कांकेर तक आओ, आज वहां की सड़क इतनी दुर्दशा में है, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, पिछले साल भी मैंने आपको एक बात कही थी, मैं एक विधायक होने के नाते कई बार मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा, पी.डब्लू.डी. मंत्री को चिट्ठी लिखा, मेरे बरवत्तर से केसकाल तरफ सड़क बहुत जर्जर स्थिति में था । उस जमाने में मैंने सभी के पास जाकर गिड़गिड़ाया, निवेदन किया, आवेदन दिया, सब किया लेकिन किसी ने नहीं सुना। वहां की पब्लिक के साथ मैंने खुद 10 दिन तक उस सड़क में बैठकर रात और दिन मेहनत करके उस गड्ढे को पाटने का काम किया है। आज विपक्ष के लोग जो बात करते हैं कि आज यहां-वहां सड़कों की दुर्दशा है, उसी सड़क को सुधारने के लिए पैसे की मांग की जा रही

है। आदरणीय सभापति महोदय, पैसे का कैसे दुरूपयोग किया जाता है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, महाराष्ट्र में जो नाटक चल रहा था, वहां के मुख्यमंत्री फड़नवीश जी का अभी इस्तीफा हो गया है। आज हमारा संविधान दिवस है, संविधान की जीत हुई है और लोकतंत्र की जीत हुई है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि पैसे का कैसा दुरूपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जो पैसे की मांग है वह इस प्रदेश के किसानों के लिए, प्रदेशवासियों के हित के लिए किया। हम इस साल राज्योत्सव मनाये लेकिन पिछले शासनकाल में पिछले 15 साल से बाहरी कलाकारों को लाकर यहां पर कार्यक्रम करवाते थे। सलमान खान आते थे, करीना कपूर आधे घंटे कमर को मटकाती है उसके लिए इन लोगों ने एक-एक करोड़ रूपये दिये। आज विकास के लिए, यहां के स्थानीय कलाकारों के लिए पैसे की मांग की जा रही है। यहां का पैसा यहां खर्च हो यह हमारी सोच है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि यहां के छोटे-छोटे कलाकारों को मिले, यहां के कलाकारों की प्रतिभा जागे और यहां के कलाकारों की प्रतिभा पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में जाए, इसलिए पैसे की मांग की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि हमने पिछली बार कोंडागांव में मक्के के कारखाने की मांग की थी। मांग करते-करते, प्रश्न लगाते-लगाते थक गये। वहां पर 65 हजार किसान मक्के की खेती करते हैं, लेकिन समर्थन मूल्य में उनका मक्का नहीं खरीदा जा रहा था। वह कैसे आर्थिक रूप से संपन्न होंगे? उन किसानों के लिए आज हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने जो किया है मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसे ही उनकी सरकार बनी, दो महीने के अंदर कोंडागांव जिले को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए वहां जो किसान मक्के की खेती करते हैं उन किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कार्य किया ताकि उनके बच्चों की परवरिश, उनकी शिक्षा-दीक्षा काफी मजबूत हो इस सोच के साथ् आज उन्होंने कोंडागांव में नई सौगात दी है और मक्का का कारखाना खोल दिया है। यह है हमारे मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के सरकार की सोच।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :-वहां इस साल मक्के की खेती का रकबा कम हो गया है। आपके सरकारी रिकार्ड में वहां मक्के का रकबा कम हो गया है।

श्री संतराम नेताम :- आपको गलत जानकारी दिये हैं। मैं आपको रिकार्ड दिखा देता हूं। माननीय सभापति महोदय, लोग कहते हैं कि ये पैसे का उपयोग कहां करोगे, इस पैसे को कहां ले जाओगे? लेकिन नॉन जैसा घोटाला हुआ, बड़ा-बड़ा घोटाला हुआ, आंखफोड़वा घोटाला हुआ लेकिन बस्तर के बारे में आज तक कोई नहीं सोचा। बस्तर के लोग कैसे रहते हैं, कैसे गंदा पानी पीते हैं, वहां की सड़क की दुर्दशा है, स्कूल की दुर्दशा है वहां के लोग कैसे रहते हैं, वहां नक्सल पीड़ित लोग कैसे जीवन जीते हैं, उनके आवास की व्यवस्था नहीं है, इस प्रकार की सोच रखने वाले इस भारतीय जनता पार्टी को मैं बताना चाहता हूं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कि हमारे बस्तर में वनवासी रहते हैं। उनके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा काम किया है कि जो तेंदूपत्ता में 2500 रूपये मानक बोरी दिया जाता था आज उसे सीधा-सीधा 4000 रूपये बढ़ाया गया है। इसलिए पैसा मांगा जा रहा है कि बस्तर के लोगों का विकास हो, बस्तर के वनवासियों का विकास हो, उनके बच्चे भी अच्छे से हॉयर एजुकेशन प्राप्त कर सकें इसलिए राशि की मांग की गई है। हमारे खाद्य मंत्री जी अभी नहीं हैं। वर्ष 2013 का संकल्प पत्र आज भी मुझे याद है और मेरे पास उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम प्रत्येक कार्ड में 35 किलो चावल देंगे। सभापति महोदय, आप भी यहां हैं, आप जानते हैं कि 6 महीने के बाद 35 किलो को घटाकर एक व्यक्ति के पीछे 7 किलो, दो व्यक्ति हैं तो 14 और तीसरा है तो 21 किलो देकर हमारे भाई-बहनों के राशन को काटा गया। अभी हमारी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने गरीबों की पीड़ा को समझा है। बस्तर के आदिवासी जो बहुत कम खेती करके अपना जीवन पालते हैं, ऐसे लोगों के लिए सीधा-सीधा एक व्यक्ति के लिए 10 किलो, 2 व्यक्ति के लिए 20 और 3 के लिए 35 और 5 से भी ज्यादा है तो 42 किलो और 70 किलो देने की योजना बनायी गयी। यह है गरीबों के लिए सोचना। सरकार की सोच ऐसी होनी चाहिए। प्रदेश में रहने वाले हमारे भाई-बहन भूखे न सोयें इनके लालन-पालन में कोई कमी न हो। इसलिए उनको मजबूत करने के लिए पैसा मांगा गया है। सुपोषित योजना- हमारे बस्तर में जायेंगे तो आप देखेंगे कि 37 प्रतिशत आज भी कुपोषित हैं। उनको सुपोषित करने के लिए आज योजना चलाई गयी है। खनिज विभाग से उनके लिये पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। आज आप बस्तर में जायेंगे तो देखेंगे, बच्चे से लेकर महिला काफी खुश हैं। इसलिए पैसा लिया जा रहा है। मैं हमारे मुख्यमंत्री और केबिनेट के साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बड़ा काम किया है। आज बिल्डिंग बन जाता है, पिछली बार खनिज विभाग के पैसे का दुरूपयोग हुआ है। स्वीमिंग पुल बन गया, बड़े-बड़े बिल्डिंग बन गये, कई भवन ऐसे बनाये लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री और केबिनेट मंत्री ने आज बड़ा काम किया है। वहां के बच्चों के लिये, वहां की महिलाओं के लिये गर्म भोजन की व्यवस्था की गई है। यह होती है, प्रदेश की जनता के लिये सेवा करने की भावना होती है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा काम जनता की सेवा करना है। बस्तर की आदिवासियों की सेवा करना, वहां के पिछड़े वर्ग की सेवा करना। प्रदेश में हमारे सारे आम जनता की सेवा करना । आज विपक्ष नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी इसके बारे में मजाक उड़ाते हैं। आज नहीं तो कल आप देखेंगे, यह जो सोच है वह एक बड़ी सौगात के रूप में मिलेगी, एक बड़ा विकास होगा। आज देखिए, बस्तर में जहां गौठान बनता है, आज वहां का किसान खुश है। दस हजार रूपये उसको महीना मिलेगा। वहां के गाय, बैल बाहर रहते हैं, वे गौठान में रहेंगे। नरवा - नरवा एक अच्छी सोच है। आज छोटे-छोटे नालों के पानी को रोककर अगर सिंचाई के साधन को उपलब्ध कराया जायेगा तो किसान मजबूत होगा। जो बोर खनन नहीं करा सकता वह नदी और नाले से पानी लेकर सिंचाई कर सकता है। डबल फसल ले सकता है। ये नरवा की सोच है। इसका एक ही कारण है कि

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हमारे प्रदेश की सारी आम जनता आर्थिक रूप से मजबूत हों ताकि अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ा सकें। अपना घर बना सकें। अपना जीवन अच्छा से जी सकते हैं। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सोच है। इसके पहले बस्तर प्राधिकरण में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी हुआ करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं। बस्तर का विकास कैसा होना चाहिए, बस्तर के हित में कैसा काम होना चाहिए। बस्तर के विधायक तय करेंगे। मैंने पिछली बार पांच साल देखा है। बस्तर प्राधिकरण के विकास के नाम का पैसा राजनांदगांव में करोड़ों रूपये जाता था, वह हमारे बस्तर के विधायकों को नहीं मिल पाता था। आज हमारे बस्तर के विधायक माननीय लखेश्वर बघेल जी अध्यक्ष हैं, हमने बस्तर प्राधिकरण के लिए तीन बैठक रखे थे। उसका कारण यह है कि हम लोग बैठकर तय करते हैं कि, मुख्यमंत्री जी तय नहीं करते हैं, वहां पर हम लोग तय करते हैं कि कहां सड़क बनेगी, कहां भवन बनेगा, कहां पर पानी की व्यवस्था है, कहां शिक्षा की व्यवस्था है। कहां काम करना है वह हम तय करते हैं। आज हम बस्तर के सभी विधायक, माननीय भूपेश बघेल जी और केबिनेट के सारे मंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बस्तर को अपने हमारे विधायकों के हाथ में छोड़ा है। हमारा मकसद है कि हम बस्तर को कैसे तैयार कर सकते हैं, बस्तर की भावनाओं को कैसे ला सकते हैं, हम बस्तर को कैसे माडल के रूप में तैयार कर सकते हैं। वह विधायक तय करेंगे। सभापति महोदय, पैसे का बंदरबाट नहीं हो रहा है। इसके पहले आपने देखा होगा कि बस्तर प्राधिकरण के नाम से करोड़ों रूपया इधर बालोद से लेकर राजनांदगांव तरफ आता था। हमको पैसा का हिस्सा कम मिल पाता था। आज यह बस्तर प्राधिकरण का गठन करना, यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोहंडीगुड़ा में जो जमीन की वापसी हुई, आज हम जाते हैं, जब वहां चुनाव चल रहा था तो किसान लोग बोले कि ऐसी सरकार होनी चाहिए कि जो हमारे खेती को हमारे जमीन को पूर्ववर्ती सरकार ने रखा था। आज हमको वापस किया है। बिना मुआवजा वापस किया है। ये सरकार की सोच होती है। सरकार का काम करने का एक तरीका होता है। आज पूरे प्रदेश में मैं कहता हूं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मजदूर से लेकर, बेरोजगार से लेकर, सभी किसान वर्ग से लेकर, व्यापारी भी आज खुश है। इसलिए पैसे का मांग किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की यह सोच है। इसी प्रकार हमारी सरकार काम करती रहेगी। बहुत से सदस्य शराब के बारे में बता रहे थे। हमने पहले भी देखा कि गांव-गांव में शराब की विक्री होती थी अभी हमारी सरकार बनने के बाद, जो पिछली बार इन्होंने लागू किया है शराब बंदी के बारे में बार-बार इन लोगों का कहना था कि शराब पूर्णत: बंद होना चाहिए। शराब पर अध्ययन चल रहा है, समिति बनी है निश्चित तौर पर समय आएगा तो शराब बंदी भी की जायेगी। लेकिन हमारे भाईयों का कहना है कि शराब पर प्रतिबंध होना चाहिए। आप 15 सालों पहले क्यों नहीं किये ? आप भी पहले 15 सालो में जब गांव-गांव में अवैध शराब मिलती थी। आज हमारे सदस्य कह रहे थे कि आज सबसे ज्यादा उसकी बिक्री हो रही है निश्चित तौर पर आपने उसकी शुरूआत की है ये

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सरकार, हमारी सरकार की सोच है कि इस प्रदेश में रहने वाले हमारे आम जनता सब लोग खुश रहे और प्रदेश का विकास हो। हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद् देना चाहता हूँ ...।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करिये।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक सोच होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बस्तर में सबसे ज्यादा हमारे रेलारेल संस्कृति में होता है आज वह रायपुर में आये थे। वे काफी खुश हैं हम संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री जी की सोच है हरियाली से लेकर तीजा, पोरा सभी में उन्होंने एक ऐसे माहौल पैदा किये है, ऐसा उत्सव मना रहे हैं कि इससे स्पष्ट पता चलता है कि हमारे प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो यहां के प्रदेशवासियों के साथ चले। चाहे कोई भी त्यौहार में हो, हर त्यौहार को अपने एक विधि और विधान के साथ संस्कृति और प्रदेश की सभ्यता के साथ उन्होंने आज मनाने का काम किया है। मैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी परम्परा की शुरूआत की है। आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद् देते हुए, आपनी बात को यही पर समाप्त करता हूँ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वितिय अनुपूरक अनुदान मांगों का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने जो मांग की है पूर्व में भी मूल बजट में बहुत बड़ी राशि की मांग किये थे। लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ, केवल वह बजट कागज तक सीमित रहा। पूर्ववर्ती सरकार में भी बजट में जो-जो प्रावधान किया गया, वह केवल कागज तक सीमित रहा और बजट से आज वह तमाम् कार्य बाहर भी हो गये हैं।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, माननीय चंद्रा जी आप यह बतायें कि आप किसानों का पक्ष रखते हैं किसानों के खाते में पैसा गया या नहीं ? पिछली बार जो अनुपूरक बजट पास हुआ था तो कर्ज माफी हुआ या नहीं ? और आज भी जो बजट पास हो रहा है, वह किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए बजट पास हो रहा है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, हम इसीलिए तो विरोध कर रहे हैं। धान खरीदी की कहीं बात नहीं है। आपके मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा की कि हम 2500 रूपये में धान खरीदेंगे।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- आपको थोड़ी बतायेंगे ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, आप बजट में कहां प्रावधान रखे हैं ? कि 1825 रूपये और 2500 रूपये के अंतर को आप कहां से देंगे ?

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री लालजीत सिंह राठिया :- इसी में तो देंगे। किसानों को इसी पैसे को देंगे।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय चन्द्रा जी, उनको मिलेगा आप चिंता मत करिये। किसान को 2500 रूपये मिलेगा और पूरा सब किसान सहमत हैं सब इस को जान रहे हैं कि हमें मिलेगा। आप उसके लिए चिंता मत कीजिए।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ.शिवकुमार डहरिया) :- जैसे पिछले साल मिला था तो आपको भी मिला था। इस बार भी आपको मिलेगा।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- आप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् दीजिए और समर्थन कीजिएगा।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं उन्हीं के जिले से हूँ। मैं माननीय विधायक जी के परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे विधायक जी को सबसे ज्यादा बोनस मिलता है। वे हमारे किसान गौंटिया है। जानकर भी हमारे विधायक जी अनजान बन रहे हैं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय रामकुमार जी धन्यवाद्। किसानों लोगों को और दीजिए, खूब दीजिए। हम उसका समर्थन करते हैं। धन्यवाद दिये हैं कल भी आपके मुख्यमंत्री को धन्यवाद् दिये हैं कि जो 2500 रूपये दिये हैं तो उसमें किसान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुआ है कर्जा माफ भले आंशिक किये हैं, लेकिन उससे किसान लोगों को लाभ मिला है उसके लिए धन्यवाद् दिये हैं। आप सर्वदलीय बैठक में बुलाये थे तब भी हमने धन्यवाद् दिया। लेकिन आज प्रावधान नहीं है किसान चिंतित है संशय में है कि ये 2500 रूपये की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वह कैसे मिलेगा ? माननीय विधायक जी, कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। आपने सेवा सहकारी समिति का शत प्रतिशत कर्ज माफी कर दिया, ग्रामीण बैंक की 20 प्रतिशत राशि अभी भी आपने लटकाया है। राष्ट्रीयकृत बैंक का आप क्या किये हैं? किसी के खाते में एक किश्त तो किसी के खाते में दो किश्त जमा हुई है। अभी तक आपकी नीति तय नहीं हुई है कि राष्ट्रीयकृत बैंक में जो किसान कर्ज लिये हैं, उसमें आप कितने को माफ करेंगे और कितने को माफ नहीं करेंगे। जितने भी कर्जदार किसान हैं, उनको नया कर्ज नहीं मिला। आपने कर्जमाफी का एलान किया, कितनी कर्जमाफी करनी है, ये आप स्पष्ट करें। उनके खाते में डालें। आपके कारण किसान न तो खुद के कर्जे को पटा पाये, क्योंकि सरकार ने घोषणा कर दिया है। हम दो तिहाई बहुमत से जीता दिये हैं तो सरकार की तरफ से हमारी कर्जमाफी की राशि हमारे खाते में आयेगी, लेकिन आपका गया नहीं। जितने प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं जो सरकार की अनुमति से संचालित हैं, उसमें तो आपने एक रुपये की कर्जमाफी नहीं दिया। आप बतायें कि किसान की क्या गलती है? अपनी खेती के विकास के लिए, खेती करने के लिए लिया है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, किसान मन के कर्जा माफ होये हे, आप गांव में ठीक से पता कीजिए। हर बैंक का कर्ज माफ हुआ है। सिर्फ अभी का नहीं, पुराना कालातीत ऋण

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भी माफ हुआ है। हमारी सरकार ने किसानों का एक साल का कर्ज माफ किया ही, साथ ही पुराने कर्ज को भी माफ किया है। आप बैंक में पता कर सकते हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- इसी धोखा में रहेंगे तो 4 साल बाद रिजल्ट आ जायेगा। विधानसभा के बाद लोकसभा में क्या रिजल्ट आया? चार साल बाद वह रिजल्ट आ जायेंगे, धोखे में मत रहिये। आपके चाटुकार लोग आपकी प्रशंसा कर रहे होंगे तो उसको सही मत मानिये। आप वास्तविकता, यथार्थ की तरफ जाईये। आपने राष्ट्रीयकृत बैंक का कितना कर्ज माफ किया, प्राइवेट सेक्टर के किसी भी बैंक में आप एक रुपये कर्ज माफ किये होंगे, किसी किसान के खाते में एक रुपये दिये होंगे तो आप बता दें। वह बैंक भी आपकी अनुमति से चल रहा है। वह भी आर.बी.आई. के नियम का पालन कर रहा है। आपके नियम के अनुरूप वह भी कर्ज दे रहा है, किसान की जमीन को बंधक रख रहा है। किसान आपका क्या अहित किये हैं? आपको हित करना है तो सब किसान के लिये कीजिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं मूल बजट के बारे में बोल रहा था। आपने मूल बजट में जो प्रावधान रखा, उस बजट में कहीं भी आगे नहीं बढ़ा। पूर्ववर्ती सरकार ने भी यही किया। बजट पर आ जाता था, लोक निर्माण विभाग का बजट देखते थे तो खुश हो जाते थे कि मेरे क्षेत्र को 5 सड़क मिली, 5 सड़क बनेगी। जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र में जाते थे, खूब बाजा बजवाते थे, माला पहनते थे, अब लोग हम लोगों को दौड़ा रहे हैं। बजट का इम्प्लीमेन्ट नहीं हुआ, न सड़क बनी। आज वह तमाम सड़क बजट से बाहर हो गईं। आपके मूल बजट की भी यही हालत है। आपने जो स्वीकृति दिया है, आज तक उसका प्राक्कलन भी नहीं बना, निविदा की तो बात दूर, काम होना, प्रांरभ होना तो अलग बात है। माननीय रामकुमार यादव जी आप ही बता दें, आपके लोक निर्माण विभाग में जितनी भी सड़क स्वीकृत हुई, कितने सड़क में काम शुरू हुआ? आपके और मेरी विधानसभा को जो सड़क जोड़ती है। उस सड़क से आप भी चलते हैं, मैं भी चलता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- मेरे क्षेत्र हा भारी दुख पात रहिस, अगर कोई जज ला सजा के फैसला सुनाना हे, तो टुन्डरी से सक्ती तक आप 100 की गति में देख लो। मैं लोक निर्माण मंत्री ला धन्यवाद देहौं, मोर सरकार ला जेला अभी 6 महीना में 100 करोड़ रुपये के बजट पास करे हे और बने भी शुरू हो गये हे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- वह आपकी नई सरकार की घोषणा नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि वह ए.डी.बी. तृतीय लोन से स्वीकृत हुआ है, ए.डी.बी. तृतीय लोन से पूर्व की स्वीकृति है। अगर आपकी सरकार ने इतना अच्छा काम किया तो मेरे विधानसभा और आपकी विधानसभा को जैजैपुर-मालखरौदा जोड़ने वाली जो रोड है, वह भी ए.डी.बी. तृतीय लोन से है। जिस दिन आप वह पत्थर से परदा हटा रहे थे, उस दिन भी उसमें नाम हो जाता।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- अभी उसमें टेंडर डल गया था, पास भी हो गया है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- यही तो मैं कह रहा हूं कि बजट में आ गया, न तो उसकी प्राशासकीय स्वीकृति हुई, न ही तकनीकी स्वीकृति हुई, न टेंडर हुआ और पांच साल गुजर गया । आप बजट में जो लाते हैं, आपको प्रतिबद्ध होना चाहिए कि बजट में आप जिन कार्यों को शामिल कर रहे हैं, आपका सिस्टम उसको पूरा कर, आपके प्रशासनिक अधिकारी उसको फॉलो करे और वह कार्य पूरा होना चाहिए । हर बार हम मुख्य बजट और तमाम अनुपूरक बजट को इस विधान सभा में पारित करते हैं । लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हो पाता । सभापति महोदय, इस बजट का सदुपयोग तब होगा जब प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरूस्त होगी । असली परेशानी यह है कि आपका प्रशासन लचर है । सरकार का कहना नहीं मान रहा है । प्रशासन लोगों के हित में काम नहीं कर रहा है । जहां लोगों का अहित होना है, वहां प्रशासन जरूर चुस्त दुरूस्त है । लेकिन जहां आम लोगों के हित की बात है, वहां प्रशासन लचर है। सभापति महोदय, मैंने कल भी इन बातों को रखा था कि एक निर्देश पर कलेक्टर रात को जाकर छापा मारकर धान जप्त कर लेता है । लेकिन किसान दो-दो महीने से प्रशासन के अधिकारी के पास गुहार लगा रहे हैं, आवेदन ले-लेकर जा रहे हैं । एक नहीं, सैकड़ों आवेदन, हजारों आवेदन, कि बेमौसम बरसात के कारण नुकसान हो गया है ।

सभापति महोदय :- केशव जी समाप्त करें ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सभापति महोदय, मेरा आधा समय तो रामकुमार जी ने ले लिया ।

सभापति महोदय :- आपको 9 मिनट हो गए हैं, 1-2 मिनट में खत्म करें।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जी । लेकिन उन किसानों की फसल की क्षति का आकलन करने का उनके पास समय नहीं है । माननीय मंत्री जी कृपया ध्यान देंगे कि जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दें । सभापति महोदय, इस सरकार के कार्यकाल में तो अब जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान नहीं रह गया । सभापति जी, माननीय अध्यक्ष जो इस सदन में हमारे संरक्षक हैं । इस सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री हमारे संरक्षक हैं, मैंने उनसे शिकायत की कि जिला जांजगीर चांपा में माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में शासकीय कार्यक्रम हो रहा है उसमें विधायक लोगों को प्रशासन की तरफ से आमंत्रण नहीं दिया गया । कोई बात नहीं, हम दूसरे दल के हैं, आपने कार्ड में हमारा नाम नहीं लिखा, कोई परेशानी नहीं । लेकिन आमंत्रण तो जाना चाहिए, आपने आमंत्रण भी नहीं दिया और बार-बार माइक से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हमारी राजनीतिक क्षति हो कि हमने विधायक को आमंत्रण दिया और विधायक नहीं आए । लोगों तक यह संदेश पहुंचे । अगर किसी जिले का प्रशासन ऐसा कोई काम करे तो हम भी उन्हीं जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं । उन्होंने हमें इस सदन में चुनकर इसलिए भेजा है कि उनके हितों की रक्षा हम कर सकें, उन्हें न्याय दिला सकें । हम उन्हें हक़, अधिकार दिला सकें ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि प्रोटोकॉल का पालन हो । जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, बल्कि इसके लिए आसंदी से निर्देश आना चाहिए ।

सभापति महोदय, यह प्रदेश पूर्ण रूपेण किसानों का है । हमारे सदस्यों ने भी कहा कि कर्जा माफ दिया गया है और 2500 रूपए देंगे । संशय तो यही है कि आप 2500 रूपए कैसे देंगे ? 1 दिसम्बर से आप धान खरीदी कर रहे हैं । कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने समिति गठित की और उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि 1815 और 1835 रूपए में अभी धान खरीदेंगे । तो बाकी की राशि आप किस माध्यम से देंगे, कैसे देंगे ? किसानों का संशय तो यही है । कल भी मैंने कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार से उन्होंने धोखा खाया है । उन्होंने बोनस की घोषणा की, चुनाव के शुरू और अंत में बोनस दे दिया और बीच का बोनस डकार गए ।

श्री राजकुमार यादव :- हमन दे हन कि नइ दे हन ?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- एक साल आपने भी दिया।

श्री रामकुमार यादव :- देहन न। एक ही साल होथे हमन ला।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- उनके पाप को ढोने के लिए आपने घोषणा पत्र में बोल दिया कि 2 साल का बोनस इस सरकार ने नहीं दिया है। तो हम देंगे। आप दो साल का बोनस क्यों नहीं दे रहे हैं। आप किसान के शुभचिंतक हैं। आप किसान के हितैषी हैं। आप किसान को लगातार बरगला रहे हैं। तो दो साल का बोनस आपने क्यों नहीं दिया? दो साल का बोनस दीजिए। आपके घोषणा पत्र में है। कर्जा माफ की बात कर रहे हैं। शतप्रतिशत आप कर्जा माफ कीजिए।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करिए। माननीय विधायक जी समाप्त करें।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस अनुपूरक बजट का विरोध करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश के किसानों के हित में आप काम कीजिए। केवल वोट की राजनीति मत कीजिए। लोगों को गुमराह करने का काम मत कीजिए। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री लालजीत सिंह राठिया।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों..।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- लालजीत भैय्या, सरकार के गलत कार्यों का दंश आप भी झेल रहे हैं। आप लोकसभा नहीं जीते।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- चार हजार पांच सौ छियालीस करोड़ इक्यासी लाख इकसठ हजार पांच सौ इक्कीस रूपये का मैं समर्थन करता हूं। सन् 2018 और 2019 में हमारी सरकार ने 80 लाख 97 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा। 20 नवंबर को विधान सभा के चुनाव हुए थे और 8 दिसंबर को रिजल्ट आया था। 1 नवंबर से धान खरीदी चालू हो गया था। 2018 में छत्तीसगढ़ के किसान को पूर्ण

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

विश्वास था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2500 रूपये समर्थन मूल्य में धान खरीदेगी। पिछली बार भी किसान लोग इंतजार करते रहे। जैसे ही सरकार बनी। 17 दिसंबर को हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया और 2500 रूपये क्विंटल में धान खरीदा और उन्होंने कर्जा माफ का पहला काम किया। आज भी 1 दिसंबर से धान खरीदी होनी है। आज भी छत्तीसगढ़ के किसान पूर्ण आश्वस्त हैं और कांग्रेस सरकार के प्रति वे विश्वास रखते हैं कि हमारी सरकार 2500 रूपये क्विंटल में धान खरीदेगी। चाहे जैसे भी खरीदेगी। कल मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की कि भले ही हम 1815 रूपये लगायेंगे, लेकिन 2500 रूपये प्रति क्विंटल किसान के खाते में देंगे। इससे सदन को और हमारे सम्मानीय सदस्य को आश्वस्त होना चाहिए कि जो सकरार ने कहा है वह करेगी। पिछली सरकार ने 2100 रूपये क्विंटल में धान खरीदा। 300 रूपये बोनस की बात कहती रही, पर किया नहीं और हमने चालू कर दिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में भी कहा है कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों का 2500 रूपये क्विंटल धान खरीदेंगे तो खरीदेंगे। गन्ने की जो फसल है, बस्तर के लोगों का गन्ना खरीदेंगे। अंबिकापुर के लोगों का गन्ना खरीदेंगे तो खरीदेंगे और खरीद रहे हैं। आज हमारी सरकार 2500 रूपये किसानों के खाते में देकर किसानों को समृद्धशाली मानो सभी वर्गों को समृद्धशाली कर रही है। किसान अगर खुश है तो हमारी छत्तीसगढ़ के व्यापारी भी खुश हैं। किसान अगर खुश है तो उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनके परिवार में शादी ब्याह, पढ़ाई-लिखाई, लेन-देन हर चीज में खुशहाली आती है। माननीय सभापति महोदय, आज यहां हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, परंतु हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वे सब भी किसान परिवार से आते हैं। आज उनका परिवार खुश है। आज उनका घर गांव खुश है तो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की सरकार के कारण है। हमारे विपक्ष के साथियों ने बहिर्गमन कर लिया है। उनके प्रधानमंत्री ने देश के लोगों के साथ चुनाव के बाद क्या किया था? कि मैं केन्द्र में प्रधानमंत्री बनूंगा तो स्वामीनाथन कमेटी लागू करूंगा । यह मैं देश के किसानों से वादा करता हूँ कि कैबिनेट के पहली बैठक में किसानों के लिए पहला सिगनेचर करूंगा। लेकिन उन्होंने आज तक नहीं किया। सरकार पंजाब और हरियाणा की तरह छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, जो पूरे देश को चावल की आपूर्ति करता है। पूरे देश को चावल देती है। आज हम बाहरी राज्यों से गेहूं, चना वगैरह हमारे प्रदेश में आता है उसी तरह आज हमारे प्रदेश का चावल दूसरे राज्यों में जाता है। आज हम लोग दूसरे जिन्सों को दूसरे प्रदेशों से लाते हैं। हमारे यहां सरसो आता है। हमारे यहां गेहूं आता है, मूंगफली आता है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान धान पैदा करते हैं। उनके यहां खुशहाली हो, यह हम सब चाहते हैं। किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए। किसानों को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, ताकि हमारा प्रदेश समृद्धशाली हो। आज हमारे मुख्यमंत्री जी चाहे वह बस्तर का किसान हो, चाहे सरगुजा का किसान हो, हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, हर वर्ग के लोग विकास कर रहे हैं। आज ओ0बी0सी0 वर्ग के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण बढ़ा दिया। उन्होंने आज हर वर्ग को आगे लाने का प्रयास किया है और

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आरक्षण में वृद्धि की है और उन्होंने हर समाज को स्थान प्रदान किया है। आज हमारे यहां छत्तीसगढ़ में चाहे बिजली की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, स्कूल की समस्या हो, हमारी सरकार ने हर वर्ग की चिंता की है। संतराम नेताम कह रहे थे हमारे प्रदेश में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कि वहां बस्तर में डी0एम0एफ0 फण्ड से, हमारे स्थानीय निधि फण्ड डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फण्ड में प्रावधान करके आज अधोसरंचना मद में विकास का काम कर रहे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री पिछले दिनों में रायगढ़ जिले में मीटिंग लिए थे, उसमें भी डी0एम0एफ0 का करोड़ों रूपये का फण्ड स्वास्थ्य के लिए दिया। उन्होंने एम0आर0आई0 मशीन, सीटी स्केन की मशीन अस्पतालों में क्रय करने के लिए अनुमति प्रदान की है। हमारे यहां के स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षक मितान है, जो शिक्षा मित्र हैं, सी0एस0आर0 के मद में जो पढ़ाई हो रही है, उसमें स्कूलों में शिक्षा के सुधार के लिए, स्कूलों के भवन के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी प्रत्येक जिलों में पैसा दे रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी हर तरह से संवेदनशील है। सभापति महोदय, मैं कल ही अखबारों में पढ़ रहा था कि पी0एस0सी0 ने 199 पदों के लिए आवेदन मंगाना स्टार्ट कर दिया है। पी0एस0सी0 के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, उसकी नियुक्ति के लिए दस्तावेज सत्यापन भी पूरे प्रदेश में हो चुके हैं। जल्द ही उनके नियुक्ति आदेश निकलने वाले हैं। पिछली सरकार के समय की जो सड़कें हैं, पूर्व सरकार ने जल्दबाजी में सड़कें बनवाई। आज रायपुर जैसे शहर की सड़कों में बने ब्रिज गिर चुके हैं। हमारे अकलतरा-बिलासपुर की सड़क, जिसमें हम लोग आना-जाना करते हैं, गिर चुकी है। पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाये हैं। आज हमारी सरकार अच्छा काम करना चाह रही है। आज पिछले सरकार के किए गए काम को हमारी सरकार झेल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं। हमारी सरकार इतनी संवेदनशील हैं कि उन सड़कों को सुधार करेगी। आज जितनी भी सड़कें बरसात के कारण खराब हो गई हैं..।

सभापति महोदय :- जल्दी समाप्त करिये।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- सभापति महोदय, एक मिनट। बरसात के कारण सड़कें डेमेज हो चुकी थीं। जो ग्रामीण सड़कें हैं, पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़कें हैं, उनके संधारण का काम चालू हो चुका है। हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बनाये रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह का आयोजन दिसम्बर में किया है। माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक राज्य अपने-अपने राज्य की बोली-भाषा और पहचान बनाये रखने में आगे आती है। हम लोग उड़ीसा जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां के रेल्वे स्टेशनों में, प्लेट फार्मों में उनकी अलग भाषा लिखी होती है । हम महाराष्ट्र, बंगाल जाते हैं तो वहां भी अपनी-अपनी भाषा और पहचान होती है । हमें भी अपनी संस्कृति और परम्परा पर गर्व करना चाहिए, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के हर जाति, वर्ग के लोगों को सम्मान देने के लिए तीज त्यौहार, यहां के खान-पान, रहन-सहन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं । आज गांव-गांव में खेलकूद का आयोजन करके छत्तीसगढ़ की संस्कृति और धरोहर

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

को बनाए रखने में यहां की नदी, नाले, पहाड़, जंगल को बनाए रखने का काम कर रहे हैं । हमारा छत्तीसगढ़ खनिज सम्पदा से भरा हुआ है, हमें किसी दूसरे राज्यों की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास छत्तीसगढ़ में इतनी सम्पदा है कि छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ की पहचान हमारी सरकार कर सकती है और हम विकास कर सकते हैं । बस इसमें करने की आवश्यकता है और हम लोग विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदान मांगों की चर्चा चल रही है । इस चर्चा की शुरूआत में सबसे पहले तो मैं सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य, मुख्यमंत्री जी और हमारे जो साथी हैं, उनको बधाई देना चाहूंगा कि 9 महीने के कार्यकाल में इंडिया टूडे कान्क्वेल में छत्तीसगढ़ राज्य को समावेशी विकास के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है, वह निश्चित रूप से बड़ा मापदण्ड है, बड़ी उपलब्धि है । मैं इंडिया टूडे कान्क्वेल को डायरेक्ट लाईव टेलीकास्ट को देख रहा था और उन्होंने समावेशी विकास के मापदण्ड बताये हैं, मैं समझता हूं कि पिछले 10-15 वर्षों से लगातार पूरे विश्व में और पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि विकास का मापदण्ड क्या होना चाहिए, विकास की परिभाषा क्या होनी चाहिए । क्या केवल सड़क, सिंचाई यही आंकड़े होने चाहिए या जो खर्च किया जा रहा है, वही आंकड़े होने चाहिए । अब पूरे विश्व में विकास की नई परिभाषा प्रारंभ हुई, जिसे समावेशी विकास बोलते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ सरकार की 9 महीने की जो कार्य प्रणाली है, उस पर इंडिया टूडे कान्क्वेल ने अगर चयन किया है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और यहां की नीतियों का एक अच्छा प्रतिबिंब दिखा है ।

माननीय सभापति महोदय, पिछले 9 महीने में अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन आये है । मैं समझता हूं कि पूरे देश में जब आर्थिक मंदी थी तो कहीं न कहीं कर्जमाफी और कहीं न कहीं धान का जो रेट मिला है, उसको लेकर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी राशि मार्केट में आई, जिससे कि हमारा विकास काफी कुछ दिख रहा है और मैं समझता हूं कि धान खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट बयान दिया कि यदि केन्द्र की सरकार 1835 रूपये ही हमको राशि देकर हमारा चांवल लेने को तैयार होती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी 635 रूपये किसान को अपने बजट से देंगे चाहे प्रोत्साहन राशि के रूप में दें और चाहे उसको एक्सपेंडीचर के रूप में, इंवेस्टमेंट के रूप में कोई भी एक नई परिभाषा गढ़कर 2500 रूपये प्रति क्विंटल किसान को मिलेगा और मुझे विश्वास है कि जब ढाई हजार रूपये प्रति क्विंटल किसान को मिलेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी । क्योंकि यह पैसा किसानों का है, वह मार्केट में आएगा तो मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन्स में पढ़ाई बढ़ेगी, लोग बेहतर शिक्षा प्राप्त करेंगे, संसाधन बनेंगे, लोग अपनी जीविका को मजबूत करेंगे । जहां तक 25 सौ रूपये का परशेप्सन है । अभी 4-5 दिन पहले मैं अपने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्षेत्र में किसानों के कार्यक्रम में गया था, सोसायटी में गया था तो वहां पर यह चर्चा चल रही थी कि यह सरकार 25 सौ रूपये कैसे देगी, मोदी जी तो बहुत तेज हैं, वे किसानों का धान, चांवल नहीं लेंगे । क्या होगा तो वहां पर गैंदापाल नामक एक व्यक्ति था, जो सहकारी समिति, अतरिया का उपाध्यक्ष है, वह बहुत लंबे समय तक भिलाई-दुर्ग में श्रमिक नेता रहा है । वह बोला कि आप चिन्ता मत करो, आप यह परशेप्सन देखिए, आप चिन्ता मत करो, यदि मोदी बहुत तेज व्यक्ति है तो भूपेश बघेल भी बहुत जिद्दी नेता है, भूपेश दाऊ जेन केहे हे तो ओला करहि । ये जो परशेप्सन छत्तीसगढ़ में है, वह किसानों को मजबूत करके रखा है और मुझे लगता है कि किसान इस बात को मानकर चल रहे हैं कि केन्द्र का कितना भी अटकाव होगा, पर किसानों को 25 सौ रूपए मिलेगा और इस भावना के कारण किसानों में खुशी की लहर है । मैं समझता हूँ कि माननीय भूपेश बघेल जी आये हैं, 2500 रूपये क्विंटल धान खरीदी होने से न केवल छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि ग्रामीण लोगों में यह सोच मजबूत हुई कि अगर हम खेती में मेंहनत करेंगे तो उसका फल हमको मिलेगा । मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं यह जो परेशानी बनी थी, यदि केन्द्र हमारा चावल नहीं लेगा तो क्या होगा, मुझे लगता है कि यह जो परेशानी है, भविष्य में यही छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी । मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के किसान तीन-चार नई व्हेरायटी के धान जो बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जैसे मासूरी का धान है, एच.एम.टी.का जो धान है, उसमें आज 20-22 क्विंटल लोग ले रहे हैं । उस प्रकार की धान की प्रजातियों को अगर किसान पैदा करना चालू कर देंगे तो एक दिन यह होगा कि मार्कफेड से बड़ी-बड़ी कंपनियां स्वयं चावल लेने आयेगी । आज जैविक खेती के दौर में आज हम लोग जवां फूल जैसी खेती में 15 और 20 क्विंटल धान का उत्पादन कर रहे हैं । मुझे लगता है कि जो हमारी सबसे बड़ी परेशानी धान की खरीदी है, वह हमारी नीतियों से सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है । वर्षा ऋतु का जो परशेंटेज छत्तीसगढ़ में है, हमारी सबसे बड़ी शक्ति धान की खेती के लिए है । मैं समझता हूँ कि साल-दो साल हमारे छत्तीसगढ़ के बजट में किसी नये चीज का प्रावधान न भी किया जाये तो केवल धान की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, गांवों के लोगों को मजबूत करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा । यदि छत्तीसगढ़ का पूरा बजट किसानों को यदि समर्पित कर देंगे, राज्य कहां से कहां पहुंच जायेगा । यही हमारी ताकत है, यही हमारी शक्ति है, हमारे लोगों को रोजगार का सबसे बड़ा कारण है । मैं समझता हूँ कि इस बार हर गांव में 20-25 प्रतिशत जमीन लोग खाली छोड़ देते थे, वहां लोगों ने धान की खेती की है । हम धान की अच्छी प्रजातियां, सिंचाई के बेहतर साधन, बिजली की बेहतर व्यवस्था करेंगे तो लोग अच्छी क्वालिटी का धान पैदा करेंगे, मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा । मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ कि कुछ व्हेरायटीज धान की ऐसी है कि कृषि वहां प्रोत्साहित करेगा तो बहुत बड़े-बड़े खरीददार होंगे । माननीय सभापति महोदय, जब नरवा, घुरवा, गरूवा, बाड़ी चालू हुआ, बहुत से लोगों के मन में आशंकायें थी कि ऐसा होगा । उसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से, रविन्द्र चौबे जी से मेरी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पहले भी चर्चा होती रही, मुझे इस बात का सौभाग्य है कि वर्ष 1996 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने मध्यप्रदेश के 6 विधायकों को रालेगांव सिद्धि में अन्ना हजारे साहब के क्षेत्र में शिक्षण के लिए भेजा था । हम लोग 6 विधायक वहां पर गये थे । गृह मंत्री, मध्यप्रदेश के बाला बच्चन भी साथ में थे । हम लोग 10-10 दिन के लिए लगभग चार बार गये थे । अन्ना हजारे जी ने जो रालेगांव सिद्धि में जो सेटअप बनाया है, वह कहीं न कहीं हमारे नरवा, घुरूवा, गरूवा, बाड़ी के आसपास था । वहां लगभग 70 से 80 गांव जो अन्ना हजारे जी के प्रभाव क्षेत्र में था, वहां उस समय, वर्ष 1995-1996 में यह कांसेप्ट चलता था । उसे बाद में राजीव गांधी वाटर शेड मिशन के नाम से चालू किया । यह उसका एक व्यापक स्वरूप है । मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को एक बड़े सरकारी कार्यक्रम के रूप में, अभी तो हमने उसको जनता से जोड़ने का काम किया है, अगर बजट उपलब्ध हो तो कहीं केन्द्रीय राशि मिल सके या अंतराष्ट्रीय मंच से पैसा मिल सके तो यह एक बड़ा कार्यक्रम हो सकता है । छत्तीसगढ़ की पूरी अर्थव्यवस्था को एक क्रान्तिकारी रूप में परिवर्तन कर सकते हैं । मुझे लगता है कि गोबर खाद जो इकट्ठा हो रहा है, उसको अगर जैविक खाद के रूप में अगर इस्तेमाल करेंगे, बड़ी चीज हो सकती है । इस कार्यक्रम को जनता से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं । लेकिन इस कार्यक्रम में और अधिक बजट देने का, फॉरेन की फंडिंग भी अगर हो सके तो कहीं न कहीं इसको मजबूत करना चाहिये । न केवल नस्ल सुधार का कार्यक्रम, बल्कि गौ मूत्र जैसी चीजों का जब संग्रहण होगा, बहुत सारी आयुर्वेदिक और बहुत सारी चीजों का एक नया स्वरूप प्राप्त होगा । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में इस बार सितम्बर-अक्टूबर में पानी नहीं गिरता तो तकलीफ होती । लेकिन एक संकट जो सामने आया था कि अगस्त-सितम्बर में बिजली की बड़ी परेशानी हुई थी, उत्पादन में कमी नहीं थी, कहीं न कहीं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा कमजोर पड़ा था, उसके ऊपर विशेष ध्यान देकर सी.एस.ई.बी. में इसकी मानिटरिंग होनी चाहिये । लोड सेक्टर है, उसको कभी-कभी इतनी परेशानी होती थी कि लगातार ट्रांसफारमर खराब हो रहे थे, उसको अगर सुचारू रूप से कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी जो खेती है, वह और अधिक मजबूत हो पायेगी । सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में एक बड़ी राशि उन्होंने दी है, उससे विश्वविद्यालय बहुत दिनों से सरकार से राशि की मांग करती रही है, एक अच्छी राशि मिलने से संग्रहालय भवन, कला केन्द्र भवन को एक मजबूती मिलेगी । मैं माननीय शिव डहरिया जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि खैरागढ़ में पिछले 6 वर्षों से मांग कर रहे थे ।

समय :

5:00 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

अप्रवर्तित/असंशोधित के लिए नहीं

वहां पर जो सड़क निर्माण हुआ था उसमें बहुत सारे लोग विस्थापित थे, उनके मुआवजा का प्रकरण था, उसके लिए माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने राशि का प्रावधान किया है। उसमें लगभग 750 से ज्यादा लोग प्रभावित थे। यहां पर राजनांदगांव के मेडिकल कालेज के लिए भी प्रावधान किया गया है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान दो बातों पर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजनांदगांव जिले के संबंध में कल हमारे बघेल जी का प्रश्न भी है, खैरागढ़ विकासखंड में लैंको पावर प्रोजेक्ट का एक प्रश्न आया, उसमें बहुत सारे लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई और जमीन अधिग्रहित करने के बाद उन किसानों को कहा गया कि आपको रोजगार देंगे। अब धीरे-धीरे ये स्थिति बनी है, कल माननीय विधायक जी के प्रश्न के जवाब में शासन जवाब देगा, लेकिन उस लैंको के प्रोजेक्ट में लगभग 450-500 करोड़ रूपये की सब्सिडी पिछली सरकार ने दी और शर्त ये थी कि जिस किसान की जमीन ली जायेगी उसको हम मुआवजा भी देंगे और नौकरी में भी रखेंगे। धीरे-धीरे लैंको ने सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया और कारण यह बताया कि अकुशल श्रमिक हैं। उसी प्रकार से अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र में पतंजलि वालों ने लगभग 400-500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। आज इस बात को लगभग चौथा वर्ष होने जा रहा है लेकिन अधिग्रहण होने के बाद एक दाना भी कोई काम नहीं हुआ है। तो ऐसे उद्योगों से पूछा जाए कि भाई यदि आप स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दे सकते और उद्योग नहीं लगा सकते तो बंद कर दीजिए। लेकिन किसानों की जमीन चली गई, उस पर कुछ हो नहीं रहा है उस पर एक नजर दौड़ाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि पिछली सरकार क्यों नहीं करना चाहती थी, 15 वर्षों तक क्यों इस बात पर ध्यान नहीं दिया, राज्य में जो खर्च बढ़ना है वह बढ़ेगा, स्वाभाविक प्रक्रिया है, नई योजनाएं आयेंगी तो खर्च लगेगा। इन्कम बढ़ाने के लिए हीरा खनन के लिए मैं बार-बार कहता हूं। बार-बार मैंने निवेदन किया कि हीरा खनन के बारे में शासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। लगभग 15 से 20 हजार करोड़ रूपये की आय 5-7 वर्षों में हो सकती है और जो कोरंडम है आज विश्व स्तर पर कोरंडम की प्राईसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यदि हम पूरा हीरा नहीं भी निकाल पाये तो कोरंडम की डिमांड आजकल ज्वेलरी के मार्केट में विश्व लेवल पर काफी हो गई है। यह एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और शासन को विदेशी आय होने की पूरी-पूरी संभावना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मैंने माननीय वनमंत्री जी से भी निवेदन किया था, उन्होंने उसमें कार्ययोजना स्वीकृत भी की है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांकेर और कोंडागांव से लेकर कवर्धा तक जो हमारा वनाच्छादित क्षेत्र है उसमें मेडिशनल प्लांट, जड़ी-बूटियों की बड़ी डिमांड है। हम लोग प्रयास करें कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि स्वयं अगर पतांजलि से बात करें, डाबर से बात करें, झंडू से बात करें या जमुना फार्मास्युटिकल से बात करें, इन कंपनियों के माध्यम से इनको हम सीधे खरीदी करने का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अधिकार दे दें कि जड़ी-बूटियों की ये सीधे खरीदी करें और उसके बदले यहां कम से कम एक उद्योग लगायें तो ये चार-पांच बड़े उद्योग हमारे वन क्षेत्र में लग सकते हैं। हर्रा, बहेरा, आंवला ये सब बहुतायत में हमारे यहां उपलब्ध है और इसके लिए कोई न कोई कार्ययोजना बननी चाहिए। आज नक्सली क्षेत्रों में इस प्रकार के उद्योगों को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि विधायक निधि के संबंध में बहुत सारे नये प्रस्ताव होने की जो बात थी, पत्र भी गया है लेकिन जो हमारा बड़ा फ्लेगशिप कार्यक्रम है कि हम नरवा, गरूआ, घुरवा, बाड़ी को मजबूत करना चाहते हैं तो यदि विधायक निधि से उसमें राशि देना चाहते हैं तो कहीं न कहीं इसमें आपत्तियां और परेशानी आती है। तो विधायक निधि का जो एम.एल.ए. लोगों का कंपोनेंट है उसमें इस कार्यक्रम को जोड़ने की आवश्यकता है और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में भी यदि कन्वर्जन में नरवा, घुरवा में पैसा देना चाहते हैं तो कहीं न कहीं तकनीकी परेशानी आती है, तो इनको जोड़ा जाए। इसके साथ ही मैं ये सुझाव देना चाहता हूं कि विधायक निधि से यदि हम शहरों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे पुलिस के माध्यम से लगाना चाहते हैं तो वह कंपोनेंट भी नहीं है, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि सीसीटीवी कैमरा आज एक बहुत जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को जो अनुपूरक बजट की चर्चा में हिस्सा लिए उन सबको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, द्वितीय अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके लिए हर बात का विरोध करने की प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। अगर दो लाईन में कहूं कि अनुपूरक बजट उन मुद्दों को संबोधित करता है जिसका इंतजार प्रदेश की जनता को पिछले 19 सालों से था। उसके अभाव में हमारे इतिहास और संस्कृति पर संकट आ रहा था, तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। दूसरे राज्य की अपनी सीमाओं और भारतीय संविधान में मिले हक में कहीं कोताही होती है तो राज्य के उपायों का दायरा बढ़ाना पड़ता है। सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि 15 सालों में जनता ने जिस तरह से अपनी जड़ों से कांटने का षड़यंत्र किया गया। उसे निजाद दिलाने का हमारा अभियान सबसे पहला अभियान था और वह अभियान जारी है और जारी रहेगा। इस क्रम में हमने राजिम पुन्नी मेला से शुरूआत की, फिर हरेली की छुट्टी, तीजा की छुट्टी, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी, छठ पूजा की छुट्टी, दीवाली मातर की छुट्टी, ये सारे त्यौहार तीज त्यौहार अपनी माटी की सुगंध से ही नहीं जुड़ती, इसे हम लोग केवल जुड़े ही नहीं बल्कि इसको जीया भी है और इसका विस्तार भी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ लोक रंगों की धरती है। हमारे यहां छत्तीसगढ़ी, गोड़ी, हल्बी, गुरली, सरगुजिया, कोड़को अनेक बोली और भाषा बोली जाती है जिसका अपना संसार है। इसकी अपनी ऊचाइयां भी है। इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। कल आपने एक नया इतिहास छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कहा। छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना गीत। डॉ. नरेन्द्र देव वर्मन रचित अपरा पैरी के धार, महानदी हे

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

अपार, उसको राज्यगीत के रूप में और राष्ट्र गीत के बाद उसको आपने यहां शामिल किया। इसके लिये मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं। इस वर्ष राज्योत्सव में हमने कवि मीर अली मीर का सम्मान किया और उसकी जो कविता है हम सब उसको सुने हैं -

"नंदा जहि का रे, नंदा जहि का।
कमरा अऊ खुमरी, गांव के लीला, चऊर के चीला,
मेरा मड़ई अऊ ढेलवा झुलई, नंदा जहि का।"

अध्यक्ष महोदय, लेकिन जिस प्रकार से हमने हरेली को बचाया है, तीजा को बचाया है, राजिम पुन्नी मेला जो हमारी प्राचीन संस्कृति हमारी धरोहर है। उसको जिस प्रकार से हम लोगों ने न केवल संरक्षित किया है बल्कि संवर्धित किया है, विकसित करने की हमारी जो कोशिश है तो अब कोई कभी चिंता नहीं करेगा कि ननदा जहि का रे। हमने आदिवासी संस्कृति को भी संरक्षित करने का फैसला किया है और छत्तीसगढ़ में या पूरे हिन्दुस्तान में पहली बार नेशनल ट्राईबल डांस का हमने आयोजन किया है। जो 27, 28, 29 दिसंबर को होगा। यह पूरा चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर भी है और इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। (मेजों की थपथपाहट) हमने 28 राज्यों, पहले तो 29 राज्य हुआ करता था। अब जो नहीं हैं उनके शासनकाल में 29 की जगह 28 राज्य हो गये। 6 केन्द्र शासित थे, अब वह बढ़कर 8 केन्द्र शासित राज्य हो गया। हम सभी आदिवासी नर्तक दलों को आमंत्रित कर रहे हैं। यह लोकरंग से परिपूर्ण रहेगा और उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि देश में हमारा पहला राज्य है, जहां हम लोगों ने अभी एक वर्कशॉप किया छत्तीसगढ़ के हमारे जितने भी वैद्य, गुनिया हैं हमने उसका एक सम्मलेन किया। 1 हजार से अधिक हमारे ट्रेडिशनल जो वैद्य हैं गांव-गांव से, जंगल से निकलकर आये थे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि हम लोग एक ट्रेडिशनल मेडिशनल बोर्ड बनायेंगे। (मेजों की थपथपाहट) आज तक के हमारी सरकार, जितनी भी सरकारें रही हैं। अभी देवव्रत जी जैव विविधता, वनस्पति के बारे में बोल रहे थे और इसके लिए पादप बोर्ड बना हुआ है हम लोग उस वनस्पति को संरक्षित, चिन्हित करने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो सैकड़ों-हजारों सालों से जो हमारी परम्परा है, जो हमारे वैद्यों के पास ज्ञान है उसको न लिपिबद्ध करने की हमारी कोशिश हुई है, न उसको ज्ञान को बांटने की कोशिश हुई है तो अब हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिशनल बोर्ड है उसमें उन वैद्यों से ज्ञान लेकर उसको लिपिबद्ध करेंगे और एक दूसरे को भी बतायेंगे और यह भी बतायेंगे कि किस वैद्य के पास किस चीज की विशेषज्ञता है ताकि आज एक कहावत है कि ''नीम हकीम खतरे जान''। किसी भी वैद्य के पास कोई चीज, किसी का ईलाज कराने के लिए न जाएं, बल्कि जिस विषय की विशेषज्ञता उनके पास है हम उन्हीं के पास जाएं। हमारे पास ऐसी सूची होगी और इसके लिए ये बोर्ड का गठन किया गया। हमने उन वैद्यों को भी आमंत्रित किया है। बताने का अर्थ यही है कि 27, 28 और 29 तारीख को जो हमारा नेशनल ट्रायबल डांस होगा, उसमें हम

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इनके लिए भी एक स्टॉल रखेंगे। जहां हमारे वैद्यगण भी बैठेंगें, वे ईलाज भी करेंगे और दवाई भी देंगे। आप तो कोरबा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किये हैं आपके भी निर्वाचन क्षेत्र के जंगल में सबसे अच्छी जड़ी बूटी रही है। आपने देखा होगा कि वे लोग हाट बाजार में किस प्रकार से पसरा में कीमती-कीमती जड़ी बूटी को सस्ते में बेच देते हैं। उनको चिन्हित करके, आज उन्हीं से तो दवाईयां बनती हैं तो उसके लिए जानकारी लेकर, उसकी सही मार्केटिंग हो, ये बोर्ड का काम होगा और उसका प्रदर्शन भी यहां हम लोग करेंगे। देश विदेश से लोग यहां आएंगे और यहां, हमारे हिन्दुस्तान के लोग भी उसका लाभ उठा पायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी अभी सदन में नहीं है। लेकिन कल वह बोल रहे थे कि आज कल हम लोग गम्मत कर रहे हैं। गेड़ी, भंवरा, गोटा, फुगड़ी, इनके लिए गम्मत हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें हमारी संस्कृति का हिस्सा है और इसको हम छोड़ नहीं सकते। इन खेलों को भी हम लोगों ने खेल महोत्सव में शामिल किया है। अभी जो युवा महोत्सव मनायेंगे, उसमें सब चीजें होंगी। (मेजों की थपथपाहट) ब्लॉक, जिला, प्रदेश स्तर पर सब चीजों का प्रदर्शन होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सबसे पहले आपके अध्यक्ष कक्ष में जाते थे तो दूसरे प्रकार की मिठाईयां मिलती थीं। अब आपके कक्ष में जाते हैं तो ठेठरी, खुरमी, चिला, फरा, अइरसा सब खाने को मिलता है तो छत्तीसगढ़ की सोंधी सुंगध है अब सही मायनों में दिखायी पड़ती है और महसूस करते हैं कि छत्तीसगढ़ में हां, अब हम लोगों का राज आया है।(मेजों की थपथपाहट) अब हम लोगों की सरकार बनी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 वर्ष भगवान राम और माता जानकी लखन लाल जी वनवास काटे, उसमें से अधिकांश समय हमारे छत्तीसगढ़ में उन्होंने गुजारा है। हमने रामवनपद गमन को भी, उसको विकसित करने के लिए फैसला किया है। ये लोग अब जो नहीं है उसके बारे में कहना उचित नहीं है ये लोग वोट मांग सकते हैं, उसके नाम से सरकार बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए काम नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए काम नहीं कर सकते। यदि अयोध्या का फैसला भी आया है तो कोर्ट से आया है। यही बात तो हम कह रहे थे कि कोर्ट का फैसला हमको मान्य होगा। लेकिन ये कई बार सत्ता में आये, कभी ये लोग खुद नहीं बना पाये, आखिर जो मार्ग प्रशस्त हुआ है, वह न्यायालय से प्रशस्त हुआ है और इसी का हम सब इंतजार कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, यह लोग 15 साल सरकार में रहे, लेकिन राम वन गमन पथ कभी ये लोग न चिन्हित किये और न उसके निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। हमने सीतामढ़ी हरचौका से लेकर रामगढ़, शिवरीनारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा, सप्तर्षि आश्रम है, उन स्थलों को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेंगे। (मेजों की थपथ्पाहट) इसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान भी रखा गया है। इसका कांसेप्ट प्लान तैयार किया है जो 92 करोड़ रुपये का है। और जितनी भी जगह है उसको हम लोग विकसित करते जायेंगे और पूरा सुकमा, कोन्टा तक जायेंगे। वहां तक भी पूरा विस्तार किया जायेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारा सौभाग्य है युवाओं के प्रेरणास्त्रोत स्वामी विवेकानंद जी जो 39 साल में ही इस धरा को छोड़ गये थे। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन है, उससे पूरे विश्व को अवगत कराने का काम उन्होंने किया। हमारे चाहे वेद हों, उपनिषद हों, उन्होंने उसके ज्ञान को विदेशों में, पूरी दुनिया को बताने का काम किया। यदि 39 साल की उम्र में सर्वाधिक समय उन्होंने गुजारा है तो कलकत्ता में गुजारा है। लेकिन लगातार किसी एक जगह में दो साल तक रहे तो वह जगह केवल छत्तीसगढ़ है। (मेजों की थपथपाहट) 12 जनवरी को उनकी जयंती का कार्यक्रम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1877 से लेकर 1879 तक रायपुर में निवास किये। डे भवन बूढ़ापारा रायपुर, कांग्रेस भवन का गांधी मैदान, रोड और उसके उस पार डे-भवन है, उसको विवेकानंद स्मृति संस्थान के रूप में स्थापित किया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) ताकि उनकी जो स्मृति है, वह चिरस्थायी बनी रहे, इसके लिए अनुपूरक बजट में हमने 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने अनुपूरक बजट के प्रावधानों का विरोध किया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कौशल्या माता के गौरव का सिर्फ आपके भाषणों का विषय था, आपके विज्ञापनों का विषय था? आपने कौशल्या माता के मंदिर के लिए क्या किया? हमारे लिए यह राजनीति का विषय नहीं हो सकता। यह हमारी संस्कृति और हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। हमारी विधानसभा के बहुत नजदीक में माता कौशल्या का मंदिर है। उस पूरे क्षेत्र को हम लोग विकसित करेंगे। क्योंकि भगवान राम को हम लोग भांचा राम के रूप में जानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग हर काम राम से शुरू करते हैं। अब धान की कटाई चल रही है, धान खलिहान में आयेगा, धान नापते हैं तो हम एक से शुरू नहीं करते, हम राम कह करके शुरू करते हैं। (मेजों की थपथपाहट) यह हमारी संस्कृति में है। अब ये हम लोगों को राम के बारे में बताने चले हैं। ये वोट पाने का हमारा माध्यम नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से राम वन गमन पथ को चिन्हित करके विकसित करने का काम करेंगे। आपके जिले में माता शबरी का भी मंदिर है, शिवरीनारायण भी है, खरौद भी है, जहां खरदूषण की राजधानी रही है, बगल में बलौदाबाजार जिला में तुरतुरिया भी है। ये सारे स्थानों को हम लोग विकसित करेंगे। सीतामढ़ी, हरचौका है, वहां से शुरू करके जो कोरिया जिले से शुरू होता है, वह भी आपके निर्वाचन क्षेत्र में आता है । इन सब स्थानों को हम विकसित करेंगे ताकि हम अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से आने वाली पीढ़ी को जोड़ सकें । अध्यक्ष महोदय, आज भाषण में कहा जा रहा था कि यह बजट प्रतिगामी बजट है । अध्यक्ष महोदय, इनकी रूचि स्काय वॉक में रही है । इनकी रूचि रही है बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में, जहां कोई नहीं रहता । आपने 6 हजार करोड़ की नई राजधानी बना दी, जहां कोई नहीं रहता । स्कायवॉक के बारे में विकास जी ज्यादा अच्छे से जानते हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारी दृष्टि छत्तीसगढ़ के एक-एक व्यक्ति पर है । उसको देखकर हम पूरा कार्यक्रम बना रहे हैं, पूरा बजट बना रहे हैं । आप हमारा पूरा कार्यक्रम देख लीजिए और व्यक्ति ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ का मवेशी

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

भी हमारी निगाह में है । उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं । डीएमएफ के पैसे से किस तरह से स्कायवॉक और अधिकारियों के निवास में स्वीमिंग पूल बनाया, हमारी रूचि इसमें नहीं है । बीमा कंपनियों के साथ इनके क्या नाते रिश्ते हैं, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्यों बीमा कंपनियों को इतना लाभान्वित कर रहे हैं ? यह पूरा देश जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है । लेकिन छत्तीसगढ़ के खजाने में यहां की जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा है । यह बीमा कंपनियों पर लुटाने के लिए नहीं है । इसलिए हमने नया रास्ता निकाला है । अब बीमा कंपनियों को पैसा नहीं जाएगा, बल्कि अब सही मायने में जो मरीज है उसको लाभ मिल सके इसलिए पांच लाख तक के इलाज अब डॉक्टर खूबचंद बघेल जो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा थे, उनके नाम से लोगों को इलाज मिलेगा और आजकल बड़ी-बडी बीमारियां हो रही हैं, 5 लाख में इलाज भी नहीं हो पाता । गरीब लोगों के पास इतना पैसा होता भी कहां है, आज लीवर ट्रान्सप्लांट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, हार्ट की बीमारियां हैं । इसके लिए हम 20 लाख तक की आर्थिक सहायता देंगे । यह देश में सर्वाधिक है (मेजो की थपथपाहट) । हमने इसके लिए अपुनूरक में प्रावधान किया है । डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना है उसमें 56 लाख पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा और 5 लाख से अधिक का है जिसमें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना लागू की जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय, आपने ही रिकॉर्ड बनाया है । महात्मा गांधी जी की 150 वीं जयंती के अवसर पर दो दिन का विशेष सत्र बुलाया और उसी दिन से छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषित योजना की शुरूआत हमने की । आज लाखों बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं । हमारा अभियान है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं होना चाहिए और हम लोगों ने इस दिशा में शुरूआत की है । उसी प्रकार से जो एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को भी पौष्टिक भोजन दे रहे हैं । इस तरह डीएमएफ का जो पैसा है अब वह पैसा स्वास्थ्य के लिए जा रहा है, स्वास्थ्य के लिए जा रहा है, शिक्षा के लिए जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, अभी मैं बीजापुर गया था, बस्तर के हमारे सारे विधायक यहां बैठे हैं । जब भी बात होती थी तो यही कहा जाता थाकि वहां कोई डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है । हॉस्पीटल है तो दवाई नहीं है, आज बस्तर का कोई भी विधायक डॉक्टर की कमी की बात नहीं कर रहा है । हमारी सरकार बने हुए केवल 11 महीने हुए हैं। जगदलपुर में 25 डॉक्टर हैं और बीजापुर जिला मुख्यालय में 26 डॉक्टर हैं (मेजो की थपथपाहट) । सिटी स्केन के लिए रायपुर आना पड़ता था । अब सी.टी. स्कैन हमारे बीजापुर में होगा। यह जो डी.एम.एफ. का पैसा है, यह उन आदिवासियों के लिए, परंपरागत निवास करने वाले लोगों के लिए था और यह पैसा पूरा उस दिशा में गया है। ये लोग कांक्रीट का जंगल खड़ा करना चाहते थे, हम मानव विकास करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करना चाहते हैं। यहां के लोगों को शारीरिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं। उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं। इस पैसे को हमने उस दिशा में बदल दिया है, जिसका रिजल्ट हमें दिखायी देने लगा है। माननीय अध्यक्ष महोदय,

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

न्याय का राज स्थापित हो, इसके लिए हमारी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराध प्रकरणों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए आज एक कोर्ट की स्थापना हेतु 10 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान हमने द्वितीय अनुपूरक में किया है। राज्य में उद्योगों को बढ़ाने की बात है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये बहुत विदेश गये। अकबर जी हमेशा प्रश्न लगाते थे कि आप चीन गये, अमेरिका गये, वहां एम.ओ.यू. करके आये हैं। कितने उद्योग यहां आये? कितने उद्योग यहां लगे? आपने एम.ओ.यू. किया। एक उद्योग नहीं लगा। यहां करोड़ों रूपये खर्च करके बड़े-बड़े आयोजन किये, लेकिन एक भी उद्योग नहीं आया। आज हमने उद्योगपतियों से मिलकर पूरे देश के विभिन्न राज्यों में हमारे अधिकारी गये। उद्योग मंत्री गये। वहां की जो अच्छी बातें हैं, उन सबको हमने छत्तीसगढ़ में समावेशित किया। हमने अपनी तरफ से भी कोशिश की। 30 प्रतिशत तक के कलेक्टर गाइडलाइन में जमीन में कमी की। साथ ही जो लीज था, उसे फ्री होल्ड करने का फैसला किया। इसलिए उद्योग जगत में काफी हर्ष फैला हुआ है और 2019 से 2024 के लिए हमने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग नीति जारी की है। हम लोग समावेशी विकास करना चाहते हैं। आदरणीय रविन्द्र चौबे जी का संसदीय क्षेत्र में बहुत ही दीर्घ अनुभव है। वे जब विपक्ष में रहते थे तो पहली, दूसरी या तीसरी बार जब विधायक बनकर गये थे तो हमेशा उनकी 139 के मामले में चर्चा रहती थी। कैसे कृषि आगे बढ़े? कैसे किसानों को ज्यादा से ज्यादा रेट मिल सके? वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। इसके लिए वे हमेशा चर्चा करते थे। आज देवव्रत भाई ने भी उसी दिशा में बात की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से चावल को बढ़ावा देने की बात देवव्रत जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग सरगुजा गये थे। खेलसाय जी के क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ। हम लोग सूरजपुर गये थे। वहां की महिला स्व-सहायता समूह ने एग्रीमेंट किया है और 120 रूपये किलो में जवांफूल का चावल बेच रहे हैं। जिस चावल को 30-40 रूपये कीमत नहीं मिल रही है आज हमारे प्रशासन के सहयोग से वहां की जो महिला समूह हैं, वे 120 रूपये किलो में उन्होंने एग्रीमेंट किया है। अब सोच लीजिए कि चावल की कीमत कितनी मिल रही है? तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे वह एच.एम.टी. की बात हो। चाहे मसूरी की बात हो। चाहे जवांफूल की बात हो। दूबराज की बात हो। यह चावल हमारे यहां ही हो सकता है। यह सुगंधित चावल दूसरे प्रदेश में नहीं हो सकता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। नैसर्गिक रूप से हमें यह प्रकृति से उपहार मिला हुआ है और इसका हम क्यों न लाभ उठायें? इस दिशा में सरकार काम कर रही है। ये लोग यह कहते हैं कि हम लोग प्रतिगामी बजट ला रहे हैं। एक दिन में कोई परिणाम नहीं दिखता। ये सारे अधिकारी वही हैं। लेकिन आप क्या काम ले रहे थे? आज हम उनसे क्या काम ले रहे हैं? गांव के लोगों से जुड़ने का काम। स्व-सहायता से जोड़ने का काम। उनसे मिलकर काम करने का काम। छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति पहले कार्यालय में जाने से पहले घबराता था। डरता था। आज वही कलेक्टर, वही एस.डी.एम. और उसी विभिन्न विभाग के अधिकारी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हमारे गांव वालों से मिलकर, हमारे नवजवानों और महिलाओं से मिलकर उनके विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप इसको बस्तर से लेकर सरगुजा तक देख सकते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

सदन के समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय :- आज कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूँ कि सभा सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दिवतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ी हंसी उड़ाते हैं कि छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी। जब हम लोग इस बात को कहते हैं तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनकी सरकार क्या कर रही है ? दिल्ली की सरकार क्या कर रही है ? घर-घर नल, हम पानी का दोहन करना चाहते हैं। यही विधान सभा का सत्र है। जब स्वच्छता अभियान की बात हुई थी, मैंने कहा था कि हम स्वच्छता अभियान के विरोधी नहीं हैं। लेकिन पहले आप यह बताईये कि आप घर में शौचालय बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके पहले आपको पानी की व्यवस्था करनी होगी। जो पहले एक लोटा में काम चल जाता था, उसमें एक बाल्टी लगता है। तो आप पहले पानी की व्यवस्था तो कर लीजिये। ये पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आज हम गौठान की बात करते हैं, पैरादान की बात करते हैं। हम छत्तीसगढ़ के किसानों को कह रहे है कि पैरा दान करिये, हमारे गौठान में दीजिये, जलाईये मत। आज ही के समाचार-पत्रों में छपा है कि आप दिल्ली को गैस चेम्बर बना दिए हैं, उससे अच्छा हमको बम से उड़ा दीजिये। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। लेकिन उस दिशा में छत्तीसगढ सरकार इनके कहने से पहले हम काम कर रहे हैं, स्वच्छता का भी और पैरा न जले। जैविक खेती की बात ये सब हम काम कर रहे हैं। इनको तकलीफ क्यों होती है ?

अध्यक्ष महोदय, आज नरवा की बात, वाटर रिचार्जिंग के बारे में बात हुई। बहुत साधारण सी बात है। आज ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूरी दुनिया के लोगों ने, हमारे जो छात्र-छात्राएं हैं, उन्होंने मार्च किया। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सारे लोग परेशान हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। यहां भी गर्मी बढ़ रही है,उससे भी हम लोग चिंतित हैं। अध्यक्ष महोदय, एक कारण है ? मौसम को ठंडक कौन करता है ? या तो हवा करता है या तो पानी करता है। दो ही चींज है जो आपको ठंडक पहुंचायेगी, पानी या हवा। तो आप हवा को प्रदूषित कर रहे हैं और आप लगातार जमीन के अंदर के जल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

को उलीच रहे हैं। चट्टानों के बीच में फंसे हुए पानी है, उसको हम लोग हजार-हजार फीट खोदकर ट्यूबवेल से निकाल रहे हैं। तो चट्टान तो खोखला हो गया है, धरती तो वैसे ही गरम है। यदि पानी का पुन: भरण कर दें तो तापमान अपने आप नीचे आयेगा। यह बहुत साधारण सी बात है। अक्षरधाम बहुत से लोग जाते हैं, वहां कौन सा ए0सी0 लगा हुआ है। वहां कौन सा पंखा, कूलर लगा हुआ है। हजारों लोग जाते हैं, गर्मी के दिन में भी कोई ए0सी0, कूलर नहीं है। लेकिन वहां ठंडा रहता है। क्यों ? क्योंकि जहां वह बना है, चारों तरफ जो चट्टानें हैं, उन्होंने वहां तक पानी भरकर रखा है। जब चट्टान ठंडा रहेगा, जमीन ठंडी रहेगी तो आपकी बिल्डिंग भी ठंडी रहेगी और वातावरण भी ठंडा रहेगा और यही काम तो छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। पानी न केवल निस्तार के लिए, न केवल सिंचाई के लिए, न केवल जंगल के लिए, न केवल जमीन के लिए, न केवल जानवर के लिए, न केवल उद्योग के लिए, सबके लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। हम एक हजार से अधिक नालों के लिए डी0पी0आर0 तैयार कर लिया है। अब वह काम बहुत जल्दी शुरू होगा। धान कटाई के बाद, फसल कटाई के बाद उसकी शुरूआत करेंगे। हम पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं। हमने भारत सरकार से भी कहा। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अध्यक्ष महोदय, कानून से सब काम नहीं हो सकता है। आप किसान को रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि पैरा इकट्ठा करना किसान के लिए आर्थिक बोझ हो गया है। हमने कहा कि इसको मनरेगा से जोड़ दीजिये, इसको कृषि कार्य से मनरेगा से जोड़िये। जो पैरा है, उसको आप कम्पोस्ट खाद में बदलने की कार्रवाई करिये। उससे आपका प्रदूषण भी नहीं होगा दूसरा खेत के लिए कम्पोस्ट खाद मिलेगा। फर्टिलाइजर पर आपकी निर्भरता कम होगी। ये तो मानवता के लिए है, इसमें संकोच क्यों होना चाहिए, ये लोग इसका विरोध क्यों करते हैं ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की बात सब लोगों की चिन्ता है कि 25 सौ रूपये कैसे मिलेगा । कल भी स्थगन आया था, लेकिन सबकी निगाहें थी कि मुख्यमंत्री जी इसके बारे में क्या बोलते हैं ? हमने स्पष्ट कर दिया, ये कौरवों की सेना की तरह व्यवहार कर रहे हैं । कहते हैं कि अभिमन्यु के चक्रव्यूह में घेर लेंगे तो फंस जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप कितना भी षड़यंत्र कर लीजिए, आप सफल नहीं होंगे । हम साफ नीयत के किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ न्याय होगा, उनकी जेब में 25 सौ रूपये जाएगा (मेजों की थपथपाहट) आप बाध्य कर सकते हैं, आप भारत सरकार हैं, भारत सरकार में बैठे हैं । चांवल, अनाज खरीदने की पॉलिसी आपकी है, उसमें आपने रोक लगा दी । ठीक है, हम 1815 रूपये में खरीदेंगे, लेकिन दूसरी स्कीम के माध्यम से उनकी जेब में पैसा डालने से आप नहीं रोक सकते और वह स्कीम हम बनाएंगे । बड़ी चिन्ता कर रहे थे कि यह भी उसी प्रकार से होगा । आपने बहुत सारे आयोग बनाए थे, उसका हश्र क्या हुआ, हम लोगों ने देखा है, लेकिन मैं इस पवित्र सदन में यह घोषणा कर रहा हूं कि कल कमेटी कमेटी बनाई है, जिसमें

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

चौबे जी हैं, अकबर जी हैं, प्रेमसाय जी हैं, उमेश पटेल जी और अमरजीत जी हैं । ये पांचों मंत्री बजट सत्र के पहले सारी रिपोर्ट दे देंगे, अध्ययन करके देंगे और बजट में नया स्कीम लागू होगा, जिसके माध्यम से किसानों की जेब में 25 सौ रूपए जाएगा । (मेजों की थपथपाहट) यह बिल्कुल स्पष्ट है, उससे हमको नहीं रोक सकते । आंध्रप्रदेश में रायतू चल रहा है, उड़ीसा में कालिया चल रहा है, भारत सरकार ने खुद ही किसान सम्मान निधि नाम रखा है तो नये स्कीम के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा डालने से हमको कैसे रोक सकते हैं । हम उस माध्यम से देंगे, हमारे किसान हम पर विश्वास कर रहे हैं । किसानों ने कहा कि हम तो धान बेच दिए हैं, हमारा पैसा समायोजित हो चुका है, हमारे ऋण का क्या होगा । हमने कहा कि आपका पैसा वापस होगा और इस पवित्र सदन में कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि सबसे पहले समायोजित राशि 1248 करोड़ रूपए सबसे पहले हमने हमने किसानों के खाते में डाला (मेजों की थपथपाहट) किसान 1750 रूपये में धान बेच चुके थे, उसकी भी अंतर की राशि हमने उनके खातों में डालने का काम किया है । छत्तीसगढ़ की किसान कांग्रेस सरकार पर विश्वास कर रही है और यह राशि भी किसानों के खाते में पहुंचेगा, इस बात को जो लोग शंका कर रहे हैं, वे स्पष्ट समझ लें कि आपकी तरह नहीं, राम नाम जपना, पराया माल अपना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने बोनस के अंतर की राशि के लिए बजट में प्रावधान रखा है । जो कम पड़ रहा है, उसको हमने 200 करोड़ रूपए रख दिया है । पहले भी प्रथम अनुपूरक में रखे थे, इस अनुपूरक में भी रखे हैं । उस अंतर की राशि को रख दिए हैं । हो सकता है कि सद्बुद्धि हो जाए और वे लोग स्वीकृति दे दें, एक लाईन की तो बात है कि आपका चांवल हम लोग खरीदने को तैयार हैं । बस एक लाईन लिखने की देरी है । सीधा किसान के खाते में 25 सौ रूपए जाएगा, उसके लिए हमने पहले से प्रावधान कर दिया है । इस अनुपूरक बजट में भी हमने प्रावधान किया है, ताकि किसानों को किसी प्रकार से नुकसान न हो ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधा है, चाहे जल संरक्षण है, पशु संवर्धन है, मृदा स्वास्थ्य है, पोषण प्रबंधन है, इसकी कार्यवाही संस्कृति, परम्परा को जोड़ते हुए हम लोग नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी का काम है, वह हम लोग सब कर रहे हैं और इसमें घुरवा कार्यक्रम के अंतर्गत 1897 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है और इसमें हमारे जो अधिकारी हैं, उनके मार्गदर्शन से, स्वप्रेरणा से 1 लाख, 81 हजार से अधिक घुरवा में वेस्ट डि-कम्पोज़र का उपयोग किया गया है, जिसे गुणवत्तायुक्त कम्पोज़ खाद अपेक्षाकृत कम समय में तैयार होगा । हम लोग तो गौठान में कर ही रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत जो किसानों के घरों में जो घुरूवा है, उसके लिए भी योजना हम लोग लाये हैं । अध्यक्ष महोदय, बहुत लंबा न कहते हुये इतना ही कहना चाहूंगा कि नगरीय क्षेत्रों में भी जो 19 नवम्बर 2018 के पूर्व से काबिज कब्जाधारकों को भू-स्वामित्व का अधिकार दिया जायेगा । पट्टाधारियों को पट्टा के नवीनीकरण की सुविधा दी जायेगी। 1 लाख शहरी गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर जमीन, मोर मकान योजना में इस हितग्राहियों को 2 लाख29 हजार की वित्तीय सहायता भी प्राप्त होगी । शहरी नागरिकों के दिन-प्रतिदिन के समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना शुरू किया गया है। परम्परागत जो लघु व्यवसायी है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए सभी नगरीय निकायों में पौनी-पसारी योजना शुरू की गई है । इसके तहत 30 लाख की लागत से 255 पौनी पसारी का निर्माण किया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, नगरीय क्षेत्र में मिशन क्लीन सिटी योजना के तहत प्रदेश में साइड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल को देश के अन्य राज्यों में भी लागू करने की अनुशंसा की गई है । एस.एल.आर.एम. आधारित मॉडल की सुदृढ़ीकरण के लिए निरन्तर प्रयास किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 9 शहरों में 1900 करोड़ तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 12 शहरों में 190 करोड़ लागत से पेयजल आवर्धन योजना का काम तीव्र गति से कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट में 300 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किये गये हैं । नगरीय जल आवर्धन योजना में भाटापारा, तिल्दा-नेवरा, महासमुंद, कवर्धा, नैला-जांजगीर, अकलतरा, जशपुर, बलरामपुर, बैकुंठपुर, मुंगेली, का कार्य प्रगति पर है । इन योजनाओं के लिए पूर्व में बजट में 75 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध है । कार्य की प्रगति को देखते हुये 25 करोड़ का प्रावधान द्वितीय अनुपूरक में प्रस्तावित है । स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता मिशन, निजि शौचालय निर्माण, सार्वजनिक स्वच्छता हेतु विधिक घटक का क्रियान्वयन किया जाता है । इस योजना के तहत द्वितीय अनुपूरक में 17 करोड़ का प्रावधान किया गया है । प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक शहरी क्षेत्र में मात्र 8 हजार मकान बने थे, लेकिन मुझे बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि जनवरी 2019 से अक्टूबर 2019 10 माह के अल्प अवधि में 38 हजार आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है । मेजों की थपथपाहट अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है, इस योजना के तहत स्लम क्षेत्रों में भी आयोजित 507 सेवाओं में 50हजार से अधिक लोगों का उपचार किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक विद्युत व्यय भार पर आधी छूट का लाभ 1 मार्च 2019 से लिया जा रहा है । इस योजना से 31 लाख 73 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा रहा है । मुख्य बजट और प्रथम अनुपूरक सहित इस योजना के लिए 518 करोड़ का प्रावधान किया गया है । हितग्राहियों की संख्या अनुमानित वृद्धि को देखते हुये द्वितीय अनुपूरक में इस योजना हेतु 282 करोड़ का प्रावधान किया गया है । विद्युत शुल्क के राहत हेतु सब्सीडी योजना अंतर्गत स्टील उद्योगों के लिए रियायत पैकेज प्रदेश के स्टील उद्योगों को प्रोत्साहन की दृष्टि से विद्युत दर में छूट दी गई है । इसमें 424 करोड़ का प्रावधान किया गया है । स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है । मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, अभी तक 17055 हाट बाजारों में से 11170 हाट बाजारों क्लिनिक का आयोजन किया गया है । जिसमें लगभग 6 लाख 50 हजार मरीज लाभान्वित हुये हैं । हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

स्वास्थ्य जीवन शैली के बारे में परामर्श देकर लोगों को बीमारियों से जागरूकाता भी किया जा रहा है । शासकीय चिकित्सामहाविद्यालय राजनांदगांव के भवन निर्माण हेतु 73 करोड़, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर के भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान द्वितीय अनुपूरक में किया गया है । ए.एन.एम. और जी.एन.एम. प्रशिक्षण केनद्र के लिए 18 करोड़ की राशि द्वितीय अनुपूरक में रखा गया है । रायगढ़ मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय सिवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट की स्थापना हेतु 3 करोड़ का प्रवधान किया गया है । मेडिकल कॉलेज रायपुर पी.जी.चिकित्सा छात्रों की शिष्यवृत्ति में वृद्धि हेतु 1 करोड़ का अतिरिक्ति प्रावधान किया गया है, जिसके लिए लंबे समय से यह छात्र संघर्षरत थे, यह मांग भी हम लोग पूरा कर रहे हैं । महिला बाल विकास विभाग की योजना आप सबको विदित है। इसमें द्वितीय अनुपूरक में एकीकृत बाल विकास परियोजना में मानदेय भुगतान हेतु 164 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री अमृत योजना तथा आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए दुग्ध प्रदाय हेतु 11 करोड़, एकीकृत बाल विकास योजना के सुचारू संचालन के अन्य मदों में 11 करोड़, नोनी सुरक्षा योजना के लिए भी एक करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास योजना के लिए अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 89 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। अधोसंरचना के लिए 57 करोड़, अनुसूचित जाति पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु द्वितीय अनुपूरक में 23 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत स्कूल शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिए 120 करोड़ एवं शिक्षक पंचायत से नियमित शिक्षक के रूप में संविलियन किए गए शिक्षकों के वेतन-भत्तों के भुगतान के लिए 110 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। मॉडल आई.टी.आई. भिलाई के उन्नयन हेतु 5 करोड़, रामकृष्ण मिशन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नारायणपुर हेतु द्वितीय अनुपूरक में 3 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्तीय प्रबंधन के कौशल पर बेवजह संदेह पैदा किया जा रहा है। मैं कुछ तथ्य पेश कर रहा हूं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2019-20 एक नजर में देखें तो वर्ष 2019-20 के मुख्य बजट में कुल प्रावधान 95889 करोड़ 54 लाख था, प्रथम अनुपूरक का आकार 4341 करोड़ 52 लाख एवं द्वितीय अनुपूरक का कुल व्यय प्रावधान 5001 करोड़ 6 लाख का है। शुद्ध अनुपूरक मांग की राशि 4546 करोड़ 81 लाख है। अजय चन्द्राकर जी कह रहे थे कि बजट 1 लाख करोड़ रूपये का होगा पर मैं सदन को बताना चाहूंगा कि प्रथम और द्वितीय अनुपूरक सहित बजट का आकार 1 लाख 4 हजार 787 करोड़ रूपये का हो गया है। (मेजों की थपथपाहट) राजकोषीय घाटा को सीमाओं में रखने के लिए अनुत्पादक खर्चों में कटौती करते हुए मितव्ययिता के साथ व्यय और अतिरिक्त राजस्व वृद्धि के उपाय किये जायेंगे ताकि वर्ष के अंत में

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

वित्तीय घाटा निर्धारित सीमा के कुल जी.एस.डी.पी. के कुल प्रतिशत के भीतर रखा जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक के राज्यों के बजट अध्ययन अनुसार वित्तीय स्थिति का प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 अनुसार विकासमूलक कार्यों पर व्यय में राज्य प्रथम स्थान पर है। (मेजों की थपथपाहट) सामाजिक क्षेत्र में व्यय राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कुल ऋण दायित्व एवं ब्याज भुगतान सभी राज्यों में न्यूनतम है और कमिटेड व्यय कुल बजट में से सभी राज्यों में से न्यूनतम है। बजट के बारे में ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं वह सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि किसानों के खाते में पैसे डालने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ती है। मजदूरों, गरीबों, आदिवासियों के खाते में पैसे डालने से अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ती। अर्थव्यवस्था तब बिगड़ती है जब आर.बी.आई. के खाते से पैसा निकालकर कार्पोरेट सेक्टर में 1 लाख 74 हजार करोड़ रूपये डाला जाए। (मेजों की थपथपाहट) किसानों के खाते में डालने से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में आप देख लीजिए कि पूरे देश में सर्वाधिक रहा है। जिस ऑटोमोबाईल सेक्टर की बात कर रहे हैं, सराफा सेक्टर की बात कहिए, टेकसटाईल/कपड़ा क्षेत्र में कहिए, रियल स्टेट क्षेत्र में कहिए छत्तीसगढ़ में सभी जगहों पर ग्रोथ है। यदि पूरे देश की अर्थव्यवस्था सुधारना है तो जैसे मनरेगा शुरू करके आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने देश को मंदी से उबारा था आज छत्तीसगढ़ भी उसी रास्ते पर चलते हुए आदिवासियों से 4000 रूपये प्रति मानक बोरा तेंदूपत्ता खरीदकर, हमारे गरीब किसानों के खाते में 20 हजार करोड़ रूपये की धान खरीदी और 10 हजार करोड़ रूपये की ऋण माफी से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हमने मंदी के दौर से उबारा है और यही काम भारत सरकार को भी करना चाहिए, ये कहते हुए आप सबने बहुत ध्यान से सुना और समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, इस अपेक्षा के साथ कि इस अनुपूरक बजट को पारित करेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 41, 43, 44, 45, 47, 55, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 80 एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर चार हजार पांच सौ छियालीस करोड़ इक्यासी लाख, इकसठ हजार, पांच सौ इक्कीस रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2019 (क्रमांक 18 सन् 2019) का पुर:स्थापन करता हूं।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2019 (क्रमांक 18 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2019 (क्रमांक 18 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2019 (क्रमांक 18 सन् 2019) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2019 (क्रमांक 18 सन् 2019) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2019 (क्रमांक 18 सन् 2019) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2019 (क्रमांक 18 सन् 2019) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 27 नवंबर, 2019 को 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

(सायं 5 बजकर 54 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 27 नवंबर, 2019 (अग्रहायण 5, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छत्तीसगढ़) **प्रमुख सचिव**

दिनांक : 26 नवंबर, 2019 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं